वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

एडसिल–
प्रौद्योगिकी एवं सूचना के माध्यम से बदलता शिक्षा क्षेत्र

कुल कारोबार वृद्धि

पिछले छः वर्ष में **300%** जमा

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड

(मिनी रेल श्रेणी–I सीपीएसई भारत सरकार का)

आईएसओ 9001:2015 एवं 1400:2015 अधिप्रमाणित कंपनी

वित्त वर्ष 2018 – 19 के लिए लाभांशवेक पेश करते हुए एडसिल

एडसिल (इंडिया) लिमिटेड, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक मिनी रत्न श्रेणी – I सी पी एस ई है, ने वर्ष 2018 – 19 हेतु ₹ 9.5 करोड़ का लाभांश अदा किया।

श्री रमेश पोखरियाल निशांक, मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने श्री अमित खरे, सचिव (एम एच आर डी) तथा डॉ. राकेश सरवास, अपर सचिव (तकनीकी शिक्षा) और एडसिल के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में श्री मनोज कुमार सी एम डी – एडसिल से चेक प्राप्त किया।

कंपनी ने वर्ष 2018 – 19 के दौरान ₹ 317.27 करोड़ की कुल आय तथा ₹ 43.79 करोड़ की पीबीटी प्राप्त किया।

एडसिल पूरे शिक्षा क्षेत्र में परियोजना प्रबंधन एवं परामर्श समाधान प्रदान करता है जिसमें आई सी टी/आई टी समाधान ऑनलाइन परीक्षण तथा मूल्यांकन सेवाएं, सहकारी सेवाएं, अवसंरचना, पी एफ सी प्राषण एवं विदेश शिक्षा सेवाएं शामिल है।

कंपनी भारत में असम्बद्ध विदेशी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की महत्वपूर्ण परियोजना जिसको 'भारत में अध्यापन' कहा जाता है, का कार्य कर रही है। इस कार्यक्रम में बड़े पोर्टल की स्थापना, सामाजिक मीडिया अभियान, ब्रोडिंग, समारोह व्यवस्थापन एवं सुविधा केंद्रों की स्थापना शामिल है।

विषय-सूची

1. विजन और मिशन विवरण 2.3
2. कॉर्पोरेट सूचना 4
3. एक दशक में एडसिल की विकास यात्रा 7
4. अध्यक्ष का भाषण 9
5. पिछले वर्ष में पुरस्कार, प्रशस्तियां और समारोह 12
6. निदेशकों की रिपोर्ट 24
7. निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध 34
8. सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा टिप्पणियां 52
9. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और वित्तीय विवरण 100
10. 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण 113

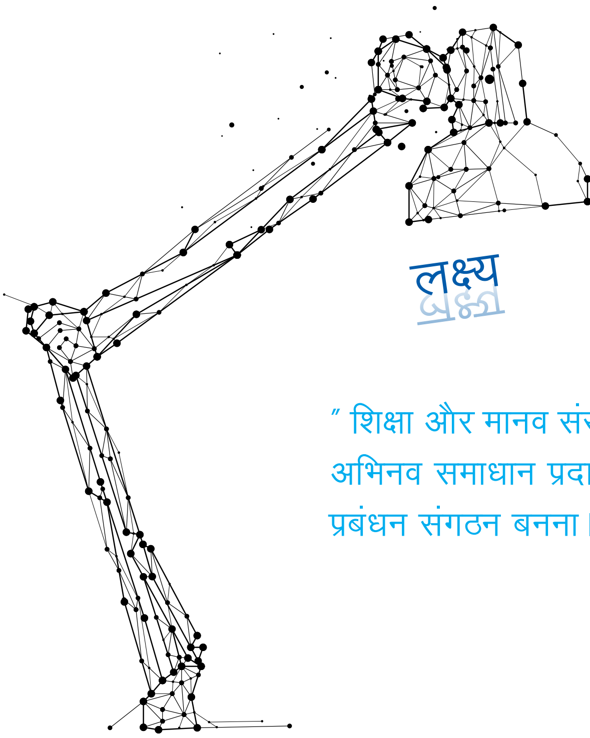

लक्ष्य

" शिक्षा और मानव संसाधन क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए विशेषज्ञता, सेवाएं और अभिनव समाधान प्रदान करने वाला अत्यधिक सम्मानित परामर्श और परियोजना प्रबंधन संगठन बनना।"

मिशन

"घरेलू और वैश्विक ग्राहकों के लिए उच्चतम दक्षता और नैतिक मानकों के साथ अभिनव, प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं प्रदान करके शिक्षा और मानव संसाधन परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार लाना और शिक्षा के क्षेत्र में पसंदीदा नियोक्ता बनना।"

कॉर्पोरेट सूचना

वर्तमान निदेशक मंडल (सामान्य वार्षिक बैठक की तिथि के अनुसार):

श्री मनोज कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री रोबार्ट शितकिंटॉन्ग
संयुक्त सचिव
(संसद और समन्वय),
विदेश मंत्रालय के नामित सदस्य

डॉ. रेणुका मिश्रा
निदेशक (टीई), मानव संसाधन एवं
विकास मंत्रालय और मानव संसाधन
एवं विकास मंत्रालय की नामित सदस्या

डॉ. ई. वायुनंदन
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. हर्षद ए.पटेल
स्वतंत्र निदेशक

वर्ष 2018–19 के दौरान निदेशक मंडल

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
श्री दिप्तीमान दास

नामित निदेशक
श्रीमती नूतन कपूर महावर – (कार्यकाल समाप्ति 27.04.2019)
श्री दिनकर अस्थाना–(कार्यकाल समाप्ति 27.04.2019)

स्वतंत्र निदेशक
प्रो. ई. वायुनंदन, डॉ. हर्षद ए. पटेल

कंपनी सचिव
श्री देवेंद्र के. शर्मा

निदेशक मंडल (दिनांक 12.07.2019 तक)

श्री दिप्तीमान दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री रोबार्ट शितकिंटॉन्ग
संयुक्त सचिव
(संसद और समन्वय),
विदेश मंत्रालय के नामित सदस्य

श्री प्रशांत अग्रवाल
निदेशक (आईआईटी), मानव
संसाधन एवं विकास मंत्रालय और
इसके नामित सदस्य

डॉ ई. वायुनंदन
स्वतंत्र निदेशक

डॉ हर्षद ए.पटेल
स्वतंत्र निदेशक

बोर्ड स्तर से नीचे वरिष्ठ प्रबंधन टीम

श्री मनोज कुमार
कार्यकारी निदेशक (परियोजना)

डॉ. के. एल.सरकार
कार्यकारी निदेशक (नैगमिक आयोजना)

बैंकर्स:

भारतीय स्टेट बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

आईसीआईसीआई बैंक

कॉर्पोरेशन बैंक

सांविधिक लेखा परीक्षक:

शिव एंड एसोसिएट्स,
सनदी लेखाकार

आंतरिक लेखा परीक्षक:

एसपीएमआर एंड
एसोसिएट्स,
सनदी लेखाकार

सचिवालय लेखा परीक्षक

जे.के. गुप्ता एंड
एसोसिएट्स, कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:

पांचवीं मंजिल, विजया
बिल्डिंग, बाराखंभा रोड,
नई दिल्ली–110001

कॉर्पोरेट कार्यालय:

एडसिल हाउस,

18–ए, सेक्टर–16–ए
नोएडा–201301

(उत्तर प्रदेश)

एक दशक में एडसिल की विकास यात्रा :

पिछले 10 वर्षों के वित्तीय परिणाम
(कर्मचारियों की संख्या और प्रति शेयर आय के अलावा आंकड़े करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 10	वित्त वर्ष 11	वित्त वर्ष 12	वित्त वर्ष 13	वित्त वर्ष 14	वित्त वर्ष 15	वित्त वर्ष 16	वित्त वर्ष 17	वित्त वर्ष 18	वित्त वर्ष 19
प्रदत्त पूंजी	1.5	1.5	2	2	2	2	2	2	2	10
पारक्षित और अधिशेष	17.93	18.53	19.35	21.64	27.77	29.91	48.68	76.95	93.53	102.2
नियोजित पूंजी	19.13	19.5	20.01	22.74	28.63	29.6	60.98	88.34	102.7	115.62
कुल मूल्य	19.58	20.25	20.85	23.64	29.77	31.91	50.68	78.95	95.93	112.2
अचल संपत्तियां (नेट ब्लॉक)	5.57	5.37	5.43	5.29	5.32	4.82	4.63	5.11	5.01	41.04
टर्नओवर										
क) घरेलू व्यवसाय	39.08	44.77	53.38	58.41	68.46	71.66	168.3	155.3	219.8	281.55
ख) विदेशी व्यापार	26.38	22.46	33.11	2.44	2.54	2.48	2.01	2.9	68.95	35.71
कुल	65.46	67.23	86.49	60.85	71	74.14	170.3	158.2	288.7	317.27
विविध आय	3.43	2.45	3.48	3.64	4.91	4.04	5.28	10	5.46	3.96
कुल आय	68.89	69.68	89.97	64.49	75.9	78.18	175.6	168.2	294.2	321.23
सकल लाभ (ईबीआईटीडीए)	7.05	4.39	4.27	8.57	14.45	7.46	47.33	47.71	55.41	44.33
मूल्यह्रास	0.32	0.53	0.38	0.41	0.39	0.36	0.35	0.42	0.5	0.55
कर से पहले शुद्ध लाभ	6.73	3.85	3.89	8.16	14.05	7.1	46.99	47.29	54.91	43.79
कर के बाद शुद्ध लाभ	4.02	2.49	2.45	5.26	8.73	5.08	30.97	28.45	35.95	30.08
लाभांश भुगतान	1.5	1.5	1.5	2	2	2	10	10	11	9.5
कर्मचारियों की संख्या (संख्या)	81	85	81	78	81	79	79	97	112	116
प्रति कर्मचारी आय	0.09	0.05	0.05	0.11	0.18	0.09	0.60	0.49	0.49	0.38
ईपीएस (₹)	268	166	163	263	437	254	1,549	1,423	360	301
जीपी अनुपात	11	7	5	14	20	10	28	28	19	14
एनपी अनुपात (कर से पहले)	10	6	4	13	19	9	27	28	19	14
एनपी अनुपात (कर के बाद)	6	4	3	8	12	7	18	17	12	9
नियोजित पूंजी की कुल बिक्री	3	3	4	3	2	3	3	2	3	3
प्रदत्त पूंजी का निवल मूल्य/प्रति रुपया	13	14	14	12	15	16	25	39	48	11

एडसिल – वित्तीय संसूचक

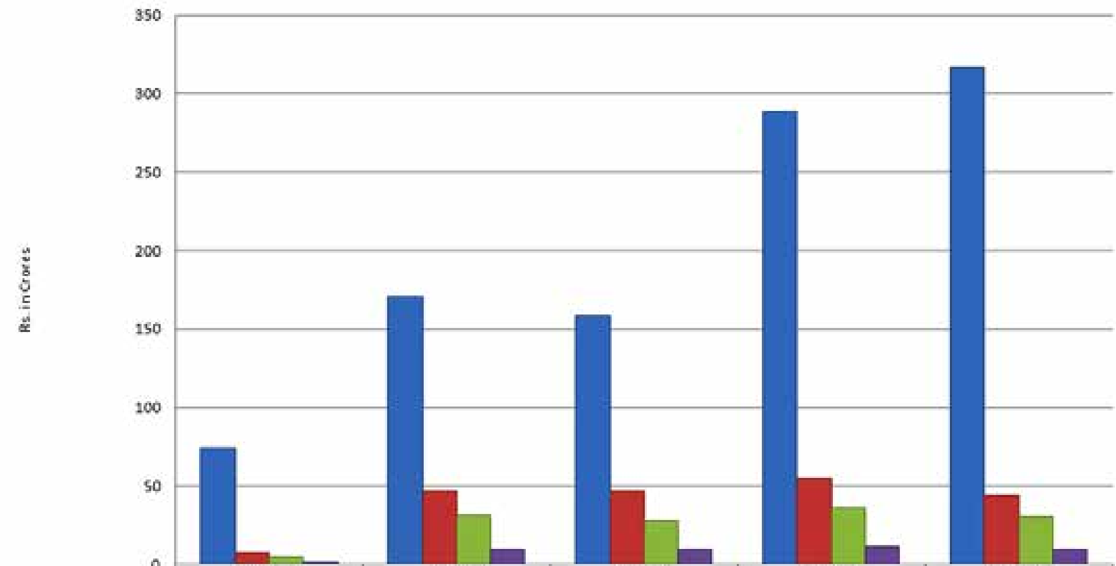

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Turnover	74.14	170.28	158.22	288.71	317.27
Gross Profit	7.46	47.53	47.29	54.91	43.79
Net profit After Tax	5.08	30.97	28.45	35.95	30.08
Divident Paid	2	10	10	11	9.5

राजस्व - 2019
317.27 Cr.

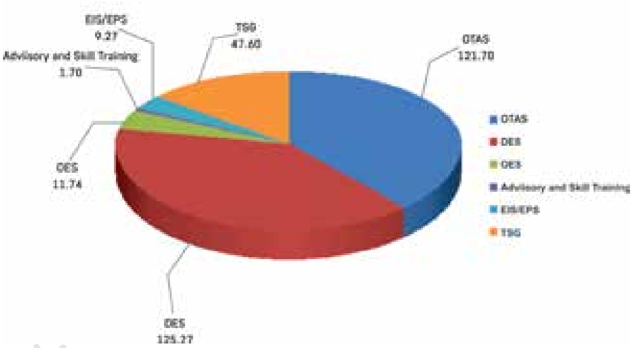

राजस्व - 2018
288.71 Cr.

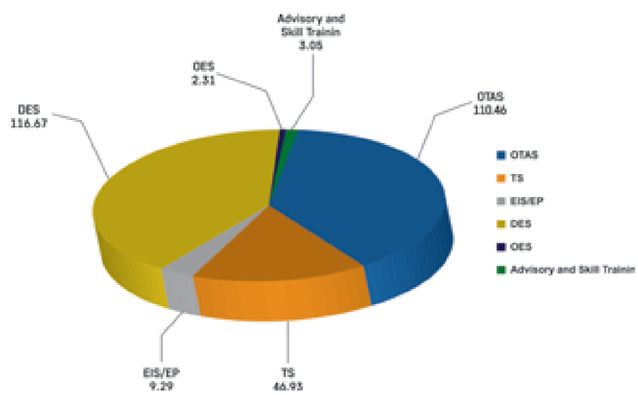

अध्यक्ष का भाषण

एडसिल के प्रिय शेयरधारकों, मैं एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड और इसके निदेशक मंडल की ओर से कंपनी की 38वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का पूरे उत्साह से स्वागत करता हूँ।

अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। यहां आपकी उपस्थिति हम पर आपके विश्वास का प्रमाण है और यह कंपनी को सफलता के नए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है।

बैठक बुलाने की सूचना, निदेशक की रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा पहले से ही आपके पास उपलब्ध हैं और आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पढ़ा मानता हूँ।

एडसिल का परिचालन प्रदर्शन

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 317 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार किया और पिछले दो वर्षों में प्राप्त किए गए भारी राजस्व में और अधिक वृद्धि करने में सफल रही।

चालू वर्ष में कंपनी ने 317.26 करोड़ रुपए के कारोबार के साथ 43.78 करोड़ रुपए का कर पूर्व शुद्ध लाभ प्राप्त किया, जबकि पिछले वर्ष 288.71 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था।

डिजिटल शिक्षा सेवाएं और ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन प्रभाग कंपनी के प्रमुख वर्टिकल के रूप में उभरे हैं। ओटीएएस द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में देश भर के 100 से अधिक शहरों में फैले प्रमुख और दूरदराज् के स्थानों पर ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करके कर्मियों का चयन करना शामिल है। इसमें विमानन, रेलवे, कोयला, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं और बिजली कंपनियों तक के क्षेत्र शामिल थे। कंपनी ने एम्स, डीएफसीसीआईएल और ईएसआईसी सहित कई ग्राहकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कंपनी द्वारा आयोजित किए गए ऑनलाइन टेस्ट में उम्मीदवारों की संख्या दर्शायी गई है। यह वर्टिकल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए "डिजिटल इण्डिया" विषय का समर्थन करता है।

कंपनी ने डिजिटल शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें संस्थानों की नेटवर्किंग, वर्चुअल कक्षाएं, डिजिटलीकरण, स्मार्ट क्लासरूम ओपन लर्निंग आदि शामिल हैं और शैक्षिक बुनियादी ढांचे में अधिक टर्न–की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इस प्रयास से आने वाले वर्षों के दौरान अधिक राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

ऑर्डर बुक में लगातार वृद्धि के साथ ही खरीद सेवा एक विकसित होता हुआ वर्टिकल सिद्ध हुआ है। कंपनी ने शिक्षा खरीद प्रभाग के तहत आपूर्ति किए जाने वाले अपने उत्पादों को आईटी और लैब उपकरणों और फर्नीचर आदि के दायरे में शामिल करके विविधिकरण किया है।

विदेशों में भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना कंपनी के लिए विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों में से एक बना रहा। विदेशी छात्रों की बाज़ार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए "स्टडी इन इण्डिया" अभियान शुरू किया जा रहा है।

लाभांश

वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए 600 लाख रुपए का अंतरिम लाभांश घोषित किया है और भुगतान किया है। इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2018–19 के लिए 35 रुपए प्रति शेयर (100 रुपए प्रति शेयर का अंकित मूल्य) अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है, जो लाभांश वितरण कर को छोड़कर 3.5 करोड़ रुपए की राशि है। यद्यपि, अंतिम लाभांश का भुगतान कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। इस लाभांश के भुगतान के बाद, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय को लाभांश का संचित भुगतान 60.85 करोड़ रुपए होगा। अंतरिम लाभांश सहित वर्ष 18–19 का लाभांश 9.50 करोड़ रुपए है।

निकट भविष्य की रूपरेखा

निकट भविष्य में कंपनी विकास की गति बढ़ाने और शिक्षा क्षेत्र में उभरने वाले बड़े अवसरों का लाभ उठाने और इस क्षेत्र में उच्च प्रभाव वाले बदलाव लाने के लिए लोगों की क्षमता और प्रक्रियाओं को बढ़ाना दोनों की आकांक्षी है। इस बदलाव के लिए पांच वर्ष की मध्यावधिक रणनीति बनाई गई है जिसका लक्ष्य स्पष्ट रूपरेखा के साथ कंपनी को वर्ष 2022 तक 1500 करोड़ रुपए वाली ईकाई तक बढ़ाना है। शिक्षा सेवाओं के डिजिटलीकरण और ऑनलाइन परिक्षण क्षेत्रों पर रणनीति के अनुसार विशेष ध्यान दिया जाता रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कंपनी को प्रभावी सेवा प्रदाता बनने के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगी। बड़े शिक्षा क्षेत्र के निजी व्यावसायियों के साथ अधिक गठजोड़ पर ध्यान दिया जाएगा। कंपनी 'अनुसूची ख' स्थिति में अपग्रेड किए जाने के लिए आवेदन करने की योजना भी बना रही है।

कंपनी की संपूर्ण प्रक्रियाओं का पुनरावलोकन किया गया है और इसे नया बनाया जा रहा है। मानव संसाधन नीति को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है। कई अन्य बदलाव किए जा रहे हैं।

अतिरिक्त गुणवत्ता वाली जनशक्ति की भर्ती शुरू हो गई है। एक व्यापार विकास दल को काम पर लगाया गया है। यह कार्य प्रगति पर है और इसमें और अधिक प्रगति की परिकल्पना की गई है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों के लिए कानूनों के अनुसार सीएसआर बजट लक्ष्य प्राप्त किया।

समय–समय पर आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों में सुझाए गए और अनुमोदित ढांचे के अनुसार व्यय की योजना बनाई गई और उसका निष्पादन किया गया है। कंपनी की सीएसआर परियोजनाओं में रक्षा कार्मिक कल्याण, स्वच्छता कपास उत्पादकों का कल्याण, खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल थे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर 0.99 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

कंपनी इस दर्शन में विश्वास करती है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस विभिन्न कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन से परे है और

इसलिए अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में पारदर्शिता के लाने का प्रयास करती है। कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों का पालन करती है।

निदेशक मंडल की बैठक समय–समय पर होती है, जिसका ब्यौरा निदेशकों की रिपोर्ट में संलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है। वर्तमान में कंपनी के दो स्वतंत्र निदेशक, दो सरकारी नामित निदेशक और एक कार्याकारी निदेशक अर्थात सीएमडी हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रक्रिया को और बढ़ाने के लिए कार्याकारी निदेशक के एक अतिरिक्त पद के सृजन के लिए पहले ही एक प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा चुकी है।

मानव संसाधन

कंपनी की कर्मचारी संख्या 31 मार्च, 2018 में 112 से बढ़कर 31 मार्च, 2019 तक 116 हो गई। कंपनी ने इस क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रवेश और पार्श्व स्तर पर अधिक पेशेवरों को रखा है। प्रबंधन प्रशिक्षुओं को वरिष्ठ पेशेवरों के मार्गदर्शन में ऑन–द–जॉब और ऑफ–द–जॉब प्रशिक्षण हस्तक्षेपों के माध्यम से भविष्य के प्रबंधकों के रूप में तैयार किया जा रहा है।

परियोजना प्रबंधन और परामर्शदाता कंपनी होने के कारण कर्मचारियों को सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता है। तदनुसार, मौद्रिक भत्तों, प्रशिक्षण, कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रियाओं आदि को सुव्यवस्थित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इससे भविष्य में प्रेरणा बढ़ाने, बेहतर प्रतिभाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने की उम्मीद है।

अंत में, मैं अपने सभी शेयरधारकों को उनके सतत समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हमें उनका समर्थन और प्रोत्साहन मिलता रहेगा।

स्वीकृति

निदेशक मंडल वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी की उपलब्धियों में योगदान देने में एडसिल समूह के सभी सदस्यों द्वारा किए गए समर्पित प्रयासों और प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं की अपनी सच्चे हृदय से सराहना करता है।

निदेशक मंडल की ओर से, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, विदेशों में भारतीय मिशनों और अन्य हितधारकों द्वारा कंपनी को दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन, समर्थन और सहयोग के लिए सच्चे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं कंपनी के विकास में उनके सतत सुझावों और बहुमूल्य योगदान के लिए बोर्ड के निदेशकों को भी सच्चे हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

हम पर निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्राधिकरणों, बैंकरों, ग्राहकों, विक्रेताओं, सहयोगियों, आंतरिक लेखा परीक्षकों, शेयरधारकों और उपस्थित आप सभी को हमारा विशेष धन्यवाद।

अब हम वित्तीय वर्ष 2018–19 के संबंध में अनुबंधों के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण और निदेशक रिपोर्ट स्वीकार करने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं।

कृते बोर्ड और उसकी ओर से
हस्ता./–
(मनोज कुमार)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08636099

दिनांक: 17.08.2019
स्थान : दिल्ली

पिछले वर्ष में पुरस्कार, प्रशस्तियां और समारोह :

अपनी विकास गति और परिचालन उत्कृष्टता को जारी रखते हुए, एडसिल ने कई पुरस्कार और प्रशस्तियां प्राप्त की हैं। प्राप्त प्रमुख पुरस्कार, प्रशस्तियां इस प्रकार हैं:

पुरस्कार:

- प्रांरभिक डिजीटल प्रोग्राम (ईडीएलपी) हेतु स्कॉच पुरस्कार 2019 कॉर्पोरेट उत्कृष्टता हेतु सेमी फाइनलिस्ट के रूप में रजत पुरस्कार।

वेबसाइट:

- वेबसाइट – लाइव और अपडेट
- इंटरनेट – पूरी तरह से कार्यात्मक
- सतर्कता संबंधी व्यापक सुविधाएं – उपलब्ध

समारोह:

- प्रधानमंत्री का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का टाउन हॉल में सफलतापूर्वक संचालन किया।
- महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता संबंधी एसोचैम सम्मेलन में पीएसयू पार्टनर

ईडीएलपी कार्यान्वयन के लिए एडसिल को (Skoch) पुरस्कार।

''स्टडी इन इण्डिया'' सहयोगी संस्थानों की कार्यशाला।

माननीय प्रधानमंत्री जी का टाउन हॉल ''परीक्षा पर चर्चा'' का समारोह प्रबंधन एडसिल द्वारा आयोजित किया गया।

''स्टडी इन इण्डिया'' कार्यक्रम का शुभारंभ

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्टडी इन इण्डिया योजना की शुरुआत माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 18 अप्रैल, 2018 को इण्डिया हैबिटेट सेंटर के स्टीन ऑडिटोरियम में एक भव्य समारोह में की थी।

शुरुआत के भाग के रूप में, स्टडी इन इण्डिया पोर्टल (www.studyinindia.gov.in) का अनावरण किया गया।

माननीय उच्च शिक्षा, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ सत्यपाल सिंह, श्री आर सुब्रह्मण्यम, सचिव (उच्च शिक्षा), श्री धनंजय मौले, सचिव (विदेश मंत्रालय), डॉ एन सरवण कुमार, संयुक्त सचिव (आईसीसी एंड टेल, एमएचआरडी), श्री दिप्तीमान, अध्यक्ष और प्रबंध निदशक (एडसिल) और 30 से अधिक लक्षित देशों के राजनयिकों ने इस समारोह में भाग लिया।

इस पोर्टल से दक्षिण एशिया, अफ्रीका, सीआईएस और मध्य पूर्व के 30 देशों के छात्र 150 भारतीय संस्थानों से विभिन्न पाठ्यक्रमों का चयन और आवेदन कर सकेंगे, जो एनएसीसी और एनआईआरएफ रैंकिंग में उच्च स्थान पर हैं। पोर्टल पर सहायता के लिए एक ऐप और कॉल सेंटर की सुविधा प्रदान की जाएगी।

भारत में आने वाले विदशी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह पहला देशी जेनेरिक अभियान है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम एडसिल को कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

एडसिल ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार के अधीन मिनीरत्न श्रेणी–1 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2018–19 में 25 मई, 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

समझौता ज्ञापन में वित्त वर्ष 2018–19 के लिए एडसिल ने अपनी व्यावसायिक योजनाओं और विकास की रणनीति के अनुरूप, प्रमुख सेवाओं पर प्रकाश डाला।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव (एचई) श्री आर. सुब्रह्मण्यम और एडसिल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री दिप्तीमान दास ने डॉ सुखबीर सिंह संधू, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और एडसिल के वरिष्ठ अधिकारियों, श्री पी. के. एस. सिसोदिया, सीजीएम (ईआईएस/ईपीएस), श्री संदीप गोयल, सीजीएम (वित्त) और श्री पवन कुमार शर्मा, सीजीएम (डीईएस) की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

एडसिल ने 26.12.2019 को अपनी 38वीं वार्षिक आय बैठक आयोजित की

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड, जो एक मिनी रत्न श्रेणी–I सी पी एस ई है, की 38वीं वार्षिक आम बैठक (ए जी एफ) श्री अमित खरे, सचिव, (एच ई), मा.सं.वि. मंत्रालय की अध्यक्षता में डॉ. राकेश सरवाज, अ.स. (एच ई) तथा मा.सं.वि.मं. एवं एडसिल के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण की मौजूदगी में 26 दिसम्बर, 2019 को शास्त्री भवन नई दिल्ली में आयोजित की थी।

श्री मनोज कुमार, सी एम डी, एडसिल ने वित्त वर्ष 2018 – 19 के दौरान कंपनियों की उपलब्धि का बखान किया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2018 – 19 के दौरान ₹ 317 करोड़ का उच्चतम कारोबार किया, जो पूर्ववर्ती वर्ष के कारोबार से 10 प्रतिशत अधिक है। पीबीटी को ₹ 10 करोड़ दिया गया था। कंपनी ने एक ठोस कार्यक्रम सूची तैयार की है और वर्ष 2019 – 20 में उच्च वृद्धि प्राप्त करने की ठानी है।

एडसिल ने वित्त वर्ष 2018 – 19 के दौरान ₹ 9.5 करोड़ (जिसमें ₹ 6 करोड़ का पहले से प्रदत्त अंतरिम लाभांश शामिल है) के लाभांश की घोषणा की है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी में यूएई के साथ आपसी सहयोग

शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आपसी सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए यूएई के शिक्षा मंत्री महामहिम हुसैन इब्राहिम अल हम्मादी के नेतृत्व में यूएई के एक प्रतिनिधिमंडल ने 30 जनवरी, 2019 को दिल्ली में एडसिल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री दिप्तीमान दास और एडसिल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। प्रतिनिधियों ने परिसर प्रबंधन प्रणाली, सामग्री और मूल्यांकन के क्षेत्रों सहित विभिन्न शैक्षिक प्रौद्योगिकियों के संबंध में रुचि दिखाई, जो और अधिक सहयोग के लिए एडसिल द्वारा प्रस्तुत किए गए थे।

एडसिल का 37वां स्थापना दिवस

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड – मिनी रत्न श्रेणी–I सीपीएसई, भारत सरकार ने वायुसेना ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में 06 जुलाई, 2018 को अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह का उदघाट्न डॉ. सत्यपाल सिंह, माननीय राज्य मंत्री, मा. स. विकास (उच्चतर शिक्षा) द्वारा श्री दिप्तीमान दास, सी एम डी, एडसिल, श्री रत्नेश कर्मा जी जी एम (एचआर) और श्री संदीप गोयल सी जी एम (वित्त) की उपस्थिति में किया गया था।

सी एम डी एडसिल ने वित्त वर्ष 2018 के दौरान ₹ 288 करोड़ की वृद्धि को दर्शाते हुए कम्पनी की उपलब्धियों को रेखांकित किया।

डॉ. सत्यपाल सिंह, राज्य मंत्री (एच 8) ने एडसिल की प्रगति की सराहना की और कम्पनी को ₹ 1500 करोड़ के कारोबार वाली कम्पनी बनाने के लिए कठोर परिश्रम करने का अनुरोध किया।

एडसिल के नए लोगों का भी डॉ. सत्यपाल सिंह, माननीय राज्य मंत्री, मा.स. विकास द्वारा शुभारम्भ किया गया था।

सरकार एवं सी पी एस ई के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, ग्राहकों, सम्बद्ध भागीदारों, कर्मचारियों तथा अन्य पदधारकों ने समारोह में भाग लिया। कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार भी विजेताओं में वितरित किए गए। बॉलीवुड के संगीत समूह ने अपनी निष्पान से दर्शकदीर्घा को आनन्दित किया।

हिंदी पखवाड़ा

एडसिल (भारत सरकार की मिनी रत्न श्रेणी–1 सीपीएसई) ने 14 सितंबर 2018 को पूरे जोश और उत्साह के साथ हिंदी पखवाड़े का प्रारंभ किया था और 28 सितंबर 2018 को पुरस्कार वितरण और समापन समारोह का आयोजन किया गया था। एडसिल के अध्यक्ष और प्रबंध निदशक श्री दिप्तीमान दास समापन व पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित किया। समारोह में सभी वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। विजेताओं को राजभाषा ड्राफ्टिंग, निबंध, भाषण, कविता पाठ और प्रश्नोत्तरी को शामिल करते हुए कई प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार दिए गए।

सतर्कता सप्ताह

एडसिल में 29 अक्तूबर, 2018 से 03 नवंबर, 2018 तक ''भ्रष्टाचार उन्मूलन– बिल्ड ए न्यू इण्डिया'' विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2018 सफलतापूर्वक मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह नोएडा स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय और नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय में सभी कर्मचारियों को द्वारा सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा साथ प्रारंभ हुआ, इसके पश्चात एडसिल के नोएडा स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय और नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय में बैनर लगाने सहित सतर्कता कार्यक्रमों के साथ सभी कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा, निबंध लेखन प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता, नवीनतम प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के संबंध में कार्यशाला आदि गतिविधियाँ/प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई।

समापन दिवस समारोह में सीवीसी के निदेशक मुकेश कुमार को अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस दौरान विजेताओं को प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कार राशि दी गई।

सीवीसी के निदेशक ने सीवीसी और उसके कार्य, सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन, निवारक सतर्कता, ई–निविदा का महत्व और संगठन में इसका सफल कार्यान्वयन, एक कार्यालय में कार्य संस्कृति आदि के संबंध में वक्तव्य दिया। उनके वक्तव्य के अंत में वाणिज्यिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लागू करने सहित निविदाओं, डीएआर, दंड सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रश्न–उत्तर सत्र भी चलाया गया था।

महिला दिवस

एडसिल में 8 मार्च, 2018 को पूर्ण भावना के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। समारोह में सभी महिला कर्मचारियों ने बैठक में भाग लिया, जिसमें श्री दिप्तीमान दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री मनोज कुमार, कार्यकारी निदेशक (परियोजनाएं) और श्री के.एल. सरकार, ईडी (सीपी) ने संबोधित किया। फिल्मों के प्रदर्शन, चर्चा और वाउचर के वितरण सहित अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

स्वतंत्रता दिवस

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड, (एक मिनी रत्न श्रेणी –1 सीपीएसई, भारत सरकार) अपने कॉर्पोरेट कार्यालय नोएडा में 15 अगस्त, 2018 को ''72वां स्वतंत्रता दिवस'' मनाया। एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री दिप्तीमान दास ने वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ राष्ट्रगान के गायन किया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने पूरे मन से सहयोग और कड़ी मेहनत के लिए एडसिल के सभी कर्मचारियों की सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता और कारोबार में चार गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने निष्पादित की जा रही परियोजनाओं की प्रगति को रेखांकित किया और शिक्षा क्षेत्र पर स्थायी प्रभाव डालने के लिए प्रगति के रोडमैप के साथ कंपनी के दृष्टिकोण के संबंध में बताया।

सीएसआर के तहत नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर को टाटा विंगर वाहन प्रदान करना

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड (ए मिनी रत्न श्रेणी– आई केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम , भारत सरकार) ने अपनी सीएसआर पहल के तहत 11 जून, 2018 को नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर (राजस्थान) को एक बहु–उपयोगिता वाहन टाटा विंगर प्रदान किया। श्री. दिप्तीमान दास, सीएमडी, एडसिल ने नारायण सेवा संस्थान (एनएसएस) के बाड़ी परिसर में आयोजित अर्पण समारोह में पद्मश्री कैलाश मानव जी, (संस्थापक, एनएसएस), श्री प्रशांत अग्रवाल, (अध्यक्ष, एनएसएस), श्री के. एस. सिसोदिया, सीजीएम (ईआईएस/ईपीएस), एडसिल और अन्य एडसिल अधिकारियों के साथ भाग लिया।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने अपनी टीम के साथ संस्थान के सभी विभागों और वार्डों का दौरा कर मरीजों से बातचीत की।

निदेशकों की रिपोर्ट

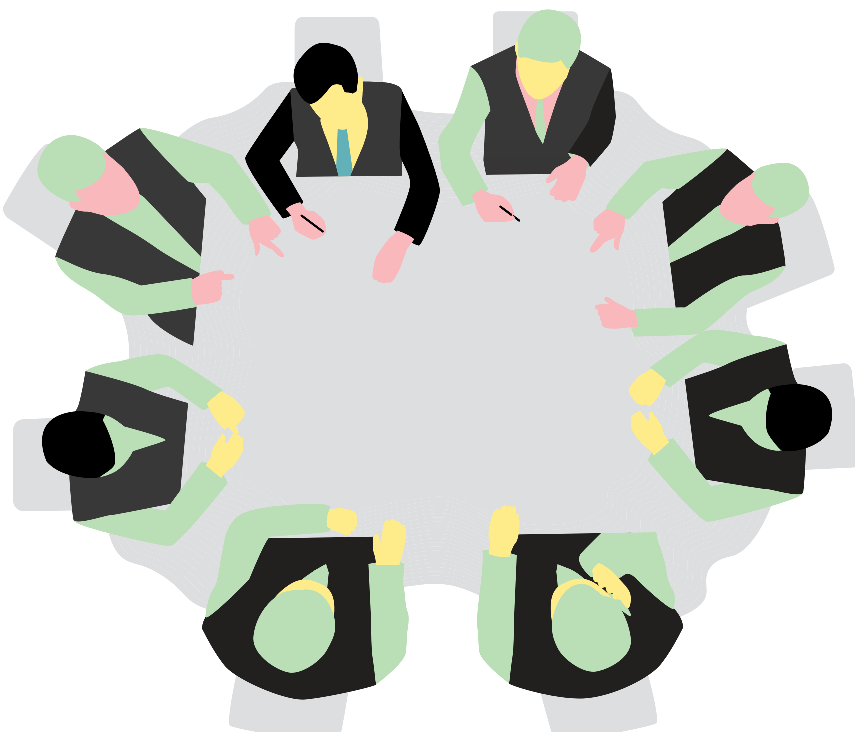

सूचना

सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 37वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) नीचे दी गई तिथि और समय के अनुसार आयोजित की जाएगी:

दिन और तारीख	बृहस्पतिवार, 28 सितम्बर, 2019
समय	10.30 बजे प्रातः
स्थान	सम्मेलन हॉल (कमरा संख्या 112 सी) मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

निम्नलिखित कार्य करने के लिए:

साधारण कार्यः–

1. 31 मार्च, 2019 को लेखा परीक्षित बैलेंस शीट और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि खाते का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण के साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों और उस पर निदेशक मंडल और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्राप्त करने, विचार करने और उन्हें अपनाने के लिए।

2. ताकि वर्ष के दौरान 6 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि की जा सके और 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 3.5 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित जा सके।

विशेष कार्यः–

कोई नहीं

बोर्ड के आदेश से
कृते एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड

हस्ता. /–
(देवेंद्र कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

टिप्पणियां:

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने के अधिकारी सदस्य को अपने बजाय बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी के लिए कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी नियुक्त करने वाला लेखपत्र प्रभावी होने के लिए बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना होगा।

2. सूचना के मामले से संबंधित सभी दस्तावेज कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि तक और तिथि को शनिवार और रविवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में सामान्य व्यावसायिक घंटों (सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे) के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

बोर्ड के आदेश से
कृते एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड
हस्ता. /–
(देवेंद्र कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

तिथिः 25 सितंबर, 2018
स्थानः दिल्ली

वार्षिक सामान्य बैठक के स्थान के मार्ग का नक्शा

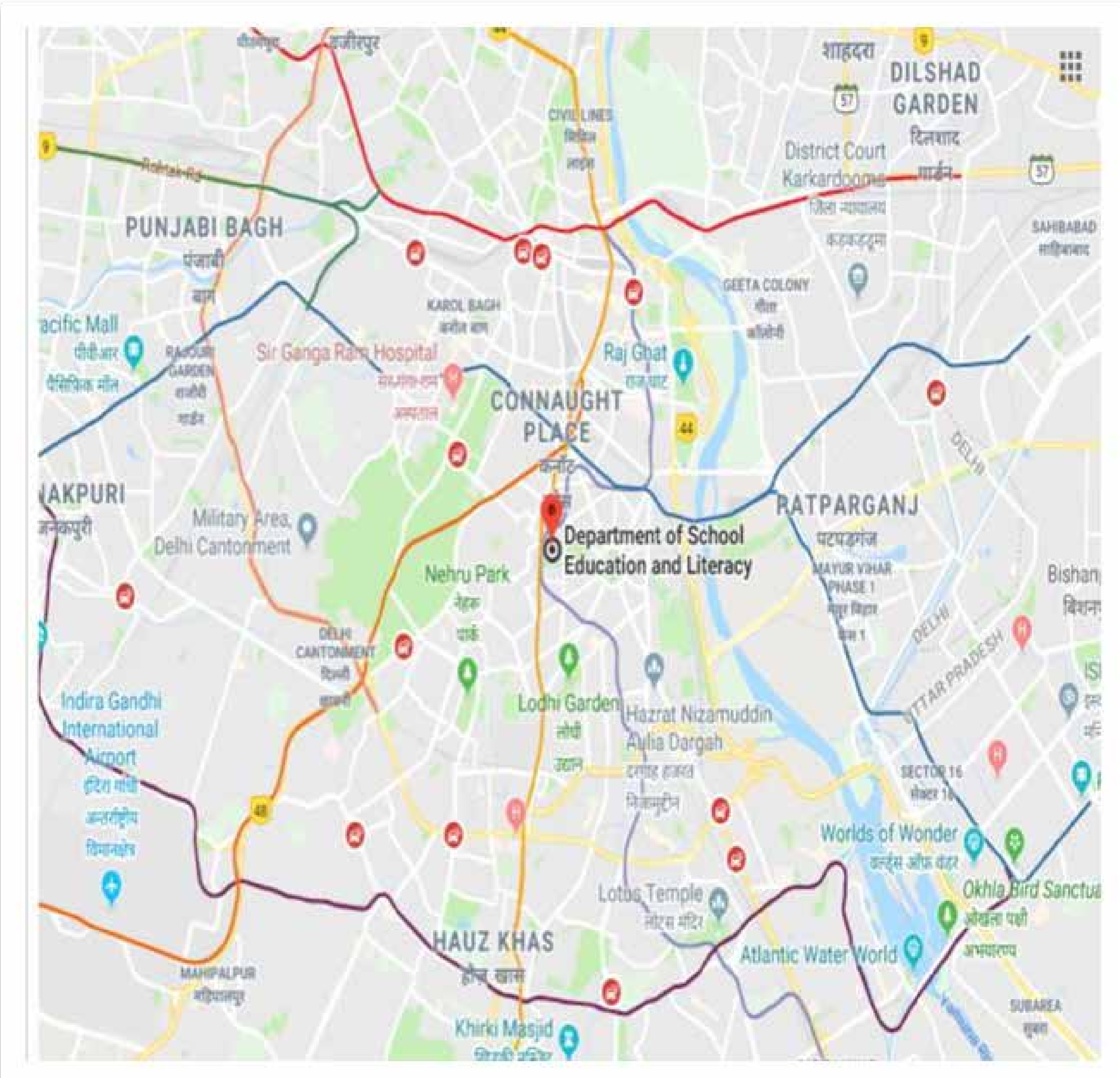

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में
पदधारकगण
एडसिल (इण्डिया) लि.

प्रिय सदस्यों,

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 38वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ लेखों के लेखापरीक्षित विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए आपके निदेशकों को बहुत प्रसन्नता हो रही है।

2018–19 की पूर्वव्याप्ति में

क. वित्तीय समीक्षा:

इस वर्ष कंपनी के व्यवसाय के प्रदर्शन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई क्योंकि प्राप्त राजस्व के आंकड़े वित्त वर्ष 18–19 के दौरान सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। आपकी कंपनी ने 2015–16 से अपनी विकास यात्रा जारी रखी और वित्त वर्ष 16 में पंजीकृत टर्नओवर को चौगुना कर दिया है।

वर्ष के संबंध में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के मुख्य आकर्षण, जैसा कि लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण में कहा गया है, पिछले वर्ष के लिए इसी प्रदर्शन के साथ निम्नानुसार हैं

वित्तीय प्रदर्शन **(करोड़ में जब तक कहा नहीं जाता)**

विवरण		समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष	आंतर	
राजस्व		31 मार्च 2018	31 मार्च 2018	पूर्ण	सापेक्ष
संचालन से राजस्व	(ए)	317.27	288.71	28.56	10%
प्रत्यक्ष व्यय					
परियोजना व्यय		130.49	103.55	26.95	26%
स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद		112.88	81.59	31.29	38%
आविष्कारों में परिवर्तन		-1.69	17.57	-19.26	-110%
कर्मचारी लाभ व्यय		23.60	27.53	-3.93	-14%
कुल	(बी)	265.28	230.24	35.05	15%
संचालन से लाभ	(सी)	51.98	58.47	-6.49	-11%
अप्रत्यक्ष व्यय					
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		0.55	0.49	0.05	11%
अन्य व्यय		9.63	7.89	1.74	22%

विवरण		समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष	आंतर	
राजस्व		31 मार्च 2018	31 मार्च 2018	पूर्ण	सापेक्ष
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय		0.99	0.69	0.30	44%
कुल	(घ)	11.17	9.08	2.09	23%
अप्रत्यक्ष आय	(ड.)	3.96	5.47	-1.50	-27%
पूर्व अवधि की मदें (शुद्ध)	(च)	1.00	-0.04	1.03	-2938%
विशेष मदें	(छ)	-0.01	-0.02	0.01	-54%
ईबीआईटीए		44.33	55.41	-11.08	-20%

खंड विश्लेषण **(करोड़ में जब तक कहा नहीं जाता)**

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2019	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018
व्यवसाय खंडों के आधार पर बाहरी ग्राहकों से राजस्व		
डिजिटल शिक्षा प्रणाली	125.26	116.67
ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएँ	121.69	110.46
तकनीकी सहायता समूह	47.59	46.92
अन्य	22.70	14.65
कुल	**317.26**	**288.71**
व्यावसायिक क्षेत्रों के आधार पर व्यय		
डिजिटल शिक्षा प्रणाली	103.18	92.15
ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएँ	78.52	57.56
तकनीकी सहायता समूह	42.17	41.47
अन्य	17.80	11.51
कुल	**241.68**	**202.70**
पहचान किए गए व्यवसाय खंडों का शुद्ध परिणाम		
डिजिटल शिक्षा प्रणाली	22.08	24.51
ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएँ	43.17	52.90
तकनीकी सहायता समूह	5.42	5.44
अन्य	4.89	3.13
कुल	**75.58**	**86.00**
जोड़ें – अन्य आय	3.96	5.46
घटाएं – अनावंटित व्यय	35.76	36.55

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2019	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018
कर पूर्व शुद्ध लाभ	**43.78**	**54.91**
घटाएं – कर व्यय	**13.70**	**18.95**
कर पश्चात लाभ	**30.08**	**35.95**

लाभांश:

वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए 6 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश घोषित किया है और भुगतान किया है। इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2018–19 के संबंध में 35/– रुपए प्रति शेयर का अंतिम लाभांश (प्रति शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये) देने की सिफारिश की है, जो लाभांश वितरण कर को छोड़कर 3.5 करोड़ रुपए है। हालांकि, अंतिम लाभांश का भुगतान कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। इस लाभांश का भुगतान करने के बाद, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय को लाभांश के लिए जमा राशि रु. 60.85 करोड़। अंतरिम लाभांश सहित वर्ष 18–19 के लिए लाभांश 9.5 करोड़ रुपये है।

बोनस शेयरों का आवंटन:

डीआइपीएएम के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में कंपनी ने 01 मार्च, 2019 को मौजूदा शेयरधारकों को 8 करोड़ रुपये के बोनस इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। इस प्रकार, कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 2 करोड़ रुपए से बढ़कर 10 करोड़ रुपए हो गई है।

ख. परिचालन समीक्षा

कंपनी ने वित्त वर्ष 2018––19 के दौरान 317.26 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड कारोबार दर्ज किया और पिछले दो वर्षों में प्राप्त राजस्व ऊंचाइयों में और भी वृद्धि करने में सफल रही है।

चालू वर्ष में कंपनी ने पिछले वर्ष में 288.71 करोड़ रुपये के कारोबार की तुलना में चालू वर्ष में 317.26 करोड़ रुपये के कारोबार के साथ 43.78 करोड़ रुपए का कर पूर्व शुद्ध लाभ प्राप्त किया। परियोजना का सार अनुबंध XIII में दिया गया है। डिजिटल शिक्षा सेवा और ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन प्रभाग कंपनी के प्रमुख कार्यक्षेत्र के रूप में उभरे हैं। ओटीएएस द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में 100 से अधिक शहरों में फैले देश के प्रमुख और दूरस्थ स्थानों पर ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षण आयोजित करके कर्मियों का चयन शामिल है। इसमें उड्डयन से लेकर, रेलवे, कोयला, शिक्षा, वित्तीय सेवा और पावर यूटिलिटीज तक क्षेत्र शामिल किए गए हैं। कंपनी ने एम्स, डीएफसीसीआईएल और ईएसआईसी सहित अनेक ग्राहकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी द्वारा किए गए ऑनलाइन परीक्षणों में लगभग 1.7 मिलियन संभावनावार उपस्थित हुए। यह माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए 'डिजिटल इण्डिया' के विषय का सीधा समर्थन करता है।

कंपनी ने संस्थानों की नेटवर्किंग, वर्चुअल क्लासरूम, डिजिटलीकरण, स्मार्ट क्लासरूम, ओपन लर्निंग आदि सहित डिजिटल शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और शैक्षिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में और अधिक टर्न–की परियोजनाओं (प्रोजेक्ट्स उपयोग के लिए पूरी तरह तैयार करके समर्पित परियोजनाएं) पर कार्य कर रहा है। इन प्रयासों आने वाले वर्षों में उच्च राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

अधिक संख्या में ऑर्डर प्राप्त होने के कारण खरीद सेवाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। कंपनी ने एजुकेशन प्रोक्योरमेंट डिवीज़न के तहत आपूर्ति किए जा रहे विभिन्न उत्पादों को

सूचना प्रौद्योगिकी और प्रयोगशाला उपकरणों तथा फर्नीचर आदि के दायरे में लाते हुए विस्तार किया है।

सलाहकार व्यवसाय से टर्नओवर 1.70 करोड़ रुपये था। जिन क्षेत्रों को कार्यक्षेत्र के दायरे में लाया गया है, उनमें शिक्षा, विमानन, रेलवे, एमएसएमई और वाणिज्य क्षेत्र शामिल है।

विदेशों में भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना कंपनी के प्रमुख क्षेत्रों में से एक रहा है। 'स्टडी इन इण्डिया' अभियान के तहत विदेशी छात्रों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अभियान चलाया गया है।

ग. निदेशकों की बैठकें

निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन का विवरण **'अनुबंध–I'** में रखी गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल ने तीन बार मुलाकात की, जिसका ब्यौरा इस रिपोर्ट के साथ संलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है, जो वार्षिक रिपोर्ट का भाग है। किन्हीं दो बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

घ. वार्षिक विवरणी का सार

यह **'अनुबंध–II'** में दिया गया है।

ड. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

(क) वार्षिक लेखे तैयार करते समय, तात्विक रूप से अनुसरण न किए जाने से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ–साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें नियमित रूप से लागू किया है और उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों के संबंध में सही और निष्पक्ष स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ और हानि दर्शायी जा सके।

(ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति के संरक्षण और धोखा–धड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए कंपनी–अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को लाभकारी कारोबार वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किया है।

(ड़) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणाली पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी।

च. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के संदर्भ में, प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक द्वारा यह कहते हुए आवश्यक घोषणा दी गई है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) में प्रदत्त स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है और इसें बोर्ड द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया था।

छ. सांविधिक लेखापरीक्षक और सीएजी लेखा परीक्षा

सांविधिक लेखापरीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है। उनके द्वारा जारी टिप्पणियों के उत्तर और उनकी योग्यता तक सीएचएजी की अनुपूरक लेखा परीक्षा टिप्पणियां **'अनुबंध–III'** में दी गई हैं।

ज. सचिवालय लेखापरीक्षा

कंपनी सचिवों की एक फर्म द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार सचिवालय लेखापरीक्षा की गई है। विनिर्दिष्ट प्रारूप में रिपोर्ट, उनके द्वारा जारी टिप्पणियों के उत्तर और उनकी योग्यता **'अनुबंध–IV'** में दी गई हैं।

झ. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–186 के तहत उल्लिखित किसी भी पक्ष के साथ कोई ऋण, गारंटी या समझौता नहीं किया गया था।

ञ. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण:

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट **'अनुबंध–V'** में दी गई है।

ट. जिस वित्तीय वर्ष के संबंध में वित्तीय विवरण है, उसके अंत में और उसकी रिपोर्ट की तारीख को कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई है।

ठ. कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जो ऐसे जोखिमों के तत्वों की पहचान करने में सहायता करती है, जिनसे कंपनी के अस्तित्व को खतरा हो सकता है।

ड. कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए निर्धारित 99.46 लाख रुपये के व्यय की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018–19 में 99.34 लाख रुपये का व्यय किया है। इसका विवरण को **'अनुबंध–VI'** में शामिल किया गया है।

ढ. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाना, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय प्रतिशत

क. कंपनी ने स्थापित सौर मॉड्यूल द्वारा उत्पादित ऊर्जा का उपयोग करके और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तकनीक को अपनाते हुए, ई–टेंडरिंग और ई–ऑफिस की शुरुआत की और ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया।

ख. कंपनी ने 'मध्यम अवधि की रणनीति' को लागू करने के लिए विश्व स्तर पर प्रशंसित कंसल्टेंसी फर्म को काम पर रखा है। मध्यम अवधि की रणनीति में मानक संचालन प्रक्रियाओं को डिजाइन करने सहित कई प्रक्रिया परिवर्तन शामिल हैं।

ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय का विवरण **'अनुबंध–VII'** में दिया गया है।

ण. कंपनी ने सामान्य आरक्षित कराधान के बाद 10% लाभ और कर्मचारी कल्याण निधि में कराधान के बाद 0.50 प्रतिशत लाभ का प्रस्ताव रखा है।

प. वर्ष 2018–19 के लिए समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि **'अनुबंध–VII'** में दर्शायी गयी है।

फ. सतर्कता तंत्र:

कंपनी एक उच्च नैतिक और पारदर्शी इकाई के रूप में पहचाने जाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, प्रणाली में सुधार पर जोर देने के साथ निवारक सतर्कता सहित नियमित सतर्कता की पहल की गई। श्री पी. के.एस. सिसोदिया ने वर्ष के दौरान 15.03.2019 तक अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्यभार संभाला। इसके बाद श्री एस. के. घड़ियाल, निदेशक (सीयू) और एमएचआरडी ने कंपनी के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्यभार संभाला।

ब. वर्ष 2018–19 के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली है तथापि, वर्ष 2017–18 के दौरान दर्ज कराई गई, यौन उत्पीड़न की एक शिकायत की सुनवाई वर्तमान में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है।

भ. मानव संसाधन नियम–पुस्तिका

कंपनी ने मानव संसाधन नियम–पुस्तिका तैयार की है। कंपनी की उभरती आवश्यकताओं के आधार पर समय–समय पर इसमें संशोधन किया जा रहा है।

म. कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (ई–पीएमएस)

एडसिल ने अधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) लागू की है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य संगठन के कार्यनिष्पादन उद्देश्यों व्यक्तिगत कार्यनिष्पादन उद्देश्यों को व्यवसाय मूल्य श्रृंखला से जोड़ने की प्रक्रिया को स्वचालित बनाना है। कंपनी कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन को एक उद्देश्यपूर्ण, पारदर्शी और पूर्वाग्रह मुक्त प्रक्रिया बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। कार्यनिष्पादन के आकलन अधिकारियों के विकास और करियर प्रबंधन से जुड़े हैं। पीएमएस सभी अधिकारियों की योग्यता में वृद्धि और नैतिक मूल्यों के विकास का ध्यान भी रखता है।

य. आरक्षण नीतियों का कार्यान्वयन

एडसिल भर्ती में एससी/एसटी/ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए तथा पदोन्नति में एससी और एसटी के लिए आरक्षण, छूट और रियायत संबंधी राष्ट्रपति के निदेशों और भारत सरकार के आदेशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिनांक 31.03.2018 को एससी और एसटी और ओबीसी कर्मचारियों का कुल जनशक्ति में समग्र प्रतिनिधित्व क्रमश प्रतिशत 25, 4 और 24 था।

र. प्रशिक्षण और विकास

समग्र संगठनात्मक रणनीति के साथ संरेखण और व्यक्तिगत और संगठनात्मक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, वर्ष के दौरान कार्यक्रमों की सूची वाला एक वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–2019 के दौरान अंतिम उपयोगकर्ता को कुल 502 कार्यदिवस का प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

ल. राष्ट्रपति के निर्देश

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचले स्तर के अधिकारियों और यूनियन में शामिल पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन के संबंध में एफ.सं0.18–35/2017–टीसी के माध्यम से दिनांक 15 नवंबर, 2017 को जारी राष्ट्रपति के निर्देशों को जिसे एडसिल में दिनांक 01.01.2017 से लागू किया गया था।

व. अभारोक्तियाँ

निदेशक मंडल वर्ष 2018–19 के दौरान पूरी ईडीसीआईएल टीम के सदस्यों के द्वारा कम्पनी की उपलब्धियों को हासिल करने में किए गए निष्ठावान प्रयासों और मूल्यवान सेवाओं के रूप में दिए गए योगदान के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल की ओर से, मैं मानव विकास संसाधन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विदेश स्थित भारत के मिशनों और अन्य हितधारकों के द्वारा कम्पनी को प्रदान किए गए कीमती मार्गदर्शन, समर्थन और सहयोग के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं निदेशक मंडल के प्रति भी कम्पनी के विकास के लिए उनके निरंतर सुझाओं और अमूल्य योगदान के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

हम विशेष रूप से सीएजी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्राधिकारियों, बैंकरों, ग्राहकों, विक्रेताओं, सहयोगी कम्पनियों, आन्तरिक लेखा परीक्षकों, अंशधारकों और सभी आप सभी उपस्थित जनों का धन्यवाद हम पर निरंतर भरोसा बनाए रखने के लिए करते हैं।

बोर्ड के आदेश से
कृते एवं बोर्ड की ओर से

हस्ता. /–
(मनोज कुमार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08636099

तिथि: 16 दिसम्बर, 2019
स्थान: दिल्ली

निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध

अनुबंध– 1

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में एक संक्षिप्त विवरण

कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सैद्धांतिक प्रक्रिया और संरचना प्रदान करता है, जिसके माध्यम से कंपनी के उद्देश्यों, उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन और निगरानी निष्पादन की प्रणाली निर्धारित की जाती है। यह कंपनी के प्रबंधन, उसके बोर्ड, उसके शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के बीच संबंधों की स्पष्ट व्याख्या करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाना और अधिकतम करना और ग्राहकों, कर्मचारियों और व्यापक स्तर पर समाज जैसे अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करना है ताकि सभी के घटकों बीच भरोसे और विश्वास का वातावरण बनाया जा सके।

कंपनी का दर्शन

कंपनी का दर्शन पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही, गोपनीयता, नियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रकटन और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है, जो कानूनों, विनियमों और दिशा–निर्देशों की पूरी तरह से पुष्टि करता है।

कंपनी की सुपरिभाषित रूपरेखा है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता।

2. निदेशक मंडल:

2.1 एडसिल के निदेशक मंडल की अनुमोदित संरचना इस प्रकार है:

- अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय से एक नामिती।
- विदेश मंत्रालय से एक नामिती।
- चार स्वतंत्र गैर–सरकारी निदेशक

2.2 बोर्ड की शक्ति

रिपोर्ट की तिथि को कंपनी के निदेशक मंडल की कुल संख्या पांच है, जिसमें एक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) से एक अंशकालिक नामित निदेशक, विदेश मंत्रालय (विदेश मंत्रालय) से एक अंशकालिक नामित निदेशक और दो स्वतंत्र/गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक शामिल हैं। वर्तमान में दो स्वतंत्र निदेशकों के पद रिक्त हैं। कंपनी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से दो स्वतंत्र अंशकालिक निदेशकों की रिक्तियों को भरने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्तर को बढ़ाने के लिए बोर्ड स्तर पर निदेशक (व्यापार विकास) के एक पद के सृजन का प्रस्ताव किया है।

2.3 बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान निदेशक मंडल ने कामकाज के संबंध में तीन बार बैठक की और बोर्ड बैठकों से संबंधित डीपीई दिशा–निर्देशों के साथ पढ़े गए। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन किया है। निदेशक की अनुपस्थिति के सभी मामलों

में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167 (1) की उप धारा (1) के खंड (जी) के तहत अनुपस्थिति का अवकाश प्रदान किया गया था। एडसिल के निदेशक मंडल की बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की गई थीं जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है प्रतिशत

क्र. सं.	बैठक सं.	तिथि
1.	158वीं बैठक	13 जुलाई 2018
2.	159वीं बैठक	02 नवंबर 2018
3.	160वीं बैठक	01 मार्च 2019

निदेशक का नाम	158वीं	159वीं	160वीं
श्री दिप्तीमान दास	हां	हां	हां
श्री प्रशांत अग्रवाल	हां	हां	हां
प्रो. ई. वायुनंदन	नहीं	नहीं	हां
डॉ. हर्षद ए. पटेल	हां	हां	हां
सुश्री नूतन कपूर महावर, विदेश मंत्रालय की नामित सदस्या	नहीं	नहीं	नहीं

2.4 वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान बोर्ड बैठक के लिए स्वतंत्र निदेशकों को दी जाने वाली सिटिंग फीस का विवरण।

निदेशक मंडल द्वारा तय की गई सिटिंग का भुगतान स्वतंत्र निदेशकों को किया जाता है जिसका ब्यौरा इस रिपोर्ट में अनुबंध–2 में दिया गया है।

3. लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति

सार्वजनिक उद्यम विभाग से प्राप्त कार्यालय ज्ञापन सं 18 (8)/2005–जीएम दिनांक 14 मई, 2010 के माध्यम से प्राप्त केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसरण में एडसिल के निदेशक मंडल ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया। समिति का प्राथमिक कार्य वित्तीय रिपोर्ट, वित्त और कंपनियों की लेखापरीक्षा, लेखा और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के बारे में आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली की समीक्षा करके अपने दायित्वों को पूरा करने में निदेशक मंडल की सहायता करना है। लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करती है, सांविधिक लेखा परीक्षकों से मिलती है और उनके निष्कर्षों के सुझाव और अन्य संबंधित मामले पर चर्चा करती है और कंपनी द्वारा अपनाई जा रही प्रमुख लेखा नीतियों की समीक्षा भी करती है।

विचारार्थ विषय:

लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीपीएसई के कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

3.1 लेखापरीक्षा समिति की संरचना और शक्ति

- लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक : प्रो (डॉ) ई. वायुनंदन
- समिति के सदस्य के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक : डॉ. हर्षद ए. पटेल
- समिति के सदस्य के रूप में एमएचआरडी का एक नामित निदेशक : श्री प्रशांत अग्रवाल

3.2 क. वित्त वर्ष 2018–2019 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति:

क्र. सं. और बैठक की तिथि निदेशक उपस्थित/अनुपस्थित	16वीं बैठक (13.07.2018)	17वीं बैठक (02.11.2018)	18वीं बैठक (01.03.2019)	19वीं बैठक (27.03.2019)
प्रो. ई. वायुनंदन (दिनांक 07.02.2017 से अध्यक्ष)	नहीं उपलब्ध नहीं	नहीं	हां	हां
डॉ. हर्षद ए. पटेल (सदस्य)	हां	हां	हां	हां
श्री प्रशांत अग्रवाल (सदस्य)	हां	हां	हां	हां

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एडसिल ने 2018–19 के दौरान पारिश्रमिक समिति का गठन किया है, जिसमें तीन अंशकालिक निदेशक अर्थात नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। इस समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक करते हैं।

(क) पारिश्रमिक समिति की संरचना, अध्यक्ष और सदस्यों का नाम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन इस प्रकार किया था :–

1. डा. हर्षद ए पटेल, स्वतंत्र निदेशक–समिति के अध्यक्ष
2. प्रो. ई. वायुनंदन, स्वतंत्र निदेशक–सदस्य
3. श्रीमती मालती नारायणन, एमएचआरडी नामित निदेशक–सदस्य

3.2 ख) नामांकन और सदस्यों की उपस्थिति वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान पारिश्रमिक समिति की बैठक

क्र. सं. और बैठक की तिथि निदेशक उपस्थित/अनुपस्थित	4थी बैठक (दिनांक 13.07.2018)
डॉ हर्षद ए. पटेल (समिति के अध्यक्ष)	हां
प्रो. ई. वायुनंदन (सदस्य)	हां
श्री प्रशांत अग्रवाल (सदस्य)	हां

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति:

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और स्थिरता, कंपनी की अपने हितधारकों के साथ आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से कारोबार करने की प्रतिबद्धता है, जो नैतिक और पारदर्शी हो। हितधारकों में कर्मचारी, निवेशक, शेयरधारक, ग्राहक, व्यापार में भागीदार, ग्राहक, नागरिक समाज समूह, सरकारी और गैर–सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण और समाज शामिल हैं।

प्रत्येक सीपीएसई में सीएसआर के कार्यान्वयन और कंपनी की सतत नीतियों की देखरेख करने और कंपनी के इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतियों और रणनीतियों को बनाने के लिए निदेशक मंडल की सहायता करने के लिए डीपीई द्वारा जारी किए गए वांछित दिशा–निर्देश के अनुसार एक बोर्ड स्तर की समिति होना आवश्यक है, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष और/या प्रबंध निदेशक या एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाए।

दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड ने कंपनी के अधिनियम, 2013 की शुरूआत के पहले और बाद में सीएसआर और स्थिरता समिति का गठन किया, सीएसआर समिति का गठन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया था।

(क) सीएसआर समिति की संरचना

सीएसआर समिति का गठन एडसिल के निदेशक मंडल द्वारा किया गया था, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं और इसका नेतृत्व एक गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) करता है:

1. डॉ. हर्षद ए पटेल, स्वतंत्र निदेशक–समिति के अध्यक्ष
2. प्रो. ई. वायुनंदन, स्वतंत्र निदेशक–सदस्य
3. श्री प्रशांत अग्रवाल एमएचआरडी से नामित निदेशक–सदस्य

3.2. ग) वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी सामाजिक दायित्व (सीएसआर) बैठक में सदस्यों की उपस्थिति

क्र. सं. और बैठक की तिथि निदेशक उपस्थित/अनुपस्थित	5वीं बैठक (दिनांक 13.07.2018)
डॉ. हर्षद ए. पटेल (समिति के अध्यक्ष)	हां
सुश्री नूतन कपूर महावर (सदस्य)	नहीं
प्रो. ई. वायुनंदन (सदस्य)	हां

3.3. सचिवालीय मानक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118 (10) के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठक में सचिवालयी मानक (एसएस–1) और आम बैठकों के संबंध में सचिवालयी मानक (एसएस–2) का पालन किया गया है।

4. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण:

कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक पर की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए पारिश्रमिक का विवरण इस रिपोर्ट के अनुबंध–2 में दिया गया है।

5. समान्य बैठकें

5.1 वार्षिक समान्य बैठकें (एजीएम)

कंपनी की वार्षिक समान्य बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाती है, जहाँ कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित ऐसी बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	स्थान	तिथि	समय
वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए 35वीं वार्षिक समान्य बैठक	सचिव (उच्च शिक्षा) का कार्यालय, एमएचआरडी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	28.09.2016	15:30 बजे
वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 36वीं वार्षिक समान्य बैठक	सचिव (उच्च शिक्षा) का कार्यालय, एमएचआरडी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	26.09.2017	13:00 बजे
वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 37वीं वार्षिक समान्य बैठक	सचिव (उच्च शिक्षा) का कार्यालय, एमएचआरडी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	28.09.2018	17:00 बजे

पिछली तीन वार्षिक समान्य बैठकों में पारित विशेष संकल्पों का विवरण

वार्षिक समान्य बैठक	वित्तीय वर्ष	विशेष संकल्पों की विषय–वस्तु	तिथि
35वीं	2015–16	कोई संकल्प पारित नहीं हुआ	28.09.2016
36वीं	2016–17	ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम में संशोधन	26.09.2017
37वीं	2017–18	कोई संकल्प पारित नहीं हुआ	28.09.2018

6. व्यापार आचरण और आचार संहिता

कंपनी में बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ स्तर के प्रबंधन के लिए निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक आचार संहिता है। बोर्ड ने 29.08.2011 को आयोजित निदेशक मंडल की 126वीं बैठक के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता को मंजूरी दी थी।

7. संचार के माध्यम

कंपनी अपने वार्षिक रिपोर्ट, सामान्य बैठकों और वेबसाइट पर प्रकटन के माध्यम से अपने शेयर धारकों के साथ संवाद करती है। लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणामों पर एडसिल की वेबसाइट www.edcilindia.co.in पर प्रदर्शित किए जाते हैं। टेंडर/रूचि की अभिव्यक्ति के संबंध में अद्यतन सूचना, निविदाओं/सौंपी गई संविदाओं के विवरण, प्रेस विज्ञप्ति, कंपनी के मिशन और उद्देश्यों को कंपनी की वेबसाइट पर एक्सेस किया जा सकता है।

8. बोर्ड के सदस्यों का अभिमुखीकरण

बोर्ड के सदस्यों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सर्वोत्तम प्रथाओं से परिचित कराने के लिए, वर्तमान में निगम ने बोर्ड में शामिल होने पर निदेशकों को दस्तावेजों/पुस्तिकाओं का एक सेट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को अपनाया है। प्रदान किए गए दस्तावेजों के सेट में पिछले वित्तीय वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें, ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम, समझौता ज्ञापन की एक प्रति और समझौता ज्ञापन के लक्ष्य और उपलब्धियां शामिल हैं। यह पदग्राही को कंपनी के बारे में मूल जानकारी प्रदान करता है।

9. व्हिसल ब्लोअर नीति

निगम द्वारा सीवीसी नीति के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहल के तहत एक व्हिसल ब्लोअर नीति अपनाई गई है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि एक वास्तविक व्हिसल ब्लोअर को किसी भी अत्याचार से सुरक्षा प्रदान की जाए।

10 कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमाण पत्र

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के बारे में एक अभ्यासरत कंपनी सचिव का प्रमाणपत्र वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है और इसे अनुबंध–9 के रूप में संलग्न किया गया है।

11. निदेशकों की प्रोफाइल

कंपनी के निदेशकों के प्रोफाइल अनुबंध–10 के रूप में संलग्न है।

वैधानिक प्रकटीकरण

कॉरपोरेट गवर्नेंस की सर्वोत्तम प्रथाओं और डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित प्रकटन किए जाते हैं :–

(क) तात्विक महत्व के पार्टी लेनदेन

कंपनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निदेशकों या वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों के साथ किसी भी तात्विक महत्व का पार्टी लेनदेन में प्रवेश नहीं किए हैं, जिससे कंपनी के हितों की किसी भी प्रकार से हानि हो। वर्ष 2017–18 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में संबंधित पार्टी के साथ किसी भी संविदा या व्यवस्था के संबंध में कोई कार्यसूची नहीं रखी गयी

थी। संबंधित पार्टी लेनदेन नीति के अनुसार, दो सरकारी कंपनियों और धारक कंपनी और सहायक कंपनी के बीच लेनदेन की छूट दी गई है। विवरण अनुलग्नक–11 (क) के रूप में संलग्न हैं।

(ख) कंपनी द्वारा कानूनों के अनुपालन का विवरण

कंपनी, कंपनी पर लागू विभिन्न कानूनों के अनुपालन की निगरानी कर रही है और कंपनी द्वारा अनुपालन न करने के संबंध में बोर्ड को कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं मिली है, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशानिर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर किसी प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर लगाए गए जुर्माने, सख्ती की सूचना कंपनी को दी जाती है।

(ग) व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच:

कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति तक पहुँच प्रदान की गई है।

(घ) कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन

निदेशक मंडल, लेखापरीक्षा समिति, प्रकटीकरण, रिपोर्ट, आचार संहिता आदि के संबंध में इन दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में अभ्यासरत कंपनी सचिव का एक प्रमाण–पत्र इस रिपोर्ट में अनुलग्नक–1 के रूप में दिया गया है। एमएचआरडी द्वारा दो और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जानी है। एडसिल ने एमएचआरडी को स्वतंत्र निदेशकों की लंबित नियुक्तियों की स्थिति से अवगत कराया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन पर त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट, निर्धारित प्रारूप में नियमित रूप से अपर सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजी गई है।

(ड.) उपगत व्यय का विवरण

लेखा बहियों में घटाए गए व्यय की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, जो सीएसआर पर व्यय को छोड़कर व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं हैं। घटाए गए व्यय व्यक्तिगत प्रकृति के हो और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए वयय किए गए हो, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। वार्षिक लेखा के विवरण में प्रशासनिक कार्यालय के व्ययों का विवरण दिया जाता है।

(च) प्रबंधकीय कार्मिक के पारिश्रमिक आदि का विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 5 (2) प्रबंधकीय कार्मिक के पारिश्रमिक आदि की जानकारी और विवरण **अनुलग्नक–XI** (ख) में दिए गए हैं।

अनुबंध–II

फार्म संख्या एमजीटी–9

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में

I. पंजीकरण और अन्य विवरण–

i.	निगम पहचान संख्या (सीआईएन)	यू 74899डीएल1981जीओआई011882
ii.	पंजीकरण की तारीख	17–06–1981
iii.	कंपनी का नाम	एडसिल इण्डिया लिमिटेड
iv.	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	कंपनी शेयर द्वारा लिमिटेड सरकारी कंपनी
v.	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क सूत्र	5वीं मंजिल, विजया बिल्डिंग, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली–110001
vi.	क्या सूचीबद्ध कंपनी है?	नहीं
vii.	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण	लागू नहीं।

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां

(कंपनी के कुल कारोबार का 10 प्रतिशत या उससे अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियां बताई जाएँ)

क्र. सं.	मुख्य उत्पाद/सेवा का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का प्रतिशत
1	डिजिटल शिक्षा प्रणाली (डीईएस)		39.48
2	शिक्षा सेवा (ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवा)	9992	38.36
3	तकनीकी सहायता समूह		15.00

III. धारक, सहायक और संबद्ध कंपनियों का ब्यौरा

क्रसं	कम्पनी का नाम एवं पता	सीआईएन/ जीएलएन	होल्डिंग/सहायक कंपनी/एसोसिएट	धारित शेयर का प्रतिशत	लागू खंड
शून्य					

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विभाजन)

i. श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी		वर्ष की शुरुआत में रखे गए शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में रखे गए शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान बदलाव प्रतिशत में
		डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क)	**प्रमोटर**									
1)	**भारतीय**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क)	व्यक्ति/एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख)	केन्द्रीय सरकार	-	200000	200000	100	-	1000000	1000000	100	-
ग)	राज्य सरकार (राज्य सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ)	निकाय कॉर्पोरेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड़)	बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च)	अन्य									
उप कुल क (1)			200000	200000	100	-	1000000	1000000	100	-
2)	**विदेशी**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क)	एनआरआई व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख)	अन्य व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग)	निकाय कॉर्पोरेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ)	बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड़)	अन्य	-		-	-	-	-	-	-	-
उप कुल क (2)			200000	200000	100		1000000	1000000	100	
ख)	**सार्वजनिक शेयरधारिता**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	**संस्थागत**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क)	म्युचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख)	बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग)	केन्द्रीय सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ)	राज्य सरकार (राज्य सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड़)	वेंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च)	बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ)	एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज)	विदेशी वेंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ)	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (ख) (1)			200000	200000	100	-	1000000	1000000	100	-
2. गैर संस्थागत		-	-	-	-	-	-	-	-	-

शेयरधारकों की श्रेणी		वर्ष की शुरुआत में रखे गए शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में रखे गए शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान बदलाव प्रतिशत में
		डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क)	निकाय कॉर्पोरेशन									
(i)	भारतीय									
(ii)	विभिन्न देशों में		-	-	-	-	-	-	-	-
ख)	व्यक्ति									
(i)	व्यक्तिगत शेयरधारक जिनके पास 1रु. लाख तक की छोटी शेयर पूंजी है									
(ii)	जिनके पास 2 रु. लाख तक की छोटी शेयर पूंजी है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग)	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (ख) (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख) (1)+(ख) (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
जीडीआर और एडीआर के अभिरक्षक के पास रखे शेयर		-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग =(क)+(ख)+(ग)		-	200000	200000	100		1000000	1000000	100	-

ii. प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में गए शेयर होल्डिंग			शेयरधारक का नाम	वर्ष के अंत में गए शेयर होल्डिंग			वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में बदलावः
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर काः	गिरवी रखे/ ऋण ग्रस्त शेयर कुल शेयरों काः		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर काः	गिरवी रखे/ ऋण ग्रस्त शेयर कुल शेयरों काः	
1	भारत के राष्ट्रपति	199988	99.99400	-	भारत के राष्ट्रपति	999910	99.9910	-	-0.003
2	श्री केवल कुमार शर्मा, सचिव (एचई)	3	0.00150	-	डॉ. एन श्रवण कुमार, जेएस (आईसीसी और दूरसंचार	15	0.00150	-	0.000
3	श्री आर सुब्रह्मण्यम, अतिरिक्त सचिव (टीई)	3	0.00150	-	श्री आर सुब्रह्मण्यम, सचिव (एचई)	15	0.00150	-	0.000
4	श्रीमती दर्शना एम. डबराल, जेएस एण्ड एफए	3	0.00150	-	श्रीमती दर्शना एम. डबराल, जेएस एण्ड एफए	15	0.00150	-	0.000

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में गए शेयर होल्डिंग			शेयरधारक का नाम	वर्ष के अंत में गए शेयर होल्डिंग			वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में बदलावः
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर काः	गिरवी रखे/ ऋण ग्रस्त शेयर कुल शेयरों काः		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर काः	गिरवी रखे/ ऋण ग्रस्त शेयर कुल शेयरों काः	
5	श्रीमती मालती नारायणन, उप सचिव (टीसी)	3	0.00150	-	श्री प्रशांत अग्रवाल, निदेशक (आईआईटी, आईआईआईटी) एमएचआरडी	15	0.00150	-	0.000
6	-	-	-	-	श्री सुखबीर सिंग संधु, एएस (टीई) एमएचआरडी	15	0.00150	-	0.00150
7	-	-	-	-	श्री वीएलवीएसएस सुब्बाराव, वरिष्ठ ईए (एचआरडी) एमएचआरडी	15	0.00150	-	0.00150
	कुल 100/– प्रत्येक	200000	100.000	-	कुल 100/– प्रत्येक	1000000	100.000	-	-

iii. प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें, यदि कोई बदलाव नहीं आया है) –

क्र. सं	विवरण	वर्ष की शुरुआत में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचित शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
	वर्ष की शुरुआत में	200000	100	200000	100
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर होल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी का विवरण। विशेष रूप से इस वृद्धि/ कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन/ स्थानांतरण/ बोनस / स्वेट इक्विटी आदि) प्रतिशत	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	1000000	100	1000000	100

*01.03.2019 को 8,00,000 बोनस इक्विटी शेयर जारी करने के कारण वृद्धि

V. ऋण ग्रस्तता

ब्याज बकाया/उपार्जित लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	सुरक्षित ऋण जमा छोड़कर	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण
वित्त वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता	0	0	0	0
i) मूल राशि				
ii) ब्याज देय किंतु भुगतान नहीं किया गया				
iii) ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं				
कुल (i+ii+iii)	**0**	**0**	**0**	**0**
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में बदलाव				
– जमा				
– कमी				
शुद्ध परिवर्तन	0	0		0
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि				
ii) ब्याज देय किंतु भुगतान नहीं किया गया				
iii) ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं				
कुल (i+ii+iii)	**0**	**0**	**0**	**0**

VI. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र.सं	परिश्रमिक का विवरण	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री दिप्तीमन दास	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	कुल राशि
1.	सकल वेतन क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	31,31,000.00	0	31,31,000.00

	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अनुसार अनुलाभ का मूल्य	0	0	0
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के एवज में मुनाफ	0	0	0
2.	स्टॉक ऑप्शन	0	0	0
3.	स्विट इक्विटी	0	0	0
4.	कमीशन –लाभ के प्रतिशत के रूप में –अन्य को निर्दिष्ट करें	0	0	0
5.	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	28,28,000.00	0	28,28,000.00
6.	कुल (क)	59,59,000.00	0	59,59,000.00
	अधिनियम के अनुसार सीमा (नीचे नोट देखें)			

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र. सं.	परिश्रमिक का विवरण	स्वतंत्र निदेशक का नाम		कुल राशि (रू.में)
		डॉ. हर्षद ए पटेल	श्री ई. वायुनंदन	
1. क)	स्वतंत्र निदेशक बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क - बोर्ड बैठक - समिति की बैठकें	60,000.00 60,000.00	20,000.00 40,000.00	80,000.00 1,00,000.00
ख)	कमीशन	-	-	-
ग)	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-
	कुल (1)	1,20,000.00	60,000.00	1,80,000.00
	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक • बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क • आयोग • अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	0 0	0 0	0

क्र. सं.	परिश्रमिक का विवरण	स्वतंत्र निदेशक का नाम		कुल राशि (रू.में)
		डॉ. हर्षद ए पटेल	श्री ई. वायुनंदन	
	कुल (2)	0 0	0 0	0
	कुल (ख) = (1 + 2)	0	0 0	1,80,000.00
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	0 0	0 0	1,80,000.00
	अधिनियम के अनुसार सीमा			

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/डब्ल्यू टीडी के अलावा अन्य मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक'			
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	कुल
			श्री देवेन्द्र के शर्मा		
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	0	14,97,000.00	0	14,97,000.00
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ का मूल्य				
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के एवज में लाभ				
2.	स्टॉक का विकल्प	0		0	0
3.	उद्यम इक्विटी	0		0	0

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक'			
4.	कमीशन –लाभ के प्रतिशत के रूप में –अन्य को निर्दिष्ट करें	0		0	0
5.	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	0	1,05,000.00	0	1,05,000.00
6.	कुल	0	16,02,000.00	0	16,02,000.00
	अधिनियम के अनुसार सीमा (नीचे नोट देखें)				

*कंपनी की प्रदत्त पूंजी दिनांक 01.03.2019 तक बढकर 10 करोड़ रु हो गई है, इसके बाद केएमपी की नियुक्ति की आवश्यकता थी। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार दिनांक 27.06.2019 से सीएफओ नियुक्त किया गया था।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एडसिल को कंपनी का सीईओ माना जाता है और पारिश्रमिक का उल्लेख ऊपर क्र.सं. 5 (क) में किया गया है।

टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 की कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय की 5 जून 2015 की अधिसूचना के संदर्भ में सरकारी कंपनियों के लिए छूट है।

VII. अपराध का जुर्माना/दंड /दोनो

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना का विवरण / सजा/लगाई गई समझौता फीस	प्राधिकरण (आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय)	अपील यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
जुर्माना					
दंड					
दोनों					
ख. निदेशक					
जुर्माना					
दंड			शून्य		
दोनों					
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
जुर्माना					
दंड					
दोनों					

अनुलग्नक–III

निदेशक की रिपोर्ट का परिशिष्ट

एजुकेशनल कंसल्टेंटस इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं पर शेयरधारकों के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निहित टिप्पणियां और प्रबंधक वर्ग के उत्तर

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियाँ	प्रबंधक वर्ग के उत्तर
1	व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देयताओं और अग्रिमों के बकाया की कई मामलों में काउंटर पार्टियों से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एडसिल द्वारा पुष्टि पत्र जारी किए गए हैं। इस गैर–अनुपालन का वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, निर्धारित नहीं किया जा सकता है।	आमतौर पर सीपीएसई पर अपनाई गई प्रथा के अनुसार, कंपनी ने अपने ग्राहकों और विक्रेताओं को स्पीड पोस्ट द्वारा शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र भेजे थे। पुष्टिकरण पत्र ने प्राप्तकर्ता को स्पष्ट रूप से 10 दिनों के भीतर वैधानिक लेखा परीक्षकों को शेष राशि की पुष्टि करने की सलाह दी थी, अन्यथा यह माना जाएगा कि शेष सही है। कंपनी की जिम्मेदारी केवल शेष राशि की पुष्टि का पत्र भेजने तक है। ऐसे मामलों में जहां काउंटर पार्टियों से पुष्टिकरण प्राप्त नहीं होता है, उसे केवल पुष्टि माना जा सकता है।
2	कंपनी ने पहले के वर्षों से संबंधित सभी आय/ व्यय को बताते हुए ''पूर्व अवधि की मदों'' के बारे में लेखांकन नीति संदर्भ नोट 3.20 बनाया है, जो 50,000/– रुपये से अधिक नहीं है, जो प्रत्येक मामले में चालू वर्ष की आय/व्यय के रूप में माना जाएगा। इस प्रयोजन के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित पूर्वोक्त सीमा एएस–5 द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, ''अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन। ''वित्तीय प्रभाव कंपनी द्वारा अपनाई गई पूर्वोक्त नीति को ध्यान में रखते हुए है जिसकी गणना संभव नहीं है।	वैधानिक लेखा परीक्षक ने लेखांकन नीति की कोई वित्तीय सीमा प्रदान नहीं की है। कंपनी ने लेखांकन नीति बनाई है और कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा अपनी आंतरिक आवश्यकता के अनुसार है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है। इसी तरह का अभ्यास अन्य पीएसयू द्वारा भी किया जाता है।

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियाँ	प्रबंधक वर्ग के उत्तर
3	परियोजनाओं के विरुद्ध प्राप्त अग्रिमों में रु. 183.94 लाख (पिछले वर्ष रु. 78.61 लाख) पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बकाया हैं और पुष्टि के अधीन हैं। हमारी राय में, इस राशि के प्रति उत्तरदायित्व समाप्त हो गया है क्योंकि परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और इस राशि के खिलाफ कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है। इसके परिणामस्वरूप देनदारियों को अधिक बढाकर रु. 183.94 लाख तक और आय को (पिछले वर्ष के रु. 78.61 लाख) तक कम बताया गया है।	कंपनी की प्रासंगिक लेखा नीति इस प्रकार है (पिछले पांच वर्षों या उससे अधिक समय तक प्राप्त/बकाया "देयताएं / अग्रिम, जहां प्रबंधन का विचार है कि वे बैलेंस शीट की तारीख पर अब देय नहीं हैं, वापसी योग्य नही हैं या आवश्यक नही हैं, उन्हें बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। उस तारीख के बाद दावे, यदि कोई हो, दावा किए जाने के वर्ष में घटाया जाता है।" पांच वर्ष से अधिक की 183.94 लाख रु की अग्रिम राशि शेष परियोजनाओं के लिए है, जो या तो निष्पादन के तहत या अंतिम सुलह के तहत हैं। इस प्रकार, देनदारियों को बढाकर और आय को घटाकर नहीं कहा गया है।
4	व्यय के लिए प्रावधानों में 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए देय रु. 143.22 लाख (पिछले वर्ष रु. 58.71 लाख) शामिल है। प्रबंधन गैर निपटान के लिए संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया है। संतोषजनक उत्तर के अभाव में, यह मान लिया गया है कि देनदारियों को रु. 143. 22 लाख रु. तक अधिक बढाकर और कंपनी के लाभ को उस सीमा तक कम बताया गया है (पिछले वर्ष का 58.71 लाख रु.)।	कंपनी लेखा बहियों में बकाया पुरानी राशि की नियमित रूप से की निगरानी कर रही है और चालू वित्त वर्ष 2018–19 में, कंपनी ने 8.64 लाख रु. की राशि को घटाया है, जो आवश्यकता नहीं थी। कुछ प्रावधान कंपनी के विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित हैं और इन पर पुनर्विचार किया जा रहा है। इन्हें समायोजित किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सीएजी की अनुपूरक लेखा परीक्षा टिप्पणियां

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड–IV, नई दिल्ली
Office of the Principal Director of Commercial
Audit & Ex-Officio Member Audit Board-IV, New Delhi

गोपनीय

सं. 805-PDCA/MAB-IV/Company/A/cs/EdCIL/2019-20/ 4749
दिनांक :- 10.10.2019

सेवा में,

The Chairman & Managing Director,
EdCIL (India) Limited,
Plot no. 18A, Film City,
Sector 16A, Noida - 201301

विषय: भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत EdCIL (India) Limited के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां।

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के **EdCIL (India) Limited** के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर **Nil Comment** प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय

संलग्न :यथोपरि

(राजदीप सिंह)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड - IV

आठवाँ व नवाँ तल, सी०ए०जी० संकाय भवन, 10, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002
8th & 9th Floor, CAG Annexe Building, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
दूरभाष / Phone : 23239413, 23239415, 23239419, 23239420 फैक्स / Fax : 91-11-23239416
E-mail : mabnewdelhi4@cag.gov.in

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु एडसिल (इंडिया) लिमिटेड के क्षेत्रीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय सूचना ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए **एडसिल (इंडिया) लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सम्बंधित लेखा परीक्षक लेखा परीक्षक की धारा 143 (50) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षक मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर शून्य करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा उनके द्वारा दिनांक 12 **जुलाई**, 2019 को अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किए जाने का उल्लेख है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) के तहत 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए, **एडसिल (इंडिया) लिमिटेड** के वित्तीय की भावपूर्वक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा संबंधी लेखा परीक्षकों के कार्य पेपरों को प्राप्त किए बगैर स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुक्त रूप से सम्बंधित लेखा परीक्षकों की पूछताछ तथा कंपनी कार्मिकों और कुछ लेखाकार रिकॉर्डो की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षक के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143 (6) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की गई टिप्पणी अथवा अनुपूरक टिप्पणी को बढ़ावा देगा।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 10/10/2020

(राजदीप सिंह)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड - IV

अनुबंध–4

फॉर्म सं. एमआर–3 सचिवाला लेखापरीक्षा रिपोट

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 की नियम संख्या 9 के अनुसार}

सेवा में,

सदस्य,
एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड
5वीं मंजिल, विजया बिल्डिंग
बाराखंभा रोड, नई दिल्ली–110001

हमने एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड (इसके बाद एडसिल /कंपनी कहा जाएगा) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं का पालन करने के संबंध में सचिवाला लेखापरीक्षा आयोजित की है। सचिवाला लेखापरीक्षा इस तरीके से आयोजित की गई थी, जिसने हमें कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया।

सचिवालयी लेखापरीक्षा के दौरान एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फार्म और विवरणी और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड और कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के हमारे सत्यापन के आधार पर, हम इसके द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित सूचीबद्ध सांविधिक उपबंधों का अनुपालन किया है और यह भी कि उसके बाद की गई रिपोर्टिंग और पद्धति के अधीन कंपनी में उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और आवश्यक सीमा तक अनुपालन–तंत्र है:

हमने 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, प्रपत्रों और विवरणी और अन्य अभिलेखों की जांच की है जो है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और उसके तहत बनाए गए नियम (लागू नहीं)

(iii) जमाकर्त्ता अधिनियम 1996 और उसके तहत विनियम एवं उपनियम; (लागू नहीं)

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक (लागू नहीं) इसके तहत बनाए गए नियम और विनियम

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:–

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011 (लागू नहीं)

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992 (लागू नहीं)

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गत) विनियम, 2009 (लागू नहीं)

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 (लागू नहीं)

(ङ.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्ध करना) विनियम, 2008 (लागू नहीं)

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रजिस्ट्रार एक इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स) विनियम, 1993 में कंपनी अधिनियम के बारे में और ग्राहक से निपटना (लागू नहीं)

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की सूची में शामिल करना) विनियम, 2009 (लागू नहीं)

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति का प्रतिक्रय) विनियम, 1998 (लागू नहीं)

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया द्वारा जारी सचिवीय मानक।

(ii) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी द्वारा किए गए लिस्टिंग समझौते (लागू नहीं)

(iii) सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी डीपीई के दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है–

1. एक वित्तीय वर्ष में स्वतंत्र निदेशकों के लिए कम से कम एक अलग बैठक आयोजित करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 4, पैरा सात, उप–पैरा (1) का अनुपालन।

2. सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन, प्वाइंट नंबर 3.3.1 प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक बार बोर्ड की बैठक आयोजित करने के संबंध में और किसी भी दो बैठकों के बीच समय अंतर तीन महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुई निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकें आयोजित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती हैं, कार्यसूची और कार्यसूची की विस्तृत कम से कम 5 दिन पहले भेजी गई थी, बैठक से पहले कार्यसूची की मदों के संबंध में अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

सामान्यतः, बोर्ड की बैठकों आयोजित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यसूची और एजेंडे में विस्तृत नोट कम से सात दिन पहले भेजे गए थे, और पूर्णकालिक निदेशकों से बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड/समिति की बैठक/बैठकों में किए गए सभी निर्णयों को बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों की सर्वसम्मति से लिया गया था और असहमति, यदि कोई हो, को कार्यवृत्त में विधिवत रूप से शामिल किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि: लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

कृते जेके गुप्ता एंड एसोसिएट्स

स्थान: दिल्ली
तिथि : 11.07.2019

जितेश गुप्ता
एफसीएस नंबर 3978
सी पी नं: 2448

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए जो ''अनुबंध क'' के रूप में संलग्न किया गया है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

'अनुबंध क''

सेवा में,

सदस्य,
एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड
5वीं मंजिल, विजया बिल्डिंग
बाराखंभा रोड नई दिल्ली–110001
हमारी रिपोर्ट को समतिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

1. सचिवालय रिकॉर्ड का रखरखाव करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर इन सचिवालय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जैसा कि सचिवाला अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त था। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सही तथ्य सचिवालय अभिलेखों में परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और प्रथाएं हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने समीक्षाधीन अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर भरोसा किया है इसलिए हमने नमूना आधार पर कंपनी के सांविधिक अनुपालन की शुद्धता और औचित्य का सत्यापन किया है। उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित योग्यताएं/टिप्पणियां भी इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

4. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और पुस्तकों की शुद्धता और औचित्य का सत्यापन नहीं किया है।

5. जहां भी आवश्यकता हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के होने के बारे में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

6. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

7. सचिवाला लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता और न ही उसकी प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते जेके गुप्ता एंड एसोसिएट्स

स्थान: दिल्ली
तिथि : 11.07.2019

जितेश गुप्ता एफसीएस नंबर 3978
सी पी नं: 2448

क्र. सं.	सचिवालय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
1	समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, सिवाय निम्नलिखित के – एक वित्तीय वर्ष में स्वतंत्र निदेशकों के लिए कम से कम एक अलग बैठक आयोजित करने संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 अनुसूची – 4, पैरा 7, के उप–पैरा (1) का अनुपालन का अनुपालन।	अनुसूची 4 के पैरा 7 का उप पैरा 3 मुख्यत: गैर–स्वतंत्र निदेशकों, समग्र रूप से बोर्ड और कंपनी के अध्यक्ष के कार्यप्रदर्शन की समीक्षा के संबंध में स्वतंत्र निदेशकों की बैठक से संबंधित है। एडसिल एक सरकारी कंपनी होने के नाते निदेशकों के साथ–साथ कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रशासी मंत्रालय अर्थात एमएचआरडी द्वारा और डीपीई द्वारा कंपनी और एमएचआरडी के बीच समझौता ज्ञापन के माध्यम से किया जाता है। इसलिए इस तरह की बैठक आयोजित करने की जरूरत महसूस नहीं की गई।
2	समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, निम्नलिखित के अलावा– हर तीन महीने में कम से कम एक बार बोर्ड की बैठक आयोजित करने और किसी भी दो बैठकों के बीच समय का अंतर तीन महीने से अधिक नहीं होना चाहिए के संबंध में सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों का बिंदु संख्या 3.3.1 का अनुपालन	जहां तक कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ करार की बात है, बिंदु संख्या 3.3.1 का अनुपालन किया गया है। कार्यसूची की आवश्यकता के आधार पर बोर्ड की बैठकें आयोजित की जाती हैं। कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान बोर्ड 1 मार्च, 27 मार्च, 13 जुलाई और 2 नवंबर, 2018 को 120 दिनों के अधिकतम अनुमत अंतर के भीतर चार बार बैठक कर चुका है। इसके अलावा जब कंपनी अधिनियम, 1956 लागू था, तब डीपीई दिशानिर्देश, 2010 जारी किए गए थे। इसलिए, कंपनी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। जैसे ही सरकार द्वारा दिशा–निर्देशों में संशोधन किया जाएगा, उनका पालन किया जाएगा।

'अनुबंध–5''

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

I. विश्व की आर्थिक स्थिति और वर्ष 2019 में संभावनाएं

वैश्विक विकास 2019 और 2020 में 3.0 प्रतिशत पर रहने की संभावना है, हालांकि, वैश्विक अर्थव्यवस्था में विस्तार की स्थिर गति का अप्रत्यक्ष प्रभाव नकारात्मक जोखिमों में वृद्धि है, जो विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2019 के अनुसार, संभावित रूप से दुनिया के कई हिस्सों में विकास चुनौतियों को बढ़ा सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था एक साथ कई जोखिमों का सामना कर रही है, जो आर्थिक गतिविधियों को गंभीर रूप से बाधित कर सकती है और दीर्घकालिक विकास की संभावनाओं को महत्वपूर्ण क्षति पहुंचा सकती है। इन जोखिमों में व्यापार विवादों में वृद्धि, वैश्विक वित्तीय स्थितियों में अचानक सख्ती और जलवायु जोखिमों का बढना शामिल है।

कई विकसित देशों में विकास दर उनकी क्षमता तक बढ़ी है, जबकि बेरोजगारी की दर में ऐतिहासिक स्तर तक कमी हुई है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, पूर्व और दक्षिण एशिया क्षेत्र सशक्त घरेलू मांग की स्थितियों में विकास पथ पर अपेक्षाकृत तेजी से आगे बढ रहे हैं। सशक्त वैश्विक मांग की खबरों के बावजूद, क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति अत्यधिक असमान रही है। वैश्विक स्तर पर विकास की संभावनाओं में सुधार के बावजूद कई बड़े विकासशील देशों ने 2018 में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट देखी। यद्यपि, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का हुई हैं, उनमें आर्थिक गतिविधि बाहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के पीछे छोड़ते हुए प्राय प्रतिशत मुख्यत प्रतिशत औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों से प्रेरित है।

भारत की जीडीपी में वृद्धि

वर्ष 2018–19 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि की वृद्धि दर स्थिर (2011–12) की कीमतों में 6.81 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि 2017–2018 में 7.17 प्रतिशत की वृद्धि दर थी। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 2014–15 के बाद से सबसे धीमी थी। पिछली सबसे कम दर 2013–14 में 6.39 प्रतिशत थी।

कृषि और संबद्ध, उद्योग और सेवा क्षेत्र की जीवीए वृद्धि दर क्रमश प्रतिशत 2.92 प्रतिशत, 6.86 प्रतिशत और 7.53 है। भारत में 'निर्माण' क्षेत्र में 8.74 प्रतिशत और 'खनन और उत्खनन' क्षेत्र में सबसे कम 1.34 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई है। लगातार कीमतों पर कुल मिलाकर जीवीए वृद्धि 6.63 प्रतिशत है।

मौजूदा कीमतों पर वर्ष 2018–19 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 11.20 प्रतिशत है। कृषि और संबद्ध, उद्योग और सेवा क्षेत्र की जीवीए वृद्धि दर क्रमश प्रतिशत 3.96 प्रतिशत 12–24 प्रतिशत और 12–76 प्रतिशत है। वर्तमान कीमतों पर समग्र जीवीए वृद्धि 11.09 प्रतिशत है।

नई श्रृंखला में, आंकड़े 2004–05 के बाद से उपलब्ध हैं।

आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (अक्तूबर–20180 के अनुसार, 2018 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है और भारत बांग्लादेश के ठीक पीछे दुनिया का 5वां सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राष्ट्र है। वर्ष 2017 में देश में 6.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 23 अर्थव्यवस्थाओं के बाद है। 2013–17 से औसत वृद्धि दर 7.149 प्रतिशत आंकी गई है, जो शीर्ष में 9वें स्थान पर है।

II शिक्षा क्षेत्र के रुझानः

भारत का शिक्षा क्षेत्र एक महान अवसर प्रदान करता है क्योकि भारत की लगभग 29 प्रतिशत जनसंख्या 0–14 वर्ष की आयु वर्ग के बीच है। 2025 तक भारत का उच्च शिक्षा भाग बढ़कर 35.03 अरब अमरिकी डॉलर हो जाने की संभावना है। वित्त वर्ष 2018 में भारत में शिक्षा क्षेत्र 91.7 अरब अमेरिकी डॉलर का अनुमान है और वित्त वर्ष 2019 में 101.1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। दिसंबर 2018 तक, भारत में इंटरनेट की पहुंच 46.13 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने से शिक्षा के वितरण में सहायता मिलेगी।

भारत में 250 मिलियन से अधिक स्कूल जाने वाले छात्र हैं, जो किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक हैं। यह दुनिया में उच्च शिक्षा संस्थानों के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक भी है। 2017–18 में भारत में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या क्रमश 39, 050 और 903 तक पहुंच गई। भारत में 2017–18 में उच्च शिक्षा में 36.64 मिलियन छात्रों ने नामांकन किया था। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2017–18 में 258 प्रतिशत तक पहुंच गया। दिसंबर 2018 में, भारत सरकार ने प्रकाशित किया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016–17 योजना में 3.43 मिलियन उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। 24 जनवरी, 2019 तक 2.52 मिलियन उम्मीदवारों को योजना के अल्पावधिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के तहत प्रशिक्षित किया गया था।

केंद्र सरकार कौशल विकास पहल शुरू करने के लिए राज्यों को 1 अरब अमेरिकी डॉलर वितरित करने की योजना बना रही है। नवंबर 2016 में, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने देश में छात्रों को उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 74.68 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से प्रधानमंत्री युवा योजना शुरू की। स्किल इण्डिया मिशन 2015 का लक्ष्य 2022 तक 400 मिलियन भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करना है। दिसंबर 2018 तक, भारत में 15,044 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान थे। अक्तूबर 2017 में स्किल इण्डिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए 6,665 करोड़ रुपये (1.02 अरब अमेरिकी डॉलर) के परिव्यय के साथ दो नई योजनाएं संकल्प और स्ट्राइव शुरू की गई थीं। 2022 तक शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणाली को पुनर्जीवित करना (राइज) की घोषणा केंद्रीय बजट 2018–19 में चार वर्षों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये (15.44 अरब अमेरिकी डॉलर) के परिव्यय के साथ की गई थी। स्किल इण्डिया प्रोग्राम से वर्षाना एक करोड़ (10 करोड़) से ज्यादा युवाओं को फायदा हुआ है।

भारत में शिक्षा क्षेत्र सरकार की रणनीतिक प्राथमिकता बनी हुई है। भारत सरकार ने 2002 से स्वचालित मार्ग के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी है। भारतीय शिक्षा क्षेत्र में 2017 में 49 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 18 विलय और अधिग्रहण सौदे किए गए। मई 2018 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में स्कूली शिक्षा का समग्र विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा योजना शुरू की है। भारत सरकार नई शिक्षा नीति के मसौदे पर काम कर रही है ताकि जनसंख्या की आवश्यकता के अनुसार देश के शिक्षा उद्योग में परिवर्तनशील स्थितियों का सामना किया जा सके। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार है और इसे केंद्र सरकार को दिया जाएगा।

III एडसिल का प्रोफाइल:

EdCIL upgraded to Mini Ratna Category-I

EdCIL (India) Limited has been upgraded to the status of Mini Ratna Category-I.

Established in 1981, EdCIL has been a continuously profit-making and dividend paying company. In the Financial Year 2015-16 the company more than doubled its turnover, from Rs.74 crore to Rs.175 crore, while also paying a dividend of Rs.10 crore (30 per cent of PAT). The PAT and dividend have been highest ever registered qualifying the company to be categorized 'Excellent' as per DPE guidelines.

EdCIL Foundation Day

EdCIL (India) Limited celebrated its 36th Foundation Day on June 22 at Siri Fort, New Delhi. The function was inaugurated by Upendra Kushwaha, Minister of State for HRD (School Education & Literacy) and Dr. Mahendra Nath Pandey, Minister of State for HRD (Higher Education) in the presence of R. Subrahmanyam, Addl. Secretary (Technical Education) MHRD and Diptiman Das, CMD, EdCIL. The occasion was marked by the Minister declaring conferring of category - I status to EdCIL. The Minister also gave away employee excellence awards. Senior MHRD officials, customers, vendors, employees, representatives of other CPSEs and other stakeholders also attended the function.

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। कंपनी अब एक 'मिनीरत्न–श्रेणी–1', सीपीएसई और एक आईएसओ 9001 प्रमाणित संगठन है। निरंतर वित्तीय विकास के आधार पर, कंपनी को वित्तीय वर्ष के दौरान 'श्रेणी–1' मिनीरत्न कंपनी के रूप में अपग्रेड किया गया था। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान समझौता ज्ञापन रेटिंग के आधार पर कंपनी को 'अच्छा' दर्जा दिया गया है। कंपनी पिछले तीन दशकों के दौरान भारत और विदेशों में शिक्षा और मानव संसाधन विकास के सभी क्षेत्रों में परियोजना प्रबंधन और परामर्श सेवाएं प्रदान कर रही है।

प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वर्चुअल पाठ्यक्रमों और शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल शिक्षा पहल एनएमईआईसीटी (स्वयं सहित) की शिक्षा क्षेत्र की घोषणा के लिए आवंटित बजट में वृद्धि के साथ, कंपनी की डिजिटल शिक्षा सेवाओं लिए नए रास्ते खुल गए हैं। राज्य सरकार और सार्वजनिक संस्थानों द्वारा आईसीटी में अधिक व्यय भी कंपनी के लिए अधिक अवसर पैदा करता है। जहां देश परिवर्तन के पथ पर अग्रसर है, वहीं कंपनी भी खुद को उच्च विकास के शीर्ष पर पाती है, जिसके लिए शुरुआती टर्नओवर विकास यात्रा पहले ही शुरू हो चुकी है।

IV घरेलू व्यवसाय

- **ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएँ (ओटीएएस)**

ऑफलाइन भर्ती परीक्षणों कार्य करने में दो दशकों की विशेषज्ञता के आधार पर, कंपनी ने प्रणाली में उच्च पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए ऑनलाइन भर्ती समाधान की पेशकश की है।

वर्तमान में, यह वित्त वर्ष 17–18 में डीईएस के बाद एडसिल का सबसे बड़ा कार्यक्षेत्र है जो इस वर्ष के दौरान बाजार में जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त कर रहा है। ग्राहकों में केंद्रीय और राज्य सरकार के बड़े सार्वजनिक उपक्रम और स्वायत्त निकाय आदि शामिल हैं। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के अनेक कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में लक्षित एक सार्वजनिक उपक्रम

होने के नाते, कंपनी एक विशिष्ट सेवा के रूप में शिक्षकों और प्राचार्यों की भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने पर केंद्रित है। कंपनी ने शिक्षा, कोयला, परिवहन, श्रम और नागरिक उड्डयन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाले संगठनों को महत्वपूर्ण ऑनलाइन भर्ती सेवाएं प्रदान की हैं।

- **परामर्श सेवाएं (एएस)**

परामर्श वर्टीकल द्वारा शिक्षा (स्कूल श्रृखंला और उच्च शिक्षा) और मानव संसाधन सलाहकार क्षेत्रों में प्रमुख सेवाओं की पेशकश की जाती है: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) (ग्रीनफील्ड और ब्राउन फील्ड) तैयार करना।

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना (डीपीआर) (ग्रीन फील्ड एवं ब्राउन फील्ड)
- संगठन का पुनर्गठन (क्षेत्रीय / संस्थागत)
- परिचालन दक्षता में सुधार
- डिजिटलीकरण की योजना
- प्रशिक्षण डिजाइनिंग
- प्रभाव आकलन (आईसीटी/ अन्य योजनाएं)
- नई शिक्षा योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना
- शिक्षा सामग्री डिजाइन

कंपनी ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट दोनों के लिए शिक्षा परामर्श सेवाएं प्रदान करती है।

- **डिजिटल शिक्षा प्रणाली (डीईएस) (डीईएस विभाग से)**

डिजिटल शिक्षा तेजी से भारत की शिक्षा प्रणाली में अपना स्थान बना रही है और पारंपरिक क्लासरूम प्रशिक्षण का स्थान ले रही है। कहीं भी प्रतिमानों को सीखते हुए प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा तंत्र कभी भी लचीला प्रदान करता है। डिजिटल शिक्षा शिक्षार्थी को पारिस्थितिक तंत्र के केंद्र में रखती है और अंतिम परिणाम को ध्यान में रखते हुए उसे अलग–अलग मार्गों की संरचना करने के लिए उसे सशक्त बनाती है।

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड तदनुसार शिक्षा इको–सिस्टम को उच्च–प्रभाव और स्केलेबल समाधान प्रदान करके सभी उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करता है।

डिजिटल शिक्षा प्रणाली के भाग के रूप में मुख्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं:

- नेक्स्ट–जेन डिजिटल क्लासरूम
- योग्यता आधारित शिक्षण और मूल्यांकन प्रणाली
- वाई–फाई और नेटवर्क समाधान
- डिजिटल इंटरएक्टिव बोर्ड
- स्कूलों के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली
- वर्चुअल क्लासरूम समाधान

मॉरीशस के लिए प्रारंभिक डिजिटल शिक्षण कार्यक्रम: ''सभी के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा और मानव संसाधन विकास आधार सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक प्रगति और नवाचार के अग्रदूतों में मॉरीशस को एक बुद्धिमान राष्ट्र राज्य में बदलने के दृष्टिकोण के साथ'' शिक्षा और मानव संसाधन मंत्रालय (एमओईएचआर), और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईसीटी), मॉरीशस रिपब्लिक में छात्रों और शिक्षकों को टैबलेट कंप्यूटर प्रदान करने की परियोजना लागू की है। परियोजना के तहत मॉरीशस के 28000 कक्षा–1 और 2 के छात्रों को 13 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना लागत पर एलएमएस द्वारा विधिवत समर्थन प्राप्त ई–टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। टैबलेट कंप्यूटर शिक्षक–छात्र और छात्र–छात्र के बीच बातचीत के लिए इंटरनेट संसाधनों तक बेहतर पहुंच प्रदान करता है।

एडसिल ने परियोजना के चरणवार कार्यान्वयन का पालन किया, जिसमें आवश्यकताओं का प्रारंभिक अध्ययन शामिल था, जिसके बाद सबसे अच्छा परिणाम देने के लिए प्रासंगिक और प्रामाणिक शैक्षिक सामग्री के साथ अत्याधुनिक डिजिटल टैबलेटों की आपूर्ति के लिए प्रतिष्ठित एजेंसी का चयन किया गया।

नई पीढी के लिए डिजिटल कक्षाएं: कंपनी, स्कूलों को प्रौद्योगिकी और शिक्षण सीखने के अन्य संसाधनों से सुसज्जित बनाने और स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए शिक्षकों की क्षमता निर्माण को बड़े पैमाने पर बाजार अवसर मानती है। शैक्षिक गुणवत्ता में कमियों को प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे और विभिन्न शिक्षण पद्धतियों के मिश्रण को शामिल करते हुए एकीकृत और बड़े पैमाने पर विपणन स्कूल सुधार कार्यक्रम के माध्यम से प्रभावी ढंग से दूर किया जा सकता है। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में छात्रों और शिक्षकों के व्यापक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी उपकरणों, तकनीकों, ई–सामग्री और संसाधनों को शामिल किए जाने की आवश्यकता है, जहां छात्रों और शिक्षकों के लिए आईटी एक्सपोजर न्यूनतम है।

निम्नलिखित को समग्र शिक्षा समाधान का मुख्य लक्ष्य बनाने का ध्येय रखा गया है:

(1) आईसीटी सक्षम अधिगम के लिए ग्रामीण शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना।

(2) नई तकनीक और अन्य संसाधनों के साथ शिक्षा को और अधिक इंटरैक्टिव बनाना।

(3) शिक्षा शिक्षण उपकरणों के प्रावधान के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को सक्षम बनाना।

(4) सीखने के वातावरण को बढ़ाना और हितधारकों के बीच क्षमताओं का निर्माण करना।

(5) पेपर–लेस लर्निंग की संस्कृति को प्रोत्साहित करना और डिजिटलीकरण की ओर बढ़ना।

(6) शैक्षिक परिणामों में सुधार करना।

आईएसओ से आईएसओ : 9001 और आईएसओ: 14001 2015 में उन्नयन: एडसिल आईएसओ : 9001 और वर्तमान 2008 से आईएसओ: 14001 2015 संस्करण के अनुरूप एक संशोधित एकीकृत प्रबंधन प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

आईएसओ के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

गुणवत्ता:

- तकनीकी रूप से बाधक वातावरण में व्यावसायिक जोखिम–रिवार्ड अनुपात का प्रबंधन करना।
- ग्राहक आधार को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए लगातार गुणवत्ता का उन्नयन करना।
- समय पर वितरण कार्यप्रदर्शन में सुधार।

पर्यावरण:

- बिजली, पानी और कागज जैसे संसाधनों की खपत में कमी।
- सभी लागू सांविधिक विनियमों का अनुपालन।

आईएसओ संगठन को बाहरी और आंतरिक मुद्दों को तय करके प्रमाण आधारित निर्णय लेने के साथ अपने व्यवसाय का प्रबंधन करने में मदद करता है, जो संभवत: संगठन को प्रभावित कर सकता है।

यह शीर्ष प्रबंधन को नेतृत्व में शामिल करने पर अधिक जोर देकर जोखिम और पुरस्कार आधारित दृष्टिकोण के साथ प्रक्रिया डिजाइन के संदर्भ में संगठन नियोजन के माध्यम से सतत विकास के लिए संगठन की मदद करता है। यह एक संरचिना प्रदान करता है, जिसमें संगठन अधिक ग्राहक संतुष्टि के साथ वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी प्रक्रिया निधारित कर सकता है।

आईएसओ संगठन की व्यावसायिक आवश्यकता को लागू करने, बनाए रखने और बेहतर बनाने की क्षमता रखने वाले कुशल संसाधनों पर केंद्रित है। एडसिल लगातार उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवर प्राप्त करेगा और गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने और समाधान खोजने के लिए उनकी क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।

- **शैक्षिक बुनियादी ढांचे की सेवाएं (ईआईएस)**

(टर्न–की निष्पादन और परियोजना प्रबंधन परामर्श) सेवाएं के वर्टिकल द्वारा शैक्षिक बुनियादी ढांचे के प्रबंधन को शामिल करते हुए निम्नलिखित प्रमुख सेवाएं प्रदान की जाती है।

- अवधारणा डिजाइन
- विस्तृत चित्र
- सामग्री के बिल के साथ विस्तृत परियोजना अनुमान
- निर्माण अनुसूची/खरीद योजना
- आरएफपी दस्तावेज
- आरएफपी प्रक्रिया प्रबंधन
- परियोजना निर्माण निगरानी
- घटना निगरानी
- अनुसूची के संशोधन
- गुणवत्ता आश्वासन और नियंत्रण
- बिलिंग और भुगतान
- सांविधिक प्राधिकरणों से कंप्लीशन/अक्यूपेंसी प्रमाणपत्र प्राप्त करना
- व्यय विश्लेषण के साथ परियोजना कंप्लीशन की अंतिम रिपोर्ट

- **शिक्षा खरीद सेवाएं (ईपीएस)**

कंपनी आईटी उपकरणों से लेकर उच्च तकनीक प्रयोगशाला उपकरणों तक शैक्षिक सहायक एपकरणों की खरीद के माध्यम से भारत और विदेशों में शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता निर्माण में सहायता करती है। हम ग्राहक के संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुविधाजनक बनाकर ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टर्न–की आधार पर खरीद सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

घरेलू और विदेशी क्षेत्र में तीन दशकों के अनुभव का लाभ उठाते हुए, शैक्षिक और मानव संसाधन विकास क्षेत्र में टीसीओ को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली खरीद सेवाओं के भाग के रूप में वर्टीकल द्वारा निम्नलिखित प्रमुख सेवाएं प्रदान की जाती हैं:

- शैक्षिक उत्पाद अनुसंधान
- वेंडर पैनल
- मांग एकत्रीकरण
- सोर्सिंग रणनीति का विकास
- ई–टेंडरिंग
- बोली विश्लेषण
- संविदा को अंतिम रूप दिया गया
- ऑर्डर प्लेसमेंट
- क्लाइंट साइट पर गुणवत्ता जांच सहित शिपमेंट की निगरानी रसीद
- सेवाओं का वार्षिक रखरखाव

- **तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी)**

यह कई मेगा अखिल भारतीय परियोजनाओं को लागू करने में एमएचआरडी को परिचालन सहायता प्रदान करने के लिए एडसिल का परियोजना प्रबंधन और लॉजिस्टिक सहायता वर्टिकल (जिसे तकनीकी सहायता समूह –टीएसजी के रूप में भी जाना जाता है) है। कंपनी, भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों की प्रतिष्ठित सामाजिक क्षेत्रीय परियोजनाओं के राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करती है। इन सेवाओं में शामिल हैं:

- विभिन्न बड़ी एमएचआरडी योजनाओं के लिए लॉजिस्टिक सहायता (जैसे एसएसए, एमडीएम, रूसा और आरएमएसए)
- कंसल्टेंट आदि की आउटसोर्सिंग।
- इवेंट मैनेजमेंट सहायता
- खरीद सेवाएं
- परिवहन सहायता

V. ओवरसीज बिजनेस:

ओवरसीज एजुकेशन सर्विसेज (ओईएस)

ओवरसीज स्टूडेंट प्लेसमेंट कंपनी की प्रमुख सेवाओं में से एक है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय/एनआरआई/पीआईओ छात्रों को प्रतिष्ठित और मान्यताप्राप्त भारतीय संस्थानों में प्रवेश देना है। इस कंपनी को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारतीय मूल के पात्र विदेशी नागरिकों/व्यक्तियों (पीआईओ)/अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रमों में सीधे प्रवेश के लिए विशेष ''समन्वय एजेंसी और एकल खिड़की सुविधा'' के रूप में नामित किया गया है। कंपनी अंतर्राष्ट्रीय/पीआईओ/एनआरआई छात्रों को 150 से अधिक संबद्ध/समझौता ज्ञापन संस्थानों में रखती है, जो यूजीसी, नैक, एनबीए, एमसीआई आदि जैसे नियामक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त है।

भारत में सशक्त विदेश मंत्रालय/एमएचआरडी समर्थन, तीन दशकों में विश्व स्तर पर प्राप्त ग्राहक विश्वास और गठजोड के आधार पर वर्टीकल प्रायोजित और एकत्रित इनबाउंड विदेशी छात्रों के प्रवेश और संकाय भर्ती का कार्य करता है और भारत में अध्ययन करने के इच्छुक इनबाउंड छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों को भी प्रभावी ढंग से पूरा करता है। कंपनी वर्तमान में अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान के लगभग कुल 3000 छात्रों के लिए समग्र छात्र प्लेसमेंट कार्य निष्पादित करती है। वर्टीकल ज्यादातर सार्क, मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों को कवर करने वाले उच्च संभावित लक्षिम बाजारों पर ध्यान केंद्रित करता है।

निम्नलिखित सेवाओं की विशेष रूप से पेशकश की जाती है:

- मान्यता प्राप्त भारतीय संस्थानों (प्रायोजित योजनाओं के साथ–साथ एसएफएस सेगमेंट) में विदेशी छात्रों का प्लेसमेंट
- विदेशी संस्थानों में भारतीय संकाय का प्लेसमेंट
- छात्र/संकाय आदान–प्रदान
- घरेलू क्षेत्र में अन्य सभी परियोजना प्रबंधन और परामर्श सेवाएं प्रदान की गई

स्टडी इन इण्डिया अभियानः

शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण भारत की प्रस्तावित नई शिक्षा नीति (एनईपी) का एक महत्वपूर्ण घटक है। निकट भविष्य में एक रणनीतिक वैश्विक शक्ति के रूप में विकसित होने की भारत की आकांक्षा के लिए भी यह निर्णायक है।

एडसिल को एमएमआरडी द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में ''स्टडी इन इण्डिया'' कार्यक्रम को लागू करने वाला साझेदार बनाया गया है। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण में व्यापक अनुभव के साथ और पिछले पांच वर्षों में भारत में 7,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय छात्रों के प्लेसमेंट को सुविधाजनक बनाने के कारण एडसिल, डिजाइन से लेकर कार्यक्रम के कार्यान्वयन तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए तैनात किए जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहा है। एडसिल कार्यक्रम और वित्तीय प्रस्ताव की विस्तृत रूपरेखा के कार्यान्वयन के लिए एमएचआरडी के साथ जुड़ने के लिए तत्पर है।

कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 18.04.2018 को किया।

भारत में अध्ययन कार्यक्रम के संबंध में एक अलग अध्याय अनुबंध–12 के रूप में संलग्न है।

vi. स्वॉट विश्लेषणः

कंपनी का स्वॉट विश्लेषण निम्नलिखित हैः

(क) शक्ति

- एमएचआरडी के तहत एकमात्र सीपीएसई
- सतत लाभ/लाभांश भुगतान रिकॉर्ड।
- भारत और विदेशों में सरकार/विदेशों में उच्च स्तरीय ब्रांड रिकॉल।
- सीपीएसई विश्वसनीयता को देखते हुए ग्राहकों के लिए सुविधाजनक।
- एमएचआरडी के साथ घनिष्ठ संबंध।
- विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों के साथ गठजोड़।
- क्लाइंट सर्विसिंग के लिए इन–हाउस जनशक्ति और विशेषज्ञता विकसित की गई है।
- पारंपरिक रूप से परियोजनाओं को संभालने वाले क्षेत्रों में विशेषज्ञता (औसत 110–120 परियोजनाएं प्रति वर्ष 4–6 महीने का जीवन चक्र होना)

(ख) कमजोरियां

- सुनिश्चित सरकारी व्यापार के लिए एक विस्तारित सहयोगी के रूप में कार्य करता है न कि एक रणनीतिक व्यापार इकाई के रूप में।
- उदासीनता के कारण अधिक इन–हाउस क्षमता अंतर।
- बड़े कॉर्पोरेट / संस्थागत / परामर्श गठबंधनों का अभाव।
- स्व–नियंत्रण रणनीति जिससे बड़ी सोच नहीं है और बड़ी परियोजनाएं शुरू नहीं की जा रही हैं।
- विविधताओं को बेंचमार्क करने, नया करने और प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थता।
- एक परामर्श कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में मानव संसाधन पर ध्यान केंद्रित करने की कमी।
- व्यापार को आक्रामक रूप से उपयोग करने के लिए विकसित व्यापार विकास वर्टीकल की अनुपस्थिति।
- विविध विदेशी अवसरों का उपयोग नहीं किया गया है, जिसमें संस्था निर्माण के लिए विदेश मंत्रालय से वित्तपोषित बड़ी विदेशी परियोजनाओं को अंतिम रूप देना शामिल है।

- आंतरिक प्रक्रियाओं और नियंत्रण आधारित प्रणालियों का अभाव।
- व्यापार अधिग्रहण और वितरण में पीएसयू प्रक्रिया की चुनौतियां।
- चल रही किसी भी परियोजना (एमएचआरडी की एनएमईआईसीटी, एसएसए, टीइक्यूयूआईपी और एमडीएम आदि) के तहत किसी भी परामर्श/परियोजना निष्पादन कार्य को प्राप्त करने में असमर्थता।

(ग) अवसर

- केंद्र और राज्यों द्वारा 3 लाख करोड़ रुपये का मानव संसाधन विकास व्यय।
- निजी क्षेत्रों द्वारा इसी तरह का व्यय।
- 1.25 बिलियन जनसांख्यिकीय लाभांश (2025 में 40% जीईआर तक पहुंचने के लिए, 800 नए विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है)।
- सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद के 60% तक बढ़ रहा है, इस उद्योग के लिए तैयार कुशल कर्मचारियों की जरूरत है।
- शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े भारतीय कॉर्पोरेटों की अनुपस्थिति।
- सेवा रहित सरकारी बाजार (परियोजना, ओएंडएम, रणनीति, एकत्रीकरण)।
- आईटी / आईसीटी / इंफ्रा परियोजना निष्पादन / खरीद में सहायता करने के लिए एक सहयोगी/विशेष इकाई की सरकारी क्षेत्रों में बढ़ती आवश्यकता।
- कौशल विकास प्रशिक्षण बाजार 10 हजार करोड़ रुपये (नवीनीकृत मेक इन इण्डिया और कौशल विकास फोकस) अनुमानित है।
- इसी तरह शिक्षक प्रशिक्षण बाजार बडा होने का अनुमान है।
- बढ़ते आईसीटी और ई–लर्निंग मार्केट (प्राइमरी एजुकेशन/ओपन यूनिवर्सिटी)।
- ''स्किल इण्डिया'', ''डिजिटल इण्डिया'' और ''स्मार्ट सिटी'' पहलों पर व्यय बढ़ा।
- कई स्टार्टअप को सहयोग की आवश्यकता होने से सेवाओं के विकास।
- पीपीपी के बढ़ते अवसर (आउटसोर्सिंग/एकत्रीकरण/इंफ्रा)।
- बढ़ता सार्क और अफ्रीकी बाजार (उच्च शिक्षा में 30 बिलियन डालर का वैश्विक व्यापार)।

(घ) आशंकाएं

- उच्च शिक्षा में सार्वजनिक वित्तपोषण कम और असमान
- इस क्षेत्र में गैर–शिक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों का प्रवेश।
- सरकारी जांच और नियंत्रण में वृद्धि।
- गुणवत्ता सेवा वितरण में फ्रेंचाइजी बाजार में बढ़ती चुनौतियां।

vii. एक उज्ज्वल भविष्य की ओर:

- **समझौता ज्ञापन रेटिंग**

  कंपनी को डीपीई ने वर्ष 2017–18 के लिए ''अच्छा'' आंका है। कंपनी शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की पहचान करने में सक्रिय रूप से लगी हुई है और इसका उद्देश्य तैयार की गई मध्यम अवधि की रणनीति के अनुसार इन अवसरों का दोहन करना है। कंपनी उच्च विकास चरण में है और भारत और विदेशों में विभिन्न राज्यों में अपनी पहुंच बढा रही है।

- ### आर्डर बुक:

कंपनी ने वर्ष 2018–19 के दौरान इस प्रकार नए आर्डर प्राप्त किए हैं:

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	आर्डर राशि
1	ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवा प्रभाग (ओटास)	145
2	शैक्षिक अवसंरचना सेवाएं/शैक्षिक खरीद सेवाएं (ईआईएस/ईपीएस)	11.81
3	तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी)	70.80
4	डिजिटल शिक्षा सेवाएं (डीईएस)	115.88
5	ओवरसीज शिक्षा सेवाएं (ओईएस)	1.97
6	स्टडी इन इण्डिया	9.77
7	परामर्श सेवाएं (एस)	1.44
	कुल	**356.67**

viii. वित्तीय अवलोकन:

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कराधान से पहले कंपनी के लाभ 43.78 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है।

प्रदर्शन 3: टर्नओवर, पीबीटी, पैट और लाभांश के बीच संबंध

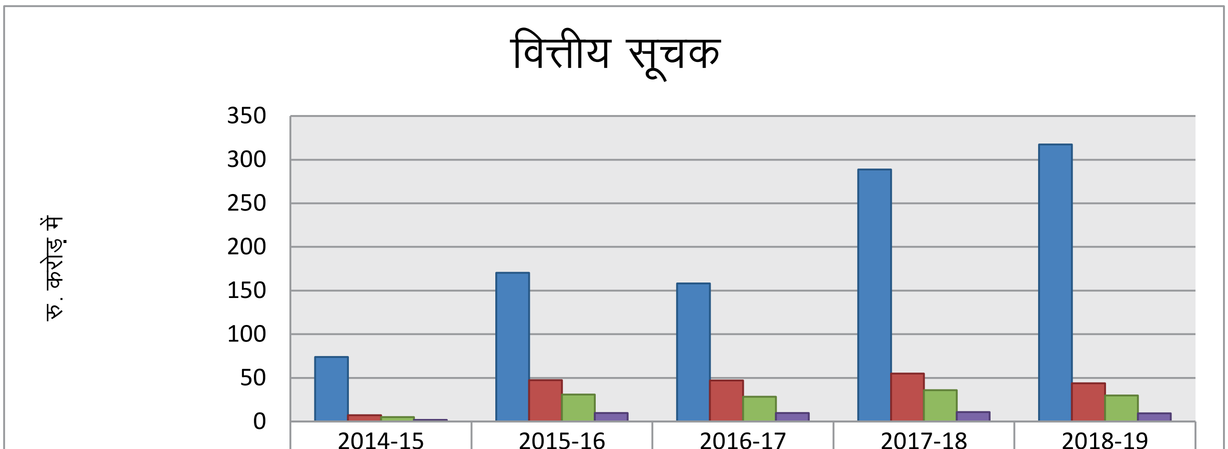

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
टर्नओवर	74.14	170.28	158.22	288.71	317.27
सकल लाभ	7.46	47.33	47.29	54.91	43.79
कर पश्चात कुल लाभ	5.08	30.97	28.45	35.95	30.08
लाभांश भुगतान	2	10	10	11	9.5

(राशि करोड़ में जब तक अन्य का उल्लेखित हो)

(राशि करोड़ में जब तक कहा नहीं जाए)

विवरण		समाप्त वर्ष के लिए	समाप्त वर्ष के लिए	अंतर	
		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	पूर्ण	सापेक्ष
राजस्व					
प्रचालन से राजस्व	(क)	317.27	288.71	28.56	10%
प्रत्यक्ष व्यय					
परियोजना व्यय		130.49	103.55	26.95	26%
स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद		112.88	81.59	31.29	38%
इन्वेंटरी में बदलाव		-1.69	17.57	-19.26	-110%
कर्मचारी लाभ व्यय		23.60	27.53	-3.93	-14%
कुल	(ख)	265.29	230.24	35.05	15%
संचालन से लाभ	(ग)	51.98	58.47	-6.49	-11%
अप्रत्यक्ष व्यय					
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		0.55	0.49	0.05	11%
अन्य व्यय		9.63	7.89	1.74	22%
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय		0.99	0.69	0.30	44%
कुल	(घ)	11.17	9.08	2.09	23%
अप्रत्यक्ष आय	(ड.)	3.96	5.47	-1.50	-27%
पूर्व अवधि आइटम (शुद्ध)	(च)	1.00	-0.04	1.03	-2938%
असाधारण वस्तुएं	(छ)	-0.01	-0.02	0.01	-54%
ईबीआईटीए		44.33	55.41	-11.08	-20%

ix. जोखिम और चिंताएं:

शाब्दिक संदर्भ में जोखिम को उद्देश्यों के संबंध में अनिश्चितता के प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जोखिम परिणाम और संभावना के संदर्भ में मापा जाता है। कंपनी व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति के आधार पर जोखिमों की पहचान करती है और जिसमें यह काम कर रही है, उस व्यावसायिक वातावरण पर नजर रख रही है। आर्थिक वातावरण के जोखिम जैसे इनपुट प्रॉडक्ट्स और आउटसोर्स कंसल्टेंसी की बढ़ती कीमतों को रेट कॉन्ट्रैक्ट में डालकर दूर किया जाता है। कंपनी को आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई त्रैमासिक समीक्षा भी प्राप्त होती है और आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों का उचित समाधान किया जाता है। विभिन्न विभागों के लिए विशिष्ट जोखिमों की निगरानी संबंधित विभाग प्रमुखों द्वारा उचित अवधि में की जाती है। वर्टीकल की मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जोखिम कम करने के मामलों की देखरेख करेंगी। कंपनी समय–समय पर वर्टिकल, प्रक्रियाओं और वातावरण में बदलाव के आधार पर अपनी जोखिम प्रबंधन नीति को संशोधित करने का प्रयास भी करेगी।

X कंपनी द्वारा की गई पहल

कंपनी ने ''मध्यम अवधि की रणनीति'' तैयार करने और लागू करने के लिए विश्व स्तर पर प्रशंसित परामर्श फर्मों को काम पर रखा था। मध्यावधि रणनीति में मानक परिचालन प्रक्रियाओं को डिजाइन करने सहित कई प्रक्रिया परिवर्तन शामिल हैं।

- **मध्यम अवधि की कार्यनीति:**

  वर्तमान में एडसिल बहुत सशक्त है, लेकिन ये राजस्व, प्रभाव और प्रतिष्ठा के मामले में इसका बहुत कम उपयोग हुआ है। इसकी तुलना में भारत में अन्य क्षेत्रों में इसी तरह के अधिदेश वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) ने पिछले 20–25 वर्षों में काफी प्रगति की है, और 10 गुना अधिक राजस्व प्राप्त किया है। उदाहरण के लिए, 1974 में शामिल राइट्स ने, वित्त वर्ष 2016 के अंत में 1200 करोड़ रुपये के राजस्व, और 1978 में शामिल टीसीआईएल ने वित्त वर्ष 16 में 833 करोड़ रुपये के राजस्व की सूचना दी।

  इस संदर्भ को देखते हुए, बाजार वास्तविकताओं, डेटा विश्लेषण, वैश्विक बेंचमार्क के आधार पर विकास और व्यापार के अवसरों के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक उद्देश्यपरक, तीसरे पक्ष का परिप्रेक्ष्य प्रदान करने और आवश्यक आंतरिक क्षमताओं को निर्धारित करने और भविष्य के संगठन और संस्कृति को डिजाइन करने के लिए रणनीति अध्ययन शुरू किया गया था, जो विकास को काफी बढ़ावा देगा। रणनीति के दृष्टिकोण को 2 अलग चरणों में परिभाषित किया गया था।

(क) विकास के लिए रणनीति डिजाइन विकसित करने के लिए (11 सप्ताह)।

(ख) कार्यान्वयन और हैंडहोल्डिंग समर्थन (12 महीने)।

रणनीति विकसित करने के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण एक गहन अध्यास था, जिसमें कई हितधारक चर्चाएं और कार्यशालाएं, गहन डेटा विश्लेषण और स्वामित्व रणनीति ढांचे, स्वॉट विश्लेषण आदि का लाभ उठाना शामिल था। प्रदर्शन की वर्तमान आधार रेखा को समझने और मुख्य शक्तियों और चुनौती क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक विस्तृत नैदानिक प्रक्रिया चलाई गयी थी।

एडसिल के लिए विकास रणनीति को एडसिल की वर्तमान शक्ति, बाजार आकलन और आवश्यकताओं और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य के आधार पर परिभाषित किया गया है। यह रणनीति भारत के शिक्षा परिदृश्य में महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदान करते हुए 10 गुना राजस्व और सशक्त क्षमताओं के साथ उच्च ख्याति प्राप्त संगठन एडसिल 2.0 के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी।

नई संगठनात्मक संरचना के लिए तर्क मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करना है कि नए विकास इंजन में उच्च क्षमता वाले कर्मचारी हैं, सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और उच्च जवाबदेही के लिए भूमिकाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित है और रिपोर्टिंग संरचनाए तैयार की जाती हैं, कर्मचारी योग्यता, दायित्व की आवश्यकताओं और दक्षताओं में अंतर को समाप्त किया जाता है, और विशेष श्रेणियों के संबंध में मौजूदा जनशक्ति के विषम वितरण का समाधान किया जाता है।

एडसिल 2.0 विजन

''एक अत्यधिक सम्मानित परामर्श और परियोजना प्रबंधन संगठन बनना जो शिक्षा और मानव संसाधन के क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए विशेषज्ञता, सेवाएं और अभिनव समाधान प्रदान करता है।''

एडसिल 2.0 मिशन

''घरेलू और वैश्विक ग्राहकों के लिए उच्चतम दक्षता और नैतिक मानकों के साथ अभिनव, प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं प्रदान करके शिक्षा और मानव संसाधन परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार लाना और शिक्षा के क्षेत्र में पसंदीदा नियोक्ता बनना।''

एडसिल का ध्यान व्यापार विकास, ज्ञान प्रबंधन, व्यापार गठबंधनों के सशक्त नेटवर्क, सफल डिलिवरेबल्स के लिए गुणवत्ता बढ़ाने की रणनीतियों, प्रमुख क्षेत्रों में क्षमता विकास, और जिस तरह से एडसिल संगठित और संचालित किया है, उसमें कई परिवर्तन करने पर है। इन

पहलों के संबंध में लक्ष्यों को प्राप्त करने से भारत में एक अत्यधिक प्रतिष्ठित, तेजी से बढ़ती शिक्षा कंपनी बनने के रोडमैप पर एडसिल सशक्त रूप से स्थापित होगा, और 2022 से आगे निरंतर विकास के लिए इसे अच्छी तरह से स्थापित करेगा। कंपनी का लक्ष्य मीडियम टर्म स्ट्रैटजी लागू होने के पांच वर्ष के अंत में 1500 करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर हासिल करना है।

- ## मानव संसाधन संवर्धन

दिनांक 31.03.2019 को कंपनी की कुल जनशक्ति शक्ति 116 (77 कार्यकारी और 39 गैर–कार्यकारी) थी। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान प्रबंधन प्रशिक्षुओं और कार्यालय प्रशिक्षुओं सहित कुल 19 नए कर्मचारी कंपनी में शामिल हुए। कंपनी विभिन्न स्तरों पर अधिक पेशेवरों को नियुक्त करने की कोशिश कर रही है। प्रबंधन प्रशिक्षुओं को वरिष्ठ पेशेवरों के मार्गदर्शन में ऑन–द–जॉब और ऑफ–द–जॉब ट्रेनिंग इंटरवेंशन के माध्यम से भविष्य के प्रबंधकों के रूप में तैयार किया जा रहा है।

- ## पीसीएमएम की शुरूआत

पीपुल्स कैपेसिटी मैच्योरिटी मॉडल संगठन के कार्यबल/लोगों की पद्धतियों पर केंद्रित है और मानव संसाधन प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए एक रोडमैप विकसित करता है, जो लगातार किसी संगठन की क्षमता में सुधार करता है। इसलिए, अपने कार्यबल के प्रबंधन और विकास के लिए मानव संसाधन प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए मार्गदर्शन हेतु एक ढांचा विकसित करने के लिए, एडसिल ने लोगों की क्षमता परिपक्वता मॉडल के अनुरूप एक मूल्यांकन अंतर विश्लेषण किया और पीसीएमएम के अगले चरण को लागू करना चाहता है।

- ## एचआरएमएस की शुरुआत

एडसिल ने एक ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह संगठन को कर्मचारियों द्वारा लेन–देन की प्रक्रियाओं में व्यय किए जाने वाले समय को बचाने में मदद करता है ताकि समय का अधिक कुशल और प्रभावी तरीके से उपयोग किया जा सके। स्वचालन प्रभावी और समय पर कार्य निष्पादित करने के लिए एक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाएगा।

अनुबंध–VI

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी नियम 8 (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट

1. परियोजनाओं या प्रस्तावित कार्यक्रमों के विहंगावलोकन सहित कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा की जानी है।

1. अवधारणा:

1.1 लघु शीर्षक और प्रयोज्यता:

1.1.1 यह नीति, जिसमें एक कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी को कम करने के लिए कंपनी के दर्शन को शामिल किया गया है और व्यापक रूप से समुदाय के कल्याण और सतत विकास के लिए सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यक्रम शुरू करने के लिए दिशा–निर्देश और तंत्र निर्धारित करती है, इसका शीर्षक **'एडसिल सीएसआर नीति'** है। पॉलिसी लिंक कंपनी की वेबसाइट http://edcilindia.co.in पर भी उपलब्ध है।

1.1.2 यह नीति समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से वंचित, पिछडे और दिव्यांग व्यक्तियों के लाभ के लिए एडसिल की विभिन्न परियोजनाओं और स्थानों पर शुरू की गई सभी सीएसआर पहलों और गतिविधियों पर लागू होगी।

2. सीएसआर विजन स्टेटमेंट और उद्देश्य:

2.1. कंपनी के विजन के साथ, एडसिल अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, समाज और उस समुदाय में मूल्य सृजन को बढ़ाना जारी रखेगा, जिसमें वह अपनी सेवाओं, आचरण और पहलों के माध्यम से प्रचालन करता है, ताकि सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में अपनी भूमिका को पूरा करने में पर्यावरण के प्रति सजगता के साथ, समाज और समुदाय के लिए निरंतर विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

2.2. एडसिल सीएसआर नीति का उद्देश्य यह है:

- संगठन में सभी स्तरों पर एक बढ़ी हुई प्रतिबद्धता सुनिश्चित करें, अपने सभी हितधारकों के हितों को पहचानते हुए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ तरीके से अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए।
- स्थानीय आबादी के जीवन और आर्थिक भलाई की गुणवत्ता को बढ़ाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कार्यक्रम शुरू करना जो अपने कार्य–केंद्रों और परिणामों के आसपास के समुदायों को लाभ पहुंचाते हैं।
- अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, एडसिल के लिए एक समुदायिक सद्भावना उत्पन्न करना और एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में एडसिल की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को सशक्त बनाने में मदद करना।

3. कार्यान्वयन

3.1 सीएसआर कार्यक्रम यथासंभव एडसिल के विभिन्न विभागों द्वारा चिह्नित 'थ्रस्ट एरियाज' के निर्धारित दायरे में किए जाएंगे।.

3.2 जिस समयावधि/अवधि पर कोई विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, वह इसकी प्रकृति, कवरेज की सीमा और कार्यक्रम के अभीष्ट प्रभाव पर निर्भर करेगा।

3.3 जिन कार्यक्रमों में काफी वित्तीय प्रतिबद्धता शामिल है और जो 2–5 वर्षों की समय सीमा पर किए जाते हैं, उन्हें 'प्रमुख कार्यक्रम' माना जाएगा और इसे अधिक महत्व दिया गया है।

3.4 कुल मिलाकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सीएसआर कार्यक्रमों का कम से कम 60% मलिन बस्तियों और पिछड़े क्षेत्रों में या जैसा समय–समय पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार लागू हो।

3.5 राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के साथ–साथ केंद्र सरकार के विभागों की पहल! एजेंसियों, स्वयं सहायता समूहों आदि का एडसिल द्वारा की गई पहलों के साथ सामंजस्य और तालमेल किया जाएगा।

3.6 सीएसआर के तहत चिन्हित परियोजना गतिविधियों को विशेष एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है, जिसमें स्वैच्छिक संगठन (वीओ) औपचारिक या अनौपचारिक निर्वाचित स्थानीय निकाय जैसे पंचायतें, संस्थान/अकादमिक संस्थान, ट्रस्ट, स्वयं सहायता समूह, सरकारी/अर्ध सरकारी/स्वायत्त संगठन, महिला मंडल, व्यावसायिक परामर्श संगठन आदि शामिल हो सकते हैं।

4. कार्यकारी एजेंसी/भागीदार :

4.1. एडसिल कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों के अनुरूप कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों की पहचान करने और हितधारकों और उस समुदाय को भी लाभ पहुंचाने की मांग करेगा जिसके लिए ये कार्यक्रम आशयित हैं। से कार्य निम्नलिखित के माध्यम से किए जाएंगे:

- समुदाय आधारित संगठन चाहे औपचारिक हों या अनौपचारिक
- निर्वाचित स्थानीय निकाय जैसे पंचायतें
- स्वयंसेवी एजेंसियां (एनजीओ)
- संस्थान/अकादमिक संगठन
- ट्रस्ट, मिशन
- स्वयं सहायता समूह
- सरकार, अर्ध–सरकारी और स्वायत्त संगठन
- सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप)
- महिला मंडलों/समितियों
- सिविल कार्यों के लिए अनुबंधित एजेंसियां
- प्रोफेशनल कंसल्टेंसी संगठन.

5. निगरानी और प्रतिक्रिया

5.1 प्रत्येक परियोजना पर किए गए सीएसआर कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए परियोजना प्रमुख द्वारा एक निगरानी तंत्र लागू किया जाएगा। परियोजना में कार्यान्वयन के तहत सीएसआर कार्यक्रमों की प्रगति की सूचना त्रैमासिक आधार पर कार्यकारी निदेशक को दी जाएगी।

5.2 कॉर्पोरेट कार्यालय में सीएसआर समन्वयक विशेष रूप से रणनीतिक और उच्च मूल्य के कार्यक्रमों का समय–समय पर स्वतंत्र पेशेवरों/तृतीय पक्षों/पेशेवर संस्थानों के माध्यम से प्रभाव अध्ययन करवाएगा।

5.3 परियोजनाएं और अन्य कार्यालय भी कार्यक्रमों के बारे में लाभार्थियों से फीडबैक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

5.4 एडसिल सीएसआर पॉलिसी, वार्षिक सीएसआर गतिविधियों, साझेदारी को निष्पादित करने, और खर्च किए गए खर्च का उचित प्रलेखन नियमित आधार पर किया जाएगा और यह सार्वजनिक डोमेन पर भी उपलब्ध होगा।

5.5 कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी की सीएसआर पहलों की जानकारी भी दी जाएगी।

6. सीएसआर समिति का गठन

सीएसआर समिति के सदस्य इस प्रकार हैं:

i. डॉ. हर्षद पटेल, गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक, एडसिल – अध्यक्ष

ii. प्रो ई. वायुनंदन, गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक, एडसिल – सदस्य

iii. श्री दिनकर अस्थाना, नामित निदेशक, विदेश मंत्रालय – सदस्य

सीएसआर उपसमिति में बोर्ड स्तर से नीचे के निम्नलिखित सदस्य हैं:

i. डॉ के. एल. सरकार, कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग), एडसिल – सदस्य

ii. श्री पी. के. एस. सिसोदिया, मुख्य महाप्रबंधक (ईआईएस एंड ईपीएस), एडसिल – सदस्य सचिव

iii. श्री संदीप गोयल, मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) – कंपनी सचिव

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के संबंध में कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

कर से पहले शुद्ध लाभ	
विवरण	करोड़ रुपए में
2015-16	46.98
2016-17	47.28
2017-18	54.91
कुल एनपीबीटी	149.19
औसत एनपीबीटी	49.73
पिछले 3 वर्षों के औसत एनपीबीटी का 2%	0.9946

निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद सं. 3 की तरह राशि का दो प्रतिशत)

कुल 99.46 लाख रुपये (औसत शद्ध लाभ का 2%) सीएसआर–एसडी व्यय निर्धारित किया जाता है।

वर्ष के लिए निर्धारित सीएसआर व्यय के तेरह हजार रुपये व्यय नहीं किए गए हैं।

8. वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान व्यय किए गए सीएसआर का ब्यौरा

वर्ष के दौरान राशि व्यय करने का विस्तृत तरीका नीचे दिया गया है:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
क्र. सं.	पहचान की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना को कवर किया गया है	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) उस राज्य और जिले को निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम शुरू किए गए थे	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों के उप–शीर्षों पर व्यय की गई राशि:		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	व्यय की गई राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					(1) प्रोजेक्ट या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	(20 ओवरहेड्स		
1	गृह मंत्रालय भारत सरकार के भारत के वीर के तहत सीआरपीएफ के 44 शहीदों को अंशदान।	सेना कल्याण	नई दिल्ली	23.00 लाख रुपए	23.00 लाख रुपए	शून्य	23.00 लाख रुपए	डीआईजी (आईटी) कॉन्ट्रोल रिजर्व पुलिस बल
2	स्वच्छ भारत कोष का योगदान।	स्वास्थ्य	नई दिल्ली	12.00 लाख रुपये	12.00 लाख रुपये	शून्य	35.00 लाख रुपये	प्रत्यक्ष
3	उचित प्रौद्योगिकी के साथ सीमांत कपास किसानों को मशीनीकृत कपास चुनने मशीनों के लिए सीएसआर सहायता।	सामाजिक	म.प्र.	10.00 लाख रुपये	10.00 लाख रुपये	शून्य	45.00 लाख रुपये	कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड दिल्ली
4	उ.प्र. के बागपत जिले में खिलाडियों को बागपत ओलंपिक मानक कुश्ती मैट प्रायोजित करने के लिए।	खेल	बागपत, यूपी	7.00 लाख रुपये	6.80 लाख रुपये	शून्य	51.80 लाख रुपये	सत्या फाउंडेशन
5	छात्रों के लिए एक टाटा मैजिक वाहन का प्रायोजन और अरुणाचल प्रदेश के आंतरिक नामसाई जिले के विभिन्न स्कूलों में मिड– डे–मील की ढुलाई।	शिक्षा	नामसाई, अरुणाचल प्रदेश	6.00 लाख रुपये	6.00 लाख रुपये	शून्य	57.80 लाख रुपए	उपायुक्त, नामसाई सीएसआर योजना।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
क्र. सं.	पहचान की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना को कवर किया गया है	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) उस राज्य और जिले को निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम शुरु किए गए थे	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों के उप–शीर्षों पर व्यय की गई राशि:		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	व्यय की गई राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					(1) प्रोजेक्ट या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	(20 ओवरहेड्स		
6	एक आकांक्षी जिले के दो राज्य सरकारी गर्ल्स स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम/लैब उपलब्ध कराना।	शिक्षा	छत्तीसगढ	6.00 लाख रुपये	6.07 लाख रुपये	शून्य	63.87 लाख रुपए	आईएलएंडएफएस
7	आयुष्मान भारत पंजीकरण और जागरूकता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों का संचालन।	स्वास्थ्य	पैन इण्डिया	35.46 लाख रुपए	35.46 लाख रुपए	शून्य	99.33 लाख रुपए	सीएससी ई–गवर्नेंस सर्विसेज इण्डिया लिमिटेड
			कुल (रु.)	**99.46 लाख रुपए**	**99.33 लाख रुपए**			

9. वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान व्यय न की गई तेरह हजार रुपये की राशि 19–20 के दौरान व्यय की जाएगी।

10. जिम्मेदारी का विवरण

सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी सीएसआर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुपालन में है।

अनुबंध –VII

ऊर्जा का संरक्षण /प्रौद्योगिकी को अपनाना

(i)	ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव	• एडसिल में निम्नलिखित कदमों को लागू किया गया है: • पूरे भवन की लाइटिंग व्यवस्था पुरानी पारंपरिक ट्यूब लाईट से बदलकर एलईडी व्यवस्था कर दी गई है। • एयर–कंडीशनिंग प्रणाली का इश्टतम उपयोग किया जा रहा है। • भवन के कुछ निश्चित भाग में प्रायोगिक आधार पर सेंसर लाइटिंग व्यवस्था कार्यान्वित की जा रही है। • नियमित एएमसी करके विद्युत/यांत्रिक उपकरणों को अच्छी हालत में रखा जा रहा है।
(ii)	ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम	• कैंटीन में सोलर लाइट का प्रयोग किया जाता है। • स्ट्रीट लाइट के लिए सोलर पॉवर लाइट का प्रयोग किया जाता है। • सोलर पॉवर हीटर स्थापित किए गए हैं।
(iii)	ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश	• ऊर्जा के संरक्षण के लिए अब तक किया गया पूंजी निवेश लगभग 2.5 लाख रूपए है।

विदेशी मुद्रा आय और व्यय

क. विदेशी मुद्रा में आय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
एफओबी आधार पर माल का निर्यात	3794.65	6664.08
विदेशी शिक्षा (प्लेसमेंट) परियोजनाओं से राजस्व	53.18	7.91

ख. विदेशी मुद्रा में व्यय (लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
सी.आई.एफ. आधार पर आयात का मूल्य (व्यापार में स्टॉक)	-	42.08
यात्रा (विदेशी)	1.00	33.78
विदेशी शिक्षा (प्लेसमेंट) परियोजनाओं में व्यय	82.31	51.03
भुगतान किया गया किराया	7.59	1.00
कुल	**90.90**	**127.89**

अनुबंध –VIII

वित्त वर्ष 2018–19 के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां

i. कारोबार – प्रचालन से राजस्व (करोड़ रुपये में) – 10 अंक:

2017–18 (राजस्व अनुमान)	5 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य					उपलब्धि	प्राप्त अंक
		उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	उचित	खराब		
220	170.28	260	250	230	220	210	**317.27**	**10**

ii. प्रचालन से राजस्व के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ: (निवल) (%) – 20 अंक

2017–18 (राजस्व अनुमान)	5 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य					उपलब्धि	प्राप्त अंक
		उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	उचित	खराब		
15	24.56	17	16	15	14	13	**13.09**	**4.36**

iii. औसत नेटवर्थ के प्रतिशत के रूप में पैट (%) – 20 अंक

2017–18 (राजस्व अनुमान)	5 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य					उपलब्धि	प्राप्त अंक
		उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	उचित	खराब		
27	75	35	30	25	23	21	**28.96**	**15.2**

iv. वर्ष के दौरान प्राप्त नए ऑर्डर:

प्रदर्शन मानदंड	अंक	2017–18 (अनुमान)	5 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य					उपलब्धि	अंक प्राप्त किए
				उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	उचित	खराब		
वर्ष के दौरान प्राप्त नए ऑर्डर (करोड़ रुपये में)	5	200	250	220	210	205	200	195	**356.67**	**5**

v. नए उत्पादों या नई सुविधाओं वाले उत्पादों से विकास या राजस्व:

प्रदर्शन मानदंड	अंक	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य					उपलब्धि	अंक प्राप्त किए
		उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	उचित	खराब		
वर्ष के दौरान प्राप्त नए ऑर्डर (करोड रुपये में)	5	31.1.19	15.2.19	28.2.19	15.3.19	31.3.19	21.01.2019 और 31-01-2019	**5**

vi. ग्राहकों के आर्डर/समझौते के लक्ष्य बिना अतिरिक्त समय लिए पूरा करना (%):

प्रदर्शन मानदंड	अंक	2017-18 (अनुमान)	5 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य					उपलब्धि	अंक प्राप्त किए
				उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	उचित	खराब		
2 करोड रुपए या इससे अधिक के ग्राहकों के ऑर्डर/ समझौते के लक्ष्य बिना अतिरिक्त समय लिए पूरा करना (प्रतिशत):	10	100	100	100	95	90	85	80	**100%**	**10**

vii. प्रचालन (सकल) से राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में व्यापार प्राप्तियां (निवल):

प्रदर्शन मानदंड	अंक	2017.18 (अनुमान)	5 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य					उपलब्धि	अंक प्राप्त किए
				उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	उचित	खराब		
प्रचालन (सकल) से राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में व्यापार प्राप्तियां (निवल) (दिनों की संख्या)	10	120	30	100	115	130	140	150	**149.15**	**2.2**

viii. मानव संसाधन प्रबंधन:

क्र. सं.	प्रदर्शन मानदंड	अंक	समझौता ज्ञापन लक्ष्य					उपलब्धि	अंक प्राप्त किए
			उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	उचित	खराब		
1.	सीपीएसई में लोक क्षमता परिपक्वता मॉडल (पीसीएमएम) या समकक्ष के अनुरूप स्तर का आकलन और इस मामले को बोर्ड के समक्ष रखने के लिए निर्णय लेने के लिए कि क्या स्तर में उन्नयन करना है और यदि हां, तो बोर्ड से समयसीमा के लिए अनुमोदन प्राप्त करना। यदि नहीं, तो उचित कारण बोर्ड के संकल्प में दर्ज करना (तिथि)	5	15.12.18	15.1.19	31.1.19	15.2.19	28.2.19	12.12.18	5
2.	ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) का कार्यान्वयन (ऑनलाइन कर्मचारी डेटा प्रशासन, कर्मचारी स्वयं सेवा, निकास प्रक्रिया, प्रतिभा प्रबंधन, आदि से मिलकर) और वित्त के साथ इसका एकीकरण (तिथि)।	5	15.12.18	15.1.19	31.1.19	15.2.19	28.2.19	14.12.18	5

ix. अन्य क्षेत्र विशिष्ट परिणामोन्मुखी मापन योग्य मापदंड:

प्रदर्शन मानदंड	इकाई	अंक	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य					उपलब्धि	अंक प्राप्त किए
			उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	उचित	खराब		
''स्टडी इन इण्डिया'' वेब पोर्टल तैयार करना	तिथि	10	1.12.18	31.12.18	15.1.19	31.1.19	15.2.19	1.12.18	10
कुल									71.76*

**स्रोत स्व–मूल्यांकन के आधार पर है और अंतिम मूल्यांकन डीपीई के अधीन है*

अनुबंध –IX

कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी प्रमाण पत्र

सेवा में,

सदस्य,

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड,

नई दिल्ली

हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशा–निर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच उक्त विनियमों और दिशा–निर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन की समीक्षा करने तक सीमित रही है। यह न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2019 तक, कंपनी ने डीपीई द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशा–निर्देश, 2010 का अनुपालन किया है।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह के अनुपालन में न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन करने वाली दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी है।

कृते दिव्या गुप्ता एंड एसोसिएट्स
अभ्यासरत कंपनी सचिव

हस्ता./–
(दिव्या गुप्ता)
सदस्यता नं. 7792
सीओपी सं. 8530

तिथि: 04.07.2019
स्थान: नई दिल्ली

अनुबंध –X

निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल

श्री दिप्तीमान दास, सीएमडी
(डीआईएन 07255933)

श्री दिप्तीमान दास ने जुलाई, 2015 के दौरान एडसिल (भारत सरकार का मिनी रत्न उद्यम) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला था। श्री दास 1986 बैच की इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विसेज (आईआरईएस) के सदस्य रहे हैं।

वह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। श्री. दास ने जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर से पीजीडीएम और स्विनबर्न यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (एजीएसई) से एमबीए किया है। श्री दास ने पहले भारतीय रेलवे, भारतीय चाय बोर्ड और रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड में कई वरिष्ठ पदों पर कार्य किया।

वह अपने साथ सार्वजनिक क्षेत्र, स्वायत्त निकायों और सरकार के विभिन्न स्कंधों में रणनीति, परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन में व्यापक अनुभव लेकर आए हैं। श्री दास ने कई हरित क्षेत्र रेलवे नई लाइनों, विद्युतीकरण और दूरसंचार मेगा परियोजनाओं की संकल्पना, योजना और निष्पादन में योगदान दिया है। उन्होंने भारत और विदेशों के भीतर व्यापक पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

श्री दास ने एडसिल के कारोबार को वित्त वर्ष 14–15 के दौरान 78 करोड़ रुपये से 4X की बढ़ोतरी के साथ वित्त वर्ष 17–18 के दौरान बढ़ाकर 288 करोड़ रुपये किया है।

श्री दास ने कंपनी के समग्र पुनरुद्धार का भी नेतृत्व किया, जिसमें कंपनी में ऑनलाइन परीक्षण और डिजिटल शिक्षा सेवाओं के नए व्यापार कार्यक्षेत्रों की शुरुआत भी शामिल है। उनके नेतृत्व में, कंपनी ने भारत में भारत में अध्ययन के लिए आनेवाले विदेशी छात्रों की संख्या में तेजी से वृद्धि करने के लिए भारत में 'स्टडी इन इण्डिया' अभियान शुरू किया।

श्री प्रशांत अग्रवाल, एमएचआरडी द्वारा नामित निदेशक (डीआईएन 08126092)

श्री प्रशांत अग्रवाल, और भारतीय रेलवे स्टोर्स सर्विसेज (2002 बैच) के अधिकारी ने 23.03.2018 को एडसिल के सरकारी नामित निदेशक का पदभार संभाल लिया है।

एमएनआईटी/जयपुर से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक करने के बाद, वह 2003 में सहायक सामग्री प्रबंधक के रूप में भारतीय रेलवे में शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने दक्षिण पश्चिम रेलवे/हुबली, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स/वाराणसी और उत्तर पश्चिम रेलवे/जयपुर, सीनियर मैटेरियल्स मैनेजर/बैंगलोर, उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/आयात/डीएलडब्ल्यू और मुख्य सूचना अधिकारी/एनडब्ल्यूआर पर अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे।

वर्तमान में वह प्रतिनियुक्ति पर उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

उनके पास सामान और सेवाओं की खरीद (आयात निर्यात सहित) और आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) में व्यापक अनुभव है।

श्री रॉबर्ट शेटकिंटोंग वर्तमान में विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव (संसद और समन्वय) के रूप में तैनात हैं। वह भारतीय विदेश सेवा के सदस्य हैं। उन्होंने अपनी सेवा के दौरान रोम, स्लोवेनिया और तंजानिया में राजनयिक कार्यों सहित कई जिम्मेदार पदों पर कार्य किया है। वह 21.05.2019 से एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड के बोर्ड में हैं।

श्री रॉबर्ट शेटकिंटोंग, विदेश मंत्रालय के नामित निदेशक (डीआईएन 08642781)

डॉ. हर्षद ए. पटेल, स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन 07725362)

डॉ हर्षद ए. पटेल का जन्म 24 जून 1971 को गुजरात में हुआ था, जो 7 फरवरी 2017 से गैर–आधिकारिक अंश कालिक/ स्वतंत्र निदेशक के रूप में कंपनी के निदेशक मंडल में हैं। शिक्षा क्षेत्र में उनका 21 वर्ष का शानदार करियर है। वर्तमान में, वह गुजरात सरकार द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षक शिक्षा संस्थान, गांधीनगर के कुलपति हैं। वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की पश्चिमी क्षेत्रीय समिति के सदस्य हैं। वह वर्ष 1998 वर्ष 2019 तक से एसयूजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन अहमदाबाद, गुजरात में एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे चुके हैं। शिक्षा के अलावा, वह वर्ष 1998 में मुख्यमंत्री कार्यालय गुजरात में मीडिया के लिए विशेष अधिकारी रहे हैं। वह पिछले 14 वर्षों से शैक्षिक विषय आधारित मासिक पत्रिका 'आदित्य किरण' के संपादक भी हैं। वह पत्रकारिता में स्नातकोत्तर और शिक्षा में पीएचडी हैं।

प्रो. ई. वायुनंदन, एमए (लोक प्रशासन), एम. फिल और पीएचडी हैं, उनके पास 31 वर्ष का शिक्षण और शोध का अनुभव है। उन्होंने अगस्त 1987 से 6 मार्च, 2017 तक इग्नू में काम किया। उन्होंने लोक प्रशासन और आपदा प्रबंधन के विषयों में योगदान दिया है। वह लोक प्रशासन, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएट और डिजास्टर मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट डिप्लोमा में बीडीपी ऐच्छिक पाठ्यक्रमों के विकास में शामिल थे। वे पीएचडी के कार्यक्रम, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्बन गवर्नेंस कार्यक्रम के समन्वयक थे। उन्हें पांच पुस्तकों के लेखन और संपादन का श्रेय जाता है। उनके पर्यवेक्षण के अधीन चार छात्रों को

डॉ. ई. वायुनंदन, स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन 07737382)

पीएच.डी. में डिग्री मिली। उन्होंने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकों और पत्रिकाओं में आठ शोध पत्रों और आठ लेखों का योगदान दिया है। अनुसंधान के उनके क्षेत्र प्रशासनिक सिद्धांत, शासन, श्रम प्रशासन और सार्वजनिक नीति हैं। उन्होंने स्थानीय शासन के लिए राष्ट्रीय ओडीएल केंद्र के निदेशक के रूप में काम किया।

वह आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सह–आयोजन सचिव थे: दक्षिण एशिया में सहकारिता नेटवर्किंग, शासन और विकास: आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए आजीविका विकल्पों पर मुद्दों और रणनीतियों और कार्यशाला, वह विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संस्थानों द्वारा आयोजित सिविल सेवकों के प्रशिक्षण में शामिल रहे हैं। वह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण–आपदा प्रबंधन के संबंध में क्षमता निर्माण की इग्नू की परियोजना के लिए पर सरकार के अधिकारियों और जिला स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के लिए परियोजना के अन्वेषक थे। वह इग्नू के प्रोजेक्ट टीम और कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की ''आपदा से निपटने की तैयारी के संबंध में सामुदायिक चेतना'' परियोजना के सदस्य थे। भारत की 'आपदा तैयारी पर सामुदायिक जागरूकता' पर उन्हें 8 मार्च, 2017 को यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, नासिक, महाराष्ट्र, भारत का कुलपति नियुक्त किया गया है।

अनुबंध –XI–क

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था यू/एस 188 (1) फॉर्म एओसी–2 (अधिनियम की धारा 134 के उप–खंड (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014) (वर्ष 2018–19) के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा दर्ज किए गए संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे परंतुक के तहत कुछ निष्पक्ष और सुविधाजनक लेन–देन शामिल हैं।

क्र. सं.	विवरण	विवरण
1.	जे निष्पक्ष और सुविधाजनक नहीं हैं, ऐसी संविदा या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण	
(क)	संबंधित पार्टी और रिश्ते की प्रकृति का नाम	शून्य
(ख)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन–देन की प्रकृति	लागू नहीं
(ग)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन–देन की अवधि	लागू नहीं
(घ)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन–देन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य शामिल है, यदि कोई हो	लागू नहीं
(ड.)	ऐसे संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन–देन में प्रवेश करने का औचित्य	लागू नहीं
(च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां)	लागू नहीं
(छ)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	लागू नहीं
(ज)	जिस तारीख को सामान्य बैठक में धारा 188 के लिए पहले परंतुक के तहत आवश्यक विशेष संकल्प पारित किया गया था।	लागू नहीं
2.	निष्पक्ष और सुविधाजनक के आधार पर सामग्री संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरण	
(क)	संबंधित पार्टी और रिश्ते की प्रकृति का नाम (एस)	शून्य
(ख)	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन–देन की प्रकृति	लागू नहीं
(ग)	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन–देन की अवधि	लागू नहीं
(घ)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें जिनमें मूल्य शामिल हैं, यदि कोई हो:	लागू नहीं
(ड.)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हो:	लागू नहीं
(च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	लागू नहीं

अनुबंध –XI–ख

प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक आदि की जानकारी
कंपनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक), नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 का नियम 5 (2)

क्र. सं.	नाम	पदनाम/ कार्य की प्रकृति	प्राप्त पारिश्रमिक (लाख रु में)	नियुक्ति की प्रकृति संविदात्मक या अन्य कोई	कर्मचारी की अर्हता	कर्मचारी का अनुभव (वर्षों में)	नियुक्ति की तिथि	31.03.2019 को कर्मचारी की आयु (वर्षों में)	कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले का रोजगार	कर्मचारी की इक्विटी शेयरधारिता की प्रतिशतता	यदि प्रबंध निदेशक से संबंधित है तो ऐसे प्रबंध निदेशक का नाम
(i)	(ii)	(iii)	(iv))	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)
1	दिप्तीमान दास	सीएमडी	5959000	बोर्ड स्तर	एमए (अर्थशास्त्र), एमबीए, पीजीडीबीएम, एलएलबी	33 वर्ष	24.07.2015	59 वर्ष	रेल मंत्रालय	शून्य	नहीं
2	संदीप गोयल	सीजीएम	4366136	नियमित	आईसीडब्ल्यूए	27 वर्ष	15.11.2016	51 वर्ष	सेल	शून्य	नहीं
3	जी. एस. श्रीधर	डीजीएम	4084275	नियमित	बी. टेक (इलेक्ट्रॉनिक्स), एम. टेक	36 वर्ष	26.06.1990	58 वर्ष	डीआरडीओ	शून्य	नहीं
4	केपीएस सिसोदिया	डीजीएम	3816689	नियमित	एलएलबी, एमकॉम, पीजीडीएचआरएम	33 वर्ष	07.10.1998	50 वर्ष	सेल	शून्य	नहीं
5	मनोज कुमार	ईडी	3511952	नियमित	बी. टेक, एमबीए,	23 वर्ष	01.08.2017	50 वर्ष	टीईआरएम, दूरसंचार मंत्रालय	शून्य	नहीं
6	एस के लोखंडे	डीजीएम	4716119	नियमित	बीई (सिविल)	28.02.2019 को सेवानिवृत्त					
7	एमजी नंदीश बाबू	डीजीएम	3727308	नियमित	बीई (सिविल), एम. टेक	25 वर्ष	04.04.1996	50 वर्ष	बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनी	शून्य	नहीं
8	यू एस गायकवाड़	जीएम	3413062	नियमित	बीकॉम, एलएलबी,लॉ स्टडीज में मास्टर्स, पीजीडीएचआरएम	27 वर्ष	18.06.2008	51 वर्ष	एनएससीएफडीसी	शून्य	नहीं
9	एस घोष	जीएम	3541415	नियमित	एमएससी,एमबीए, पीजीडीएचआरएम	33 वर्ष	22.02.1993	58 वर्ष	सीएसआईआर	शून्य	नहीं
10	मनस रंजन बेहरा	डीजीएम	3015378	नियमित	बीकॉम, सीए इंटर	24 वर्ष	25.09.2000	51 वर्ष	एनएसआईसी	शून्य	नहीं

(क) समीक्षाधीन वित्तीय पूरे वर्ष में नियोजित थे और उस वित्तीय वर्ष के लिए पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे थे, जो एक करोड़ रुपये और दो लाख रुपये से कम नहीं है।
....शून्य....

(ख) समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के भाग के लिए नियोजित और उस वित्तीय वर्ष के किसी भी भाग के लिए पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे थे, जो कुल मिलाकर आठ लाख और 50,000 रुपये प्रति माह से कम नहीं था।
....शून्य....

(ग) वित्तीय वर्ष या उसके भाग में कार्यरत, उस वर्ष में पारिश्रमिक की प्राप्त कर रहे थे, जो कुल, या जो भी मामला हो, एक दर पर, जो कुल मिलाकर, प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक द्वारा लिए गए पारिश्रमिक से अधिक है और जिनके पास स्वयं या अपने जीवनसाथी और आश्रित बच्चों पास बच्चों, कंपनी के इक्विटी शेयरों के दो प्रतिशत से कम नहीं है।
....शून्य....

अनुबंध –XII

स्टडी इन इण्डिया – अवधारणा के संबंध में नोट

पृष्ठभूमि

अगले पांच वर्षों में भारत में अध्ययन के लिए आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में तेजी से वृद्धि करने के उद्देश्य से, एसएफसी द्वारा 15.03.2018 को ''स्टडी इन इण्डिया'' कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यवस्थित ब्रांड निर्माण, विपणन, सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग अभियानों के माध्यम से भारत में अध्ययन के लिए आने अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या को बढ़ाना है। कार्यक्रम शुरू करने के साथ शैक्षणिक वर्ष 2018–19 और 2019–20 में दो वर्ष की अवधि के लिए भारत में अध्ययन के लिए आने छात्रों को लक्षित किया गया है। इस कार्यक्रम में 160 चुनिंदा भारतीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों (एनआईआरएफ और नैक रैंकिंग के आधार पर) के साथ साझेदारी शामिल होगी और यह दक्षिण–पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के 30 लक्षित देशों पर केंद्रित होगा।

आँकड़े

भारत को अभी अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए अपने व्यापक शिक्षा नेटवर्क की पूरी क्षमता का दोहन करना है। हम ~38,000 कॉलेजों और ~800 विश्वविद्यालयों के साथ उच्च शैक्षिक नेटवर्क के मामले में तीसरे स्थान पर हैं। वर्तमान में ~45,000 (यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार) (11,250 प्रतिवर्ष) अंतरराष्ट्रीय छात्र (वैश्विक अंतरराष्ट्रीय छात्र गतिशीलता का ~1 प्रतिशत के लिए लेखांकन) भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं, जिससे भारत विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय छात्र गतिशीलता के लिए शीर्ष स्थलों में 26वें स्थान पर बना रहा है।

भारत की आकांक्षा लोकप्रिय शिक्षा स्थलों के विकास की दर को मात देकर 2022 तक 1.5 से 2.5 लाख अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए 3.5 से 5.5 गुना बढ़ने और दुनिया में ~15वें स्थान पर पहुंचने की होनी चाहिए। इससे वैश्विक शिक्षा निर्यात में भारत की बाजार हिस्सेदारी जो 1 प्रतिशत से कम है, दोगुनी होकर पांच वर्ष में 5 प्रतिशत से हो जाएगी। जिसका अनुमानित राजस्व ~ ~6500-7000 करोड़ रुपये होगा।

हालांकि, भारत ने तकनीकी रूप से 2009 से 2016 के बीच भारत में अध्ययन के लिए आनेवाले विदेशी छात्रों में 12 प्रतिशत सीएजीआर देखी गई, लेकिन इसे बहुत संकीर्ण आधार की पृष्ठभूमि में देखा जाना है। भारत, अपने विशाल शैक्षिक नेटवर्क के साथ अंतरराष्ट्रीय छात्रों की आबादी (जैसे 2009 में 20,000) की इस संकीर्ण आधार संख्या पर काम कर रहा है। अन्य बेंचमार्क देश, जिन्होंने हाल के दिनों में खुद को पसंदीदा गंतव्यों के रूप में स्थापित किया है, उनका इन्हीं अवधियों में एक बहुत छोटा शैक्षिक नेटवर्क था, उन्होंने उच्च सीएजीआर का प्रदर्शन किया है (अर्थात जब उनका आने वाला छात्रों का अंतर्राष्ट्रीय छात्र जनसंख्या आधार भारत के समान था)।

कार्यनीति

अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए शीर्ष 20 गंतव्यों में से एक बनने की अपनी आकांक्षा को पूरा करने के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य 2023 तक हर वर्ष 1.5 से 2 लाख अंतरराष्ट्रीय छात्रों की मेजबानी करके वैश्विक शिक्षा परिदृश्य में भारत की स्थिति को ऊंचा करना होगा।

सबसे पहले, हम लक्षित स्रोत देशों से मांग का पता लगाने का लक्ष्य रखेंगे, जिसमें प्रमुख इनपुट वाले सोशल मीडिया का उपयोग करके लक्षित विपणन अभियान द्वारा समर्थित बाजार तक पहुंचने की व्यापक रणनीति शामिल होगी:

1. मोबाइल ऐप सहित वेबसाइट संभावित उम्मीदवारों/छात्रों को 160 चुनिंदा प्रतिभागी भारतीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों से जोड़ने की रणनीति का आधार होगा, जो एक हेल्पलाइन कॉल सेंटर द्वारा विधिवत समर्थित है।

2. ''स्टडी इन इण्डिया'' ब्रांड के निर्माण और ब्रांड संवर्धन के क्षेत्र में एक विस्तृत सोशल मीडिया अभियान बनाया जाएगा।

3. प्राथमिक और माध्यमिक बाजार अनुसंधान के आधार पर 30 लक्षित देशों के लिए देश–विशिष्ट डोजियर।

4. देशों को लक्षित करने और ब्रांड इमेज बनाने के लिए शुरुआती चरण में काफी अनुसंधान और विश्लेषण किया जाएगा। कार्यक्रम की पर्याप्त ब्रांडिंग लोगो, टैगलाइन, कॉर्पोरेट फिल्मों, ब्रोशर आदि के निर्माण के माध्यम से की जाएगी।

5. प्रत्येक लक्षित देश में ''भारत शिक्षा दिवस'' का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रतिभागी संस्थानों द्वारा छात्रों के लिए सेमिनार/कार्यशालाएं/प्रस्तुतियां, सांस्कृतिक, पाककला और मजेदार कार्यक्रम जैसे प्रश्नोत्तरी, मजेदार–खेल शामिल होंगे।

6. इनबाउंड छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक ऑनलाइन परीक्षा (इंड–टीएएस) का आयोजन।

7. सुविधा केंद्र, दोनों विदेशी और अंतरराष्ट्रीय।

8. चैनल भागीदरों को मान्यता प्रदान करना।

9. भागीदार संस्थानों/संगठनों के साथ छात्र आदान–प्रदान/भर्ती के लिए सहयोग/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना।

10. सभी रूपों भौतिक मीडिया (टीवी, रेडियो, होर्डिंग, जिंगल, आदि) को कवर करने वाली विपणन और पीआर गतिविधियां।

11. रणनीति के कार्यान्वयन के दौरान नीतियां तैयार करने और सहयोग देने के लिए एक रणनीतिक परामर्श फर्म की नियुक्ति और अद्यतन बाजार अनुसंधान और सिद्ध विश्लेषण करवाना।

अगला ध्यान अंतरराष्ट्रीय छात्रों को भेजने वाले प्रीमियम संस्थानों के साथ निरंतर जुडते हुए ''अंतरराष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण'' मान्यता और रैंकिंग फ्रेमवर्क विकसित करना और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए किफायती सीटें पैदा करने के माध्यम से मेजबान देश में **उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों की आपूर्ति को सशक्त करने पर होगा।** इसके तहत निम्नलिखित प्रमुख मदें हैं:

1. अंतरराष्ट्रीय छात्रों की पूर्ति करने वाले प्रमुख शिक्षा संस्थानों की भागीदारी बढ़ाकर गुणवत्ता और तत्परता में सुधार।

2. पैनल बनाने की रूपरेखा के भाग के रूप में, रैंकिंग और पैनलिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य प्रणाली बनाना।

3. अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए किफायती सीटें बनाना।

अंत में, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की सहजता और प्रवेश में सुधार के लिए **एक सक्षम शासी वातावरण के निर्माण** पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। निम्नलिखित के तहत प्रमुख मदें होंगी:

1. विशेष रूप से लक्षित देशों से उच्च गुणवत्ता वाले छात्रों को आकर्षित करने के लिए वीजा/एफआरआरओ और इंटर्नशिप नीतियों को सरल बनाना।

2. लक्षित देशों में संस्थानों/विश्वविद्यालयों की पारस्परिक मान्यता।

3. यूजीसी/एआईसीटीई नियमों में संशोधन भारत में आनेवाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए जरूरी है (उदाहरण के लिए जहां जरूरी हो वहां 15 प्रतिशत अधिसंख्य सीटों की उच्चतम सीमा को बढ़ाना)।

शुल्क माफी

कार्यक्रम के भाग के रूप में कोई विशिष्ट छात्रवृत्ति की पेशकश नहीं की जाएगी और छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर केवल छूट की पेशकश की जाएगी।

1. शीर्ष 25% के छात्रों के लिए 100% छूट (केवल पाठ्यक्रम की फीस पर 100% छूट)

2. अगले 25% छात्रों के लिए 50% छूट (केवल पाठ्यक्रम की फीस पर 50% छूट)

3. अगले 25% छात्रों के लिए 50% छूट (केवल पाठ्यक्रम की फीस पर 25% छूट)

4. अगले 25% छात्रों को फीस पर कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी

सरकारी संस्थानों के मामले में छूट की लागत को मौजूदा वित्तपोषण से उन संस्थानों को फिर से विनियोजित किया जाएगा और इसके लिए कोई अतिरिक्त नकद राशि जारी नहीं की जाएगी। निजी संस्था को अपने ंस्थानों के लिए इसी तरह की योजनाएं तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

नोडल एजेंसी

एमएचआरडी के तहत एकमात्र सीपीएसई, एडसील (इण्डिया) लिमिटेड को रणनीति विकसित करने और भारत में अध्ययन कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 'कार्यान्वयन एजेंसी' के रूप में नामित किया गया है।

अनुबंध –XII

वर्ष 2018–19 के दौरान पूरी हो चुकी/जारी डिजिटल शिक्षा प्रणाली की परियोजनाओं का सार

डीईएस विभाग – कार्यरत परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्र	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
1.	दिल्ली	शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार	शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार	निष्पादन चरण में।
2.	दिल्ली	शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार	150 स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं का कार्यान्वयन	निष्पादन चरण में।
3.	सिक्किम	सामाजिक न्याय, अधिकारिता और कल्याण विभाग, सिक्किम	सिक्किम में 290 स्कूलों (500 यूनिट) में स्मार्ट कक्षाओं के समाधान का कार्यान्वयन	निष्पादन चरण में।
4.	अरुणाचल प्रदेश	प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश के 426 स्कूलों में 852 स्मार्ट कक्षाओं का कार्यान्वयन	निष्पादन चरण में।
5.	असम	चार विकास क्षेत्र असम निदेशालय, असम सरकार	असम में 841 स्कूलों (1682 इकाइयों) में स्मार्ट कक्षाओं के समाधान का कार्यान्वयन	निष्पादन चरण में।
6.	कर्नाटक	अल्पसंख्यक मामले विभाग, कर्नाटक सरकार	474 स्कूलों में 609 कक्षाओं में स्मार्ट कक्षाओं का कार्यान्वयन	निष्पादन चरण में।
7.	मध्य प्रदेश	एनएचएसआरसीएल	एनएचएसआरसीएल के लिए नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना में परामर्श प्रदान करना	निष्पादन चरण में।
8.	दिल्ली	शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार	944 स्कूलों में संयुक्त कक्षाओं का कार्यान्वयन	निष्पादन चरण में।

डीईएस विभाग (पूरी की गई परियोजना) – अंतर्राष्ट्रीय

क्र. सं.	राज्य/देश का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
1.	मॉरीशस	मॉरीशस गणराज्य	प्रारंभिक डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम (ईडीएलपी) परियोजना, ग्रेड 3 के लिए द्वितीय चरण के तहत प्राथमिक स्कूलों में संबंधित हार्डवेयर के साथ टैबलेट की आपूर्ति, कमीशनिंग और रखरखाव	कमीशनिंग पूरी

डीईएस विभाग (पूरी की गई परियोजना) – घरेलू

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
1.	कर्नाटक	अल्पसंख्यक विभाग, कर्नाटक सरकार.	287 स्कूलों की 464 कक्षाओं में स्मार्ट कक्षाओं का कार्यान्वयन	कमीशनिंग पूरी
2.	उत्तर प्रदेश	समाज कल्याण विभाग, उ.प्र. सरकार	उ.प्र. समाज कल्याण – उ.प्र. सरकार के समाज कल्याण विभाग के लिए उ.प्र. में (25) राजकीय आश्रम पडती स्कूलों के लिए आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और तकनीकी सहायता	कमीशनिंग पूरी हो गई
3.	उत्तर प्रदेश	जनजातीय विकास विभाग, उ.प्र. सरकार	उ.प्र.जनजातीय विकास विभाग – उ.प्र. सरकार के आदिवासी विकास विभाग के लिए उ.प्र. में (08) राजकीय आश्रम पडती स्कूलों के लिए आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और तकनीकी सहायता	कमीशनिंग पूरी
4.	उत्तर प्रदेश	समाज कल्याण विभाग, उ.प्र. सरकार	उ.प्र. सोशल वेलफेयर – उ.प्र. सरकार के समाज कल्याण विभाग के लिए उ.प्र. में (36) राजकीय आश्रम पडती स्कूलों के लिए आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और तकनीकी सहायता	कमीशनिंग पूरी
5.	महाराष्ट्र	एएआई	स्टोरेज फर्नीचर के साथ एयरपोर्ट हाई स्कूल के लिए 2 कंप्यूटर लैब का कार्यान्वयन	कमीशनिंग पूरी
6.	मध्य प्रदेश	एएआई	गोंदिया, एएआई में 3 स्मार्ट क्लासरूम और 1 लैब का कार्यान्वयन	कमीशनिंग पूरी
7.	राजस्थान	आर्मी पब्लिक स्कूल	आर्मी पब्लिक स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं का कार्यान्वयन	कमीशनिंग पूरी

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान पूरी/चल रही परियोजनाओं का सार
ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवा प्रभाग

(क) अंतर्राष्ट्रीय

(i) पूर्ण परियोजनाएं :–

1) **नेपाल – भारतीय दूतावास, काठमांडू, नेपाल** – छात्रवृत्ति का आधार विभिन्न पाठ्यक्रमों – बीई, बी फार्मा, बीएससी (एजी), बीएससी (डेयरी टेक), बीएससी (नर्सिंग), एमबीबीएस (सेल्फ फाइनेंसिंग) आदि में प्रवेश के लिए नेपाली छात्रों के चयन हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (प्रवेश परीक्षा) आयोजित करना – विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के तहत – 2018–19 – पूरी हो गई।

(ख) राष्ट्रीय

1. **भोपाल** – अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स–भोपाल) – नर्सिंग और सीनियर नर्सिंग पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन – 2018–19 – **पूरा हुआ।**
2. **भुवनेश्वर (ओडीसा)** – ओडीसा आदर्श विद्यालय संगठन (ओएवीएस) – प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन – 2018–19 – **पूरा हुआ।**
3. **भुवनेश्वर (ओडिशा)** – अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) – विभिन्न श्रेणियों के 46 पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन और कार्यालय सहायक पद के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित कौशल परीक्षा – 2018–19 – **पूरा हुआ।**
4. **चेन्नई** – भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण–दक्षिणी क्षेत्र (एएआई–एसआर) जूनियर असिस्टेंट (फायर सर्विसेज) और वरिष्ठ सहायक (इलेक्ट्रॉनिक्स) के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का संचालन– 2018–19 – **पूरा हुआ।**
5. **कोलकाता** – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल–ईआर–1), डिप्लोमा प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन – 2018–19 – **पूरा हुआ।**
6. **लखनऊ (उत्तर प्रदेश)** – उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) – विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन – 2018–19 – **पूरा हुआ।**
7. **मुंबई** – भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण–पश्चिमी क्षेत्र (एएआई–डब्ल्यूआर) – विशेष भर्ती अभियान के तहत पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए वरिष्ठ सहायक (लेखा)/वरिष्ठ सहायक (स्टेनो)/सहायक (कार्यालय)/कनिष्ठ सहायक (ड्राइंग–सिविल) / कनिष्ठ सहायक (ड्राइंग–इलेक्ट्रिकल) /कनिष्ठ सहायक (एसीआर) के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन **पूरा हुआ।**
8. **नई दिल्ली** – इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड – (इरकॉन फेज–4) (एसएंडटी), एओ और एएम (एचआर), फाइनेंस, इंजीनियर और एचआर पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन – 2018–19 – **पूरा हुआ।**
9. **नई दिल्ली** – दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) – जूनियर इंजीनियर (सिविल और इलेक्ट्रिकल) और विभिन्न अन्य पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन – 2018–19 – **पूरा हुआ।**
10. **नई दिल्ली** – निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) – तकनीकी अधिकारियों, लेखा अधिकारी और अनुभाग अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए अश्वनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन – 2018–19 – **पूरा हुआ।**
11. **नई दिल्ली** – केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) – सीमित विभागीय परीक्षा के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का संचालन – 2018–19 – **पूरा हुआ।**
12. **नई दिल्ली** – नवोदय विद्यालय संगठन (एनवीएस) – एलडीसी और एलडीसी/स्टोरकीपर के पद के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित कौशल परीक्षण (टाइपिंग) का संचालन – 2018–19 – **पूरा हुआ।**
13. **नई दिल्ली** – दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) – दिल्ली के एनसीटी सरकार के विभिन्न विभागों के लिए पीजीटी और टीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए अश्वनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन – 2018–19 – **पूरा हुआ।**

14. **नई दिल्ली** – भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई) – गेट के प्राप्तांकों के माध्यम से प्रबंधक प्रशिक्षुओं के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन – 2018–19 – **पूरा हुआ।**
15. **नई दिल्ली** – राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनसीडीसी) – विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन – 2018–19 – **पूरा हुआ।**
16. **नई दिल्ली** – डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) – एग्जीक्यूटिव (ईओ), जूनियर एग्जिक्युटिव्स (एन5), मल्टी टास्किंग स्टाफ (एन3) और मल्टी टास्किंग स्टाफ (एन1) की भर्ती के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन – 2018–19 – **पूरा हुआ।**
17. **नई दिल्ली** – डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) – मल्टी टास्किंग स्टाफ (एन3) और मल्टी टास्किंग स्टाफ (एन1) के पद पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन– – 2018–19 – **पूरा हुआ।**
18. **नई दिल्ली** – सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (सीक्रेस) – सीनियर रिसर्च फेलो (एसआरएफ) की भर्ती के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का संचालन – 2018–19 – **पूरा हुआ।**
19. **नई दिल्ली** – भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण –मुख्यालय (एएआई–मुख्यालय) – विभिन्न विषयों में कनिष्ठ अभियंताओं और प्रबंधकों के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन – 2018–19 – **पूरा हुआ।**
20. **नई दिल्ली** – कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) – आईएमओ, जूनियर इंजीनियर (सिविल एंड इलेक्ट्रिकल) और पैरामेडिकल पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन – 2018–19 – **पूरा हुआ।**
21. **नई दिल्ली** – गेल इण्डिया लिमिटेड (गेल) – विभिन्न गैर–अधिकारियों के पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन – 2018–19 – **पूरा हुआ।**
22. **नई दिल्ली** – रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (रेलटेल) – तकनीकी अधिकारियों की भर्ती के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का संचालन – 2018–19 – **पूरा हुआ।**
23. **नई दिल्ली** – भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) – उप प्रबंधकों और वरिष्ठ सहायक (इलेक्ट्रिकल) के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन 2018–19 – **पूरा हुआ।**
24. **पटना** – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल–ईआर–2), डिप्लोमा प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन – 2018–19 – **पूरा हुआ।**
25. **पटना** – नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी–पटना), बीआरबीसीएल, केबीएएल और एनपीजीसी–पटना के लिए डिप्लोमा प्रशिक्षुओं (डीटीएस) की भर्ती के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन – 2018–19 – **पूरा हुआ।**
26. **रायपुर (छत्तीसगढ़)** – छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कारपोरेशन लिमिटेड (सीएसपीएचसीसीएल) – सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता आदि के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन – 2018–19 – **पूरा हुआ।**

वर्ष 2018–19 के दौरान विदेशी शिक्षा सेवाओं की चल रही/पूरी हो चुकी परियोजनाओं का सार

(देश/ग्राहकों का नाम/परियोजना का नाम/स्थिति)

प्लेसमेंट प्रोजेक्ट:

क्र. सं.	देश/राज्य का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
1	अफगानिस्तान	अफगान उच्च शिक्षा मंत्रालय, काबुल, अफगानिस्तान	2015–16 बैच के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडसिल से जुड़े संस्थानों में अफगान छात्रों का प्लेसमेंट	पूरा हुआ
2	भूटान	भूटान की शाही सरकार, थिम्पू	2015–16 बैच के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडसिल से जुड़े संस्थानों में भूटानी छात्रों का प्लेसमेंट	पूरा हुआ
3	भूटान	भूटान की शाही सरकार, थिम्पू	2016–17 बैच के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडसिल से जुड़े संस्थानों में भूटानी छात्रों का प्लेसमेंट	जारी है
4	भूटान	भूटान की शाही सरकार, थिम्पू	2017–18 बैच के लिए अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रमों में एडसिल से जुड़े संस्थानों में भूटानी छात्रों का प्लेसमेंट	जारी है
5	भूटान	भूटान की शाही सरकार, थिम्पू	2018–19 बैच के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ''स्टडी इन इण्डिया'' के तहत पैनल में शामिल संस्थानों में भूटानी छात्रों का प्लेसमेंट	जारी है
6	विभिन्न देशों के स्ववित्तपोषित छात्र	भूटान की शाही सरकार, थिम्पू	2018–19 के लिए होटल प्रबंधन कार्यक्रमों में सेल्फ फाइनेंस छात्रों का प्लेसमेंट	जारी है
7	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	2014–15 के लिए बीएएमएस/डॉक्टरेट कार्यक्रमों में एडसिल से जुड़े संस्थानों में नेपाली छात्रों का प्लेसमेंट	पूरा हुआ

क्र. सं.	देश/राज्य का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
8	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	2015–16 बैच के लिए बी फार्मेसी, लैब (नर्सिंग), कृषि, डेयरी प्रौद्योगिकी और पशु चिकित्सा कार्यक्रम, बीटेक प्रोग्राम जैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों में एडसिल संबद्ध संस्थानों में नेपाली छात्रों का प्लेसमेंट	पूरा हुआ
9	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	2016–17 बैच के लिए बी फार्मेसी, लैब (नर्सिंग), कृषि, डेयरी प्रौद्योगिकी और पशु चिकित्सा कार्यक्रम, बीटेक प्रोग्रामों जैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडसिल संबद्ध संस्थानों में नेपाली छात्रों का प्लेसमेंट	जारी है
10	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	2017–18 बैच के लिए बी फार्मेसी, लैब (नर्सिंग), कृषि, डेयरी प्रौद्योगिकी और पशु चिकित्सा कार्यक्रम, बीटेक प्रोग्राम जैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडसिल संबद्ध संस्थानों में नेपाली छात्रों का प्लेसमेंट	जारी है
11	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	2017–18 बैच के लिए विभिन्न स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में एडसिल से जुड़े संस्थानों में नेपाली छात्रों का प्लेसमेंट	पूरा हुआ
12	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	2018–19 बैच के लिए विभिन्न अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में ''स्टडी इन इण्डिया'' के तहत पैनल में शामिल संस्थानों में नेपाली छात्रों का प्लेसमेंट	जारी है
13	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	2014–15 बैच के लिए एनआरआई/ पीआईओ/सीआईडब्ल्यूजी के छात्रों का प्लेसमेंट औरएसपीडीसी छात्रवृत्ति योजना के तहत बी. आर्क प्रोग्राम के लिए चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण	पूरा हुआ
14	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	2015–16 बैच के लिए एसपीडीसी छात्रवृत्ति योजना के तहत विभिन्न अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रमों के लिए चयनित छात्रों को एनआरआई/पीआईओ/सीआईडब्ल्यूजी छात्रों का प्लेसमेंट और छात्रवृत्ति का वितरण	पूरा हुआ

क्र. सं.	देश/राज्य का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
15	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	2015–16 बैच के लिए एसपीडीसी छात्रवृत्ति योजना के तहत बीआर्कप्रोग्राम के लिए चयनित छात्रों को एनआरआई/पीआईओ/सीआईडब्ल्यूजी छात्रों का प्लेसमेंट और छात्रवृत्ति का वितरण	पूरा हुआ
16	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	2016–17 बैच के लिए एसपीडीसी छात्रवृत्ति योजना के तहत विभिन्न अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रमों के लिए चयनित छात्रों को एनआरआई/पीआईओ/सीआईडब्ल्यूजी छात्रों का प्लेसमेंट और छात्रवृत्ति का वितरण	जारी है
17	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	2017–18 बैच के लिए एनआरआई/पीआईओ/सीआईडब्ल्यूजी के छात्रों और एसपीडीसी छात्रवृत्ति योजना के तहत विभिन्न अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रमों के लिए चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण	जारी है
18	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	2018–19 बैच के लिए एसपीडीसी छात्रवृत्ति योजना के तहत विभिन्न अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रमों के लिए चयनित छात्रों को एनआरआई/पीआईओ/सीआईडब्ल्यूजी छात्रों का प्लेसमेंट और छात्रवृत्ति का वितरण	जारी है
19	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय	2018–19 बैच के लिए विभिन्न अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में ''स्टडी इन इण्डिया'' के तहत पैनल में शामिल संस्थानों में सीरियाई छात्रों का प्लेसमेंट	जारी है

शैक्षणिक ढांचागत सेवाओं और शैक्षणिक प्रापण–खरीद सेवाओं की वर्ष 2018–2019 के दौरान चालू/पूर्ण परियोजनाओं का सारांश

राष्ट्रीय :–

क. राज्य स्तर पर संस्थानात्मक विकास :–

जारी– शून्य

पूर्ण

1. **छत्तीसगढ़ :** सूचना प्रौद्योगिकी का अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान (आईआईआईटी), रायपुर, छत्तीसगढ़ (डिजाइन और बृहत् अभियान्त्रिकी परामर्शी सेवाएं) 2014–2015 (वित्तीय समापन का कार्य प्रगति पर है)।

2. **महाराष्ट्र :** शोलापुर विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, शोलापुर (डिजाइन और बृहत् अभियान्त्रिकी परामर्शी सेवाएं) 2014–2015 (वित्तीय समापन का कार्य प्रगति पर है)।

3. **नई दिल्ली :** कॉपीराइट कार्यालय और कॉपीराइट बोर्ड (सीआरओ एवं सीआरबी) नई दिल्ली से संबंधित सिविल एवं विद्युत निर्माण–संरचनाओं की मरम्मत और नवीयन (वित्तीय समापन का कार्य प्रगति पर है)।

4. **उत्तर प्रदेश :** केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में बहुप्रयोजनीय कक्ष का निर्माण (मुख्य कार्य वर्ष 2017–18 में पूर्ण हो गया)।

ख. राज्य स्तर की प्रापण–खरीद :–

जारी

1. **पंजाब :** आई.के. गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय (मुख्य परिसर और इसके संघटक) कपुरथला जालंधर (पंजाब) की स्थापना के लिए फर्नीचर, आईटी और प्रयोगशाला उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना करना और चालू करना – 2016–2020 ।

2. **उत्तर प्रदेश :** राजीव गांधी पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी), राय बरेली के लिए फर्नीचर, ऑडियो एवं वीडियो, यूपीएस, ईपीएबीएक्स सिस्टम, लैन एवं वाईफाई की प्रापण–खरीद – 2017–2020 ।

3. **कर्नाटक :** एनआईएमएचएएनएस, बैंगलौर, कर्नाटक में डेटा सैन्टर का उन्नयन। – 2018–2020 ।

पूर्ण

1. **मध्य प्रदेश :** एबीवी–भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर में फर्नीचर और अन्य संबंधित मदों की आपूर्ति और स्थापना – 2014–2015।

2. **नई दिल्ली:** कॉपीराइट कार्यालय और कॉपीराइट बोर्ड, नई दिल्ली में डिजीटल कम्यूनिकेशन सिस्टम और नेटवर्किंग की आपूर्ति, स्थापना और जारी करना। 2014–2015

3. **नई दिल्ली:** राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई (एनपीआईयू) के लिए पीएमएसएस के माध्यम से डेस्कटॉप कम्प्यूटरों, एमएस ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम और विविध कार्यालयीन मदों की प्रापण–खरीद। 2016–2017

4. **नई दिल्ली:** कॉपीराइट कार्यालय और कॉपीराइट बोर्ड, नई दिल्ली में फर्नीचर की मदों की आपूर्ति एवं स्थापना। (2016–2017 में वास्तविक कार्य पूर्ण हुआ)

5. **उत्तर प्रदेश:** केन्द्रीय हिंदी संस्थान (केएचएस) आगरा में फर्नीचर की आपूर्ति और स्थापना (परियोजना 2017–2018 में पूर्ण हुई)

वर्ष 208–19 के दौरान सलाहकार सेवाओं की पूर्ण / जारी परियोजनाओं का सारांश

घरेलू (जारी)

(राज्य, ग्राहक का नाम, परियोजना का नाम–स्थिति)

1. **मेघालय,** तकनीकी और उच्चतर शिक्षा विभाग, मेघालय। मेघालय के शिक्षा क्षेत्र की समीक्षा एवं शोध – जारी है

2. **दिल्ली,** रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। पीपीपी मॉड के तहत नए सैनिक स्कूलों की स्थापना करने हेतु आदर्श डीपीआर – जारी है

3′ **दिल्ली,** मानव विकास संसाधन मंत्रालय। 5 नए आईआईआईटी की स्थापना करने हेतु आदर्श डीपीआर – जारी है

4. **दिल्ली,** मौलाना आजाद शिक्षा संस्था, अलवर, राजस्थान में राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने हेतु साध्यता रिपोर्ट – जारी है

घरेलू (पूर्ण)

(राज्य, ग्राहक का नाम, परियोजना का नाम–स्थिति)

1. **दिल्ली,** रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय, बिनोला के लिए डीपीआर – पूर्ण

2. **महाराष्ट्र,** भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुम्बई। भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुम्बई के लिए डीपीआर– पूर्ण

3. **दिल्ली,** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) एवं ईएफसी / एसएफसी नोट तैयार करने में सहायता – 13 केन्द्रीय विश्वविद्यालय – पूर्ण

4. **दिल्ली,** संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। ''भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर और वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक परम्पराओं सुरक्षा'' शीर्षक वाली योजना के प्रभाव का मूल्यांकन। – पूर्ण

लेखा परीक्षा और वित्तीय

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड के सदस्य

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

विशेषज्ञों की राय

हमने एडसिल इण्डिया लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके बाद "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) के सार सहित 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट और लाभ और हानि का विवरण तथा समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और वित्तीय विवरण शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के ''विशेषज्ञों की राय भाग के लिए आधार'' में वर्णित मामले के प्रभाव को छोड़कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लिए आवश्यक जानकारी अपेक्षित तरीके से देता है और 31 मार्च, 2019, को कंपनी के मामलों की स्थिति कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित नियम 7 अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों के प्रति अनुरूपता और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और उसके नकदी प्रवाह का एक सत्य और निष्पक्ष विवरण देता है।

विशेषज्ञों की राय के लिए आधार

1). कई मामलों में व्यापार प्राप्तियों का संतुलन, व्यापार देयता, और अग्रिमों की काउंटर पार्टियों से पुष्टि नहीं की गई है, किंतु एडसिल द्वारा पुष्टि पत्र जारी किया गया है। इस गैर–अनुपालन का वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, निर्धारित नहीं किया जा सका।

2). कंपनी ने "पूर्व अवधि मदों" के संबंध में लेखांकन नीति की संदर्भ टिप्पणी 3.20 की है, जिसमें पहले के वर्षों से संबंधित सभी आय/व्यय बताते हुए, जो प्रत्येक मामले में 50,000 रुपए से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष की आय/व्यय माना जाएगा। इस उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित उपर्युक्त सीमा का सुझाव एएस–5 "अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि मद और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन" द्वारा नहीं दिया गया है। कंपनी द्वारा अपनाई गई उपर्युक्त नीति को देखते हुए वित्तीय प्रभाव की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती।

3). परियोजनाओं के विरुद्ध प्राप्त अग्रिमों में 183.94 लाख रुपए (पिछले वर्ष 78.61 लाख रुपए) शामिल हैं, जो पांच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया हैं और पुष्टि के अधीन हैं। हमारी राय में, इस राशि के प्रति देयता समाप्त हो गई है क्योंकि परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं और इस राशि के विरुद्ध कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है। इसके परिणामस्वरूप 183.94 लाख रुपए तक की देनदारियां अधिक बताई गयी है और उस सीमा तक आय (पिछले वर्ष 78.61 लाख रुपए) कम बताई गयी है।

4). खर्चों के प्रावधानों में 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए देय 143.22 लाख रुपए (पिछले वर्ष 58.71 लाख रुपए) शामिल हैं। इसका निपटान न होने के संबंध में प्रबंधन संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया है। संतोषजनक उत्तर के अभाव में, यह मान लिया गया है कि देनदारियां 143.22 लाख रुपए अधिक बताई गयी है और कंपनी का लाभ उस सीमा तक कम बताया गया है (पिछले वर्ष 58.71 लाख रुपए)।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 (एसए) की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसए) संबंधी मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां में वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके नियमों के तहत, वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा

परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी विशेषज्ञों की राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का महत्व

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत आवश्यक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में लेनदारों के वर्गीकरण के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस गैर–अनुपालन का वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, निर्धारित नहीं किया जा सका।

वित्तीय विवरण और उनकी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट और शेयरधारक की जानकारी के लिए अनुबंध सहित प्रबंधन रिपोर्ट की जानकारी शामिल है, किंतु वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट उसमें शामिल नहीं है।

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय में अन्य जानकारी को शामिल नहीं किया जाता है और हम उस पर किसी भी प्रकार के निष्कर्ष का आश्वासन नहीं देते हैं।

लेखा परीक्षा वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते हुए, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत बताई गई प्रतीत होती है।

यदि, हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अन्य सूचना महत्वपूर्ण रूप से गलत बताई गई है, तो हमें इस तथ्य के संबंध में सूचना देनी होगी। हमारे पास इस संबंध में सूचना देने के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रबंध एवं वित्तीय विवरणों हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल भारत में सामान्य रूप से स्वीकार लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति दर्शाने वाले वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए उचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और प्रबंधन करना, जो ऐसे वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो सही और उचित स्थिति दर्शाते हैं और महत्वपूर्ण रूप से असत्य कथन, भले ही वह धोखाधडी या चूक के कारण हों, से रहित हैं, के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव करना भी शामिल है।

प्रबंधन, वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी को लाभ अर्जित करने वाली कंपनी के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, लाभ अर्जित करने वाली कंपनी के मामलों में लागू, प्रकटन करने और लेखांकन के लिए लाभ अर्जित करने वाली कंपनी आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी का परिसमापन करने या प्रचालन बंद करने की इच्छा नहीं रखता है, या उसके पास ऐसा करने के अलावा अन्य कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारे उद्देश्य इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या पूरे वित्तीय विवरण वास्तविक रूप से असत्य कथन से मुक्त हैं, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, किंतु इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों (इसके बाद "एसए") के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में महत्वपूर्ण असत्य कथन, यदि कोई हो, का पता हमेशा लग जाएगा, इस बात की पर्याप्त संभावना है कि ये वित्तीय विवरण उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेवर संदेह बनाए रखते है: हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण असत्य कथन के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, भले ही यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार और कार्यान्वित करना, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारी राय को आधार प्रदान करते के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण असत्य कथन का पता न लगा पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, असत्य कथन, या आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी शामिल हो सकती है।

- परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस संबंध में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों का परिचालन प्रभाव क्या है।

- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण के औचित्य का मूल्यांकन करना।

- हम प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए लाभ अर्जित करने वाली कंपनी आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर क्या कंपनी की लाभ अर्जित करने वाली कंपनी की स्थिति में बने रहने की क्षमता के संबंध में भारी संदेह पैदा करने वाली घटनाओं या परिस्थितियों के संबंध में भारी अनिश्चितता मौजूद है, के संबंध में निष्कर्ष निकालते हैं। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कोई भारी अनिश्चितता मौजूद है, अथवा यदि ऐसे प्रकटन हमारी राय को बदलने के लिए अपर्याप्त हैं, तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन में अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना हमारे लिए आवश्यक होता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। यद्यपि, भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी लाभ अर्जित करने वाली कंपनी की स्थिति में बने रहने के लिए संघर्ष कर सकती है।

- प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को उचित रुप से प्रस्तुत करने के तरीको को दर्शाते हैं।

लेखा परीक्षा और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के नियोजित दायरे और समय, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी, जो हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान देखी हो, सहित अन्य मामलों में हम उनके साथ संवाद करते हैं, जिन पर प्रशासन की जिम्मेदारी है।

हम, जिन पर प्रशासन की जिम्मेदारी है,उन्हें एक वचन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और हम उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों की जानकारी देते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण रुप से प्रभावित करने योग्य समझे जाते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षात्मक उपाय भी करते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

(1) भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") की अपेक्षा के अनुसार, कंपनी की हमारे द्वारा उचित समझी गई बहियों और रिकॉर्डों की जांच के आधार पर और हमें दी जानकारी और व्याख्या के अनुसार, लागू सीमा तक, हम आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर अनुबंध "क" में एक वचन देते हैं।

(2) अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार यथा अपेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।

(ख) जहां तक हमारे द्वारा उन बहियों की लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है, हमारी राय में, कंपनी द्वारा अब तक विधि अनुसार अपेक्षित उचित लेखा बहियां और रिकॉर्ड रखे गए हैं।

(ग) कंपनी के शाखा कार्यालय के लेखे, जिनकी अधिनियम की धारा 143 (8) के तहत लेखा परीक्षा की जानी आवश्यक है, के संबंध में रिपोर्ट।

(घ) इस रिपोर्ट में हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की गई बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और नकद प्रवाह के विवरण लेखा बहियों के अनुसार हैं।

(ड.) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण पैरा 2 में "विशेषज्ञों की राय का आधार" में शामिल बिंदुओं के संबंध में एएस–5 "अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदे और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन" के अलावा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के खंड (च) की अपेक्षाओं के अनुपालन में, हमारी राय है कि उपर्युक्त वित्तीय विवरण लाभ कमाने वाली कंपनी आधार पर तैयार किए गए हैं और ऐसी कोई बात नहीं है जिसका कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो।

(छ) सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित धारा 164 (2) कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ज) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (ज) की अपेक्षाओं के अनुपालन में, हमारी राय है कि ऊपर बताई गई योग्यता के आधार पर पैरा 4 और 5 संबंधी टिप्पणियों का खातों के रखरखाव और इससे जुड़े अन्य मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(झ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता की रिपोर्ट "अनुबंध ख" में दी गई है।

(ञ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है, वित्तीय विवरण का नोट संख्या 37 देखें;

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदा सहित कोई दीर्घकालिक संविदा नहीं थी, जिसमें कोई महत्वपूर्ण हानि होने की संभावना हो।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित की जाने योग्य राशि को हस्तांतरित करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

3. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i. कंपनी के पास कुछ सहायक रिकॉर्ड को छोड़कर सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए रेडीमेड लेखांकन प्रणाली है। इस तरह की प्रकियाओं के कारण वित्तीय निहितार्थों के साथ लेखों की प्रामाणिकता पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं प्रतीत होता है।

ii. कंपनी ने बाहरी बाजार से कोई ऋण प्राप्त नहीं किया है, अतः पुनर्गठन से इंकार किया जाता है।

iii. कंपनी द्वारा केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधियों/प्राप्तियों का नियम और शर्तों के अनुसार समुचित रूप से लेखांकन/उपयोग किया गया था।

कृते, शिव एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 009989एन

हस्ता/–
मनीष गुप्ता
(भागीदार)
एम संख्या 095518
यूडीआईएन: 19095518एएएएनक्यू3576

तिथि : 12.07.2019
स्थान: नई दिल्ली

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध–क

दिनांक 31.03.2019 को समाप्त अवधि के लिए एडसिल इण्डिया लिमिटेड के लेखों के संबंध में सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के पैराग्राफ 3 में निहित मामले इस प्रकार हैं:

i) (क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और निश्चित परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड रखे हैं;

(ख) प्रबंधन द्वारा 31–03–2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में नियत परिसंपत्ति का वास्तविक सत्यापन किया गया है। दिनांक 31.03.2019 को किए गए ऐसे सत्यापन में पाई गई विसंगतियों को सुधारा गया है।

(ग) कंपनी ने ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण से भूमि पट्टे पर ली है, जिसका अधिकार कंपनी के नाम पर है।

ii) वेंडर के परिसर में रखे गए इन्वेंट्री के मामले में वेंडर का प्रमाण पत्र 31.03.2019 प्रदान किया गया है। कंपनी द्वारा कोई अन्य इन्वेंटरी आयोजित नहीं की गई है।

iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड देयता भागीदारी या अन्य पक्षों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया गया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए उप खंड (क), (ख) और (ग) लागू नहीं होता है।

iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के तहत कोई भी ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति नहीं की है। अतः, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

v) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार लोगों से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, अतः, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप धारा (1) के प्रावधान के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लागत रिकॉर्डों का रखरखाव कंपनी पर लागू नहीं होता है, अतः इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

vii) (क) रिकॉर्डों के अनुसार, कंपनी ने इनकम टैक्स, जीएसटी और कंपनी पर लागू अन्य सांविधिक बकाया सहित निर्विवाद सांविधिक बकाया को नियमित रूप से जमा किया है।

इसके अलावा सांविधिक देय राशि का कोई पिछला बकाया नहीं है क्योंकि रिपोर्टिंग अवधि की अंतिम तिथि जिस तिथि पर वे देय हो गए, उससे छह माह से अधिक की अवधि मानी जाती है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर या बिक्री कर या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर के संबंध में कोई राशि देय नहीं है, जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं की गई है, अतः शामिल राशि और मंच जहां विवाद लंबित है, की रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

viii) लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी पर कोई ऋण या उधार नहीं है। अतः किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों से लिए गए किसी ऋण या उधार की अदायगी में चूक लागू नहीं होती है; अतः, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ix) कंपनी ने लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या किसी अन्य सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लेखपत्र सहित) और आवधिक ऋण के माध्यम से धन एकत्र नहीं किया है; अतः, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

x) कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है, जो लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान पाई गई या रिपोर्ट की गई हो, अतः इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xi) कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा 05 जून 2015 को जारी छूट अधिसूचना के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है, अतः इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है, अतः इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xiii) जी हां, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन–देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में किए जाते हैं, और जहां कभी भी लागू होता है, वित्तीय विवरण आदि में इसका ब्यौरा दिया जाता है, जैसा कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित है।

xiv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान शेयरों या पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xiv) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया है, अतः इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है, अतः इस खंड के तहत जानकारी देना लागू नहीं है।

कृते शिव एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 009989एन

हस्ता/–
मनीष गुप्ता
(भागीदार)
एम संख्या 095518
यूडीआईएन: 19095518एएएएनक्यू3576

तिथि : 12.07.2019
स्थान: नई दिल्ली

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध–ख

दिनांक 31.03.2019 को समाप्त अवधि के लिए मेसर्स एडसिल इण्डिया लिमिटेड के लेखों के संबंध में सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध, हम रिपोर्ट है कि:

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में रिपोर्ट

हमने दिनांक 31.03.2019 को समाप्त हुए अवधि के लिए **"एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड"** (**"कंपनी"**) की वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ–साथ उस तिथि को समाप्त हुए अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के घटकों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो कंपनी की नीतियों का पालन करने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करना, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों पता लगाना और उनकी रोकथाम, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के संबंध में मार्गदर्शन नोट के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की ("मार्गदर्शन नोट") है और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा पर मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित करने के योग्य समझे गए, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू है और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का पालन करें और क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था की गई थी और उन्हें बनाए रखा गया था और क्या इस तरह के नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं, के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के संबंध में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, कोई बडी कमी मौजूद होने के जोखिम का अनुमान, और जोखिम के अनुमान के आधार पर परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और डिजाइन का मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण असत्य कथन के जोखिमों का अनुमान, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं हैं, शामिल हैं, जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो तार्किक रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और प्रकृति को विस्तार से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन–देन लेखांकन के सामान्य रूप से स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल प्रबंधन और कंपनी के निदेशकों द्वारा दिए गए प्राधिकार के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण या उपयोग का समय पर पता लगाने या रोकथाम करने, या प्रकृति के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करता है, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण की अनदेखी करके अनुचित प्रबंधन की संभावना, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण असत्य कथन हो सकते हैं और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी में सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के घटकों के आधार पर 31 मार्च 2019 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

कृते शिव एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 009989एन

हस्ता/–
मनीष गुप्ता
(भागीदार)
एम संख्या 095518
यूडीआईएन: 19095518एएएनक्यू3576

तिथि : 12.07.2019
स्थानः नई दिल्ली

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड

सीआईएन : यू4899डीएल1981जीओआई011882

31 मार्च, 2019 को तुलनपत्र

(राशि ₹ लाख में, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
I. इक्विटी एवं देयताएं			
(1) शेयरधारक निधि			
(क) शेयर पूंजी	4	1,000.00	200.00
(ख) प्रारक्षित एवं अतिरेक निधि	5	10,220.08	9,353.00
(2) गैर–चालू देयताएं			
(क) अन्य दीर्घ अवधि देयताएं	6	342.13	721.08
(ड) दीर्घ अवधि प्रावधान	7	626.06	695.83
(3) चालू देयताएं			
(क) व्यापार देयताएं	8		
(i) एमएसएमई की कुल बकाया देय राशि		253.08	1.55
(ii) एमएसएमई से भिन्न कुल बकाया देय राशियां		13,773.15	11,197.63
(ख) अन्य चालू देयताएं	9	8,164.68	4,496.89
(ग) अल्प अवधि प्रावधान	10	1,299.72	1,961.90
कुल		**35,678.90**	**28,627.88**
II. आस्तियां			
(1) गैर–चालू देयताएं			
(क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	11		
(i) मूर्त आस्तियां		4,048.07	467.55
(ii) अमूर्त आस्तियां		13.07	15.51
(iii) कार्यशील पूंजी		26.51	2.15
(iv) विकासाधीन अमूर्त आस्ति		16.23	16.23
(ख) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	12	459.96	588.66
(ग) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	13	159.41	147.80
(घ) अन्य गैर–चालू आस्तियां	14	912.25	-
(2) चालू देयताएं			
(क) संपत्ति सूचियां	15	672.27	503.75
(ख) व्यापार प्राप्य	16	12,964.85	9,617.39
(ग) नकद एवं नकदी समतुल्य	17	7,604.69	11,456.33
(घ) अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम	18	2,125.11	2,854.90
(ड.) अन्य चालू आस्तियां	19	6,676.48	2,957.61
कुल		**35,678.90**	**28,627.88**

संलग्न टिप्पणियों में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी तथा लेखों की टिप्पणियां शामिल हैं, जो वित्तीय विवरणों के अनिवार्य भाग को दर्शाते हैं।

समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते, **शिव एवं एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 009989एन

हस्ता./:–
मनीष गुप्ता
भागीदार
सदस्यता सं. : 095518

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 जुलाई, 2019

हस्ता/–
संदीप गोयल
सीजीएम (वित्त)

हस्ता/–
देवेन्द्र कुमार शर्मा
कंपनी सचिव

कृते एवं निदेशक–मंडल की ओर से

हस्ता/–
दिप्तीमान दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07255933

हस्ता/–
प्रशांत अग्रवाल
सरकार द्वारा नामित निदेशक
डीआईएन : 08126092

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड

सीआईएन : यू4899डीएल1981जीओआई011882

31 मार्च, 2019 को (समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि का विवरण)

(राशि ₹ लाख में, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
	राजस्व			
I	**प्रचालनों से राजस्व**	**20**	**31,726.56**	**28,871.03**
II	अन्य आय	21	396.46	546.62
III	**कुल राजस्व (I+II)**		**32,123.02**	**29,417.65**
IV	**व्यय**			
	परियोजना व्यय	22	13,049.27	10,354.71
	व्यापार स्टॉक की खरीद	23	11,287.63	8,158.80
	तैयार माल की सम्पत्ति सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति तथा व्यापार स्टॉक	24	(168.51)	1,757.47
	कर्मचारी लाभ व्यय	25	2,360.23	2,752.74
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	26	54.82	49.46
	अन्य व्यय	27	962.52	789.02
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय		99.34	69.13
	कुल व्यय		**27,645.30**	**23,931.33**
V	**पूर्व अवधि से पहले लाभ, आपवादिक, असाधारण मदें एवं कर (III-IV)**		**4,477.72**	**5,486.32**
VI	पूर्व अवधि मदें (निवल)	28	99.90	(3.52)
VII	**आपवादिक, असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**4,377.82**	**5,489.84**
VIII	आपवादिक मदें	29	(0.72)	(1.58)
IX	**असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ (VII-VIII)**		**4,378.54**	**5,491.42**
X	असाधारण मदें		-	-
XI	**कर पूर्व लाभ (IX-X)**		**4,378.54**	**5,491.42**
XII	कर व्यय :			
	(1) चालू कर		1,252.52	2,259.21
	(2) आस्थगित कर	12	128.71	(415.14)
	(3) पूर्ववर्ती वर्ष कराधान समायोजन		(10.69)	51.87
	अवधि हेतु लाभ (XI-XII)		**3,008.00**	**3,595.48**
	असाधारण मदों से पूर्व 100 रुपये के प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त – बेसिक दर न्यूनीकृत (प्रति शेयर रुपये में) अर्जन प्रति इक्विटी शेयर (निवल कर)		300.80	359.55
	100 रुपये प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त – बेसिक एवं न्यूनीकृत के अर्जन प्रति इक्विटी शेयर (प्रति शेयर रुपये में)		300.80	359.55

संलग्न टिप्पणियों में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी तथा लेखों की टिप्पणियां शामिल हैं, जो वित्तीय विवरणों के अनिवार्य भाग को दर्शाते हैं।

समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते, **शिव एवं एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 009989एन
हस्ता./:–
मनीष गुप्ता
भागीदार
सदस्यता सं. : 095518

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 जुलाई, 2019

हस्ता/–
संदीप गोयल
सीजीएम (वित्त)

हस्ता/–
देवेन्द्र कुमार शर्मा
कंपनी सचिव

कृते एवं निदेशक–मंडल की ओर से

हस्ता/–
दिप्तीमान दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07255933

हस्ता/–
प्रशांत अग्रवाल
सरकार द्वारा नामित निदेशक
डीआईएन : 08126092

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड

सीआईएन : यू4899डीएल1981जीओआई011882

31 मार्च, 2019 को (समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि का विवरण)

(राशि ₹ लाख में, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :		
क)	कर से पहले शुद्ध लाभ	4,378.54	5,491.42
ख)	**निम्न के लिए समायोजन**		
i)	कर्मचारी कल्याण निधि का उपयोग	(19.26)	(14.05)
ii)	सावधि जमा स्टाफ वेलफेयर फंड पर ब्याज आय	3.46	2.13
iii)	मूल्यह्रास और परिशोधन	54.82	49.46
iv)	ब्याज आय	(302.87)	(245.57)
v)	वसूल नहीं की गई विदेशी मुद्रा हानि/लाभ	(18.81)	1.06
vi)	पुनरांकित प्रावधान	(8.64)	(11.47)
vii)	पुनरांकित देयता	-	(148.30)
viii)	पुनरांकित अग्रिम	-	(114.49)
ix)	अन्य गैर–ऑपरेटिंग आय	(13.03)	(26.79)
x)	अचल सम्पत्ति की बिक्री पर हानि/(लाभ)/बट्टे खाते डालना	(0.72)	(1.58)
ग)	**कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन (हानि)/लाभ (क+ख)**	4,073.51	4,981.82
घ)	**कार्यशील पूंजी में बदलाव के लिए समायोजन :**		
i)	वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(7,410.12)	(1,243.11)
ii)	वर्तमान देनदारियों में (कमी)/वृद्धि	5,854.32	4,848.64
ङ.)	**संचालन से उत्पन्न नकदी (ग+घ)**	2,517.72	8,587.35
च)	आयकर (भुगतान)/रिफंड	(1,690.53)	(845.12)
छ)	**(क) ऑपरेटिंग गतिविधियों में शुद्ध नकदी उत्पन्न/(उपयोग) (ङ.+च)**	827.19	7,742.23
	निवेश गतिविधियों में शुद्ध नकदी :		
ज)	अचल संपत्तियों की शुद्ध खरीद	(3,656.57)	(37.83)
झ)	सावधि जमा से शुद्ध खरीद	(1,186.72)	(609.30)
ञ)	ब्याज आय	302.87	245.57
	(ख) निवेश गतिविधियों में शुद्ध नकदी उत्पन्न /(इस्तेमाल) (ज+झ+ञ)	(4,540.42)	(401.56)
	वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
ट)	लाभांश का भुगतान (डीडीटी सहित)	(1,325.12)	(1,925.73)
	(ग) वित्तपोषण गतिविधियों में शुद्ध नकदी उत्पन्न/ (प्रयुक्त) (ट)	(1,325.12)	(1,925.73)
ठ)	नकद और नकदी समतुल्य राशियों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	(5,038.36)	5,414.94
ड)	अवधि की शुरूआत में नकद और नकदी समतुल्य राशि	8,463.04	3,048.10
ढ)	अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष (ठ+ड)	3,424.68	8,463.04

टिप्पणी:

1. नकदी प्रवाह विवरण को परोक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।
2. नकद एवं नकदी समतुल्य के विवरण हेतु टिप्पणी सं. 17 को देखें।

संलग्न टिप्पणियों में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी तथा लेखों की टिप्पणियां शामिल हैं, जो वित्तीय विवरणों के अनिवार्य भाग को दर्शाते हैं।

समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते, **शिव एवं एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 009989एन
हस्ता./:–
मनीष गुप्ता
भागीदार
सदस्यता सं. : 095518

हस्ता/–
संदीप गोयल
सीजीएम (वित्त)

हस्ता/–
देवेन्द्र कुमार शर्मा
कंपनी सचिव

कृते एवं निदेशक–मंडल की ओर से

हस्ता/–
दिप्तीमान दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07255933

हस्ता/–
प्रशांत अग्रवाल
सरकार द्वारा नामित निदेशक
डीआईएन : 08126092

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 जुलाई, 2019

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचना

1. कॉर्पोरेट सूचना:

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड ('कंपनी'), को वर्ष 1981 में निगमित किया गया था। कंपनी भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वावधान में एक मिनी रत्न, श्रेणी–1 उद्यम है। कंपनी शिक्षा और मानव संसाधन क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में अनेक सेवाएं प्रदान कर रही है।

2. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उपार्जन आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किए जाते हैं और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करने के लिए कंपनी द्वारा लगातार लेखा नीतियों को लागू किया गया है, सिवाय जहां प्रारंभ में नए जारी लेखांकन मानक अपनाएं गए हैं या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है।

3. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश

3.1 अनुमानों का उपयोग

भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान और मान्यताएं बनाने की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय विवरणों की तारीख और रिपोर्ट अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की सूचित की गई मात्रा के अनुसार परिसंपत्तियों, देनदारियों, आकस्मिक देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं और ऐसे मतभेदों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें परिणामों को जाना/मूर्त रूप दिया जाता है ।

3.2 राजस्व की पहचान

क. ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवा परियोजनाओं में, राजस्व पहचान के लिए तीन पहचाने जाने योग्य चरण हैं। कंपनी कंपनी चरणवार राजस्व को इस प्रकार पहचानती है:–

चरण	विवरण/शामिल खंड	एएस–9 के अनुसार पहचाने जाने योग्य राजस्व का प्रतिशत
I	प्रवेश पत्र जारी करने तक परीक्षा–पूर्व गतिविधियां	26%
II	परीक्षा आयोजित करना	71%
III	परिणाम घोषित करना	3%

क. कॉस्ट प्लस परियोजनाओं के संबंध में, आय की पहचान प्रत्यक्ष व्यय में कंपनी के मार्जिन को जोड़कर वित्तीय वर्ष के करीब तक किए गए प्रत्यक्ष व्यय के आधार पर की जाती है।

ख. लागत जमा परियोजनाओं के संबंध में आय को प्रत्यक्ष व्यय पर कम्पनी के अतिरिक्त राशि को शामिल करके वित्तीय वर्ष के अन्त में उपगत प्रत्यक्ष व्यय के आधार पर मान्य की जा सकती है।

ग. परामर्श परियोजनाओं के संबंध में, आय की पहचान प्रदान की गई सेवाओं और परामर्श के अनुसार वर्ष के दौरान अर्जित परामर्श शुल्क की सीमा तक की जाती है।

घ. कंपनी द्वारा आयोजित शिक्षा मेलों के संबंध में, आय की पहचान शैक्षिक मेले के लिए ग्राहक के साथ सहमत भागीदारी शुल्क की सीमा तक एकमुश्त आधार पर की जाती है।

ड. व्यापार आय की गणना बेची गई वस्तुओं के बिल प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर बिक्री बिल के आधार पर की जाती है।

च. अन्य टर्न–की परियोजनाओं के मामले में, आय की पहचान ग्राहक के साथ समझौते की रूपरेखा के भीतर निर्धारित चरण पूरा होने की विधि के आधार पर की जाती है।

छ. जिन परियोजनाओं को कोई स्तर प्राप्त नहीं हुआ है, उनके संबंध में व्यय की आनुपातिक राशि जारी कार्य के अधीन है।

3.3 ब्याज आय/व्यय

ब्याज आय की पहचान निवेश की गई राशि और निवेश की शर्तों के अनुसार लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर की जाती है।

ग्राहकों से प्राप्त धन पर अर्जित ब्याज की गणना कंपनी की ब्याज आय के रूप में जाती है। समझौते की स्पष्ट शर्तों के अनुसार ग्राहकों को भुगतान/जमा किए गए ब्याज को कंपनी का व्यय माना जाता है।

3.4 अचल संपत्तिया

मूर्त संपत्तियां

मूर्त संपत्तियां को संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, की शुद्ध लागत पर माना जाता है। लागत में सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं, विशेष रूप से इसके अधिग्रहण के कारण और इसे इसके इच्छित उपयोग के लिए अपनी कार्य दशा में लाना। मूर्त परिसंपत्ति की किसी मद से संबंधित परिणामी व्यय को इसके बही मूल्य में तभी जोड़ा जाता है, जब वे अपने पहले मूल्यांकन किए गए मानक प्रदर्शन से परे मौजूदा परिसंपत्ति से भविष्य के लाभों में वृद्धि करते हैं।

अमूर्त संपत्तियां

अमूर्त संपत्तियां, संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई हो, की लागत शुद्ध पर कहा जाता है। लागत में इसकी खरीद लागत और परिसंपत्ति को इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए कोई प्रत्यक्ष उत्तरदायी लागत शामिल है।

3.5 मूल्यह्रास और परिशोधन

मूर्त संपत्तियां

क) कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकन की गई परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन या कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर आने वाली दरों के संदर्भ में सीधी रेखा विधि पर मूल्यह्रास का शुल्क लिया जाता है। अधिग्रहण के वर्ष में प्रत्येक 5000 रुपये तक की संपत्ति पूरी तरह से अवमूल्यन योग्य है।

ख) पट्टे की भूमि को पट्टे की अवधि में आनुपातिक रूप से परिशोधित किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन, संपत्ति के कंपनी के लिए उपयोग हेतु उपलब्ध होने की तिथि से सीधी रेखा के आधार पर उनके संबंधित व्यक्तिगत अनुमानित उपयोगी जीवन के संबंध में किया जाता है।

3.6 निवेश

ऐसे निवेश जो आसानी से प्राप्त किए जाने योग्य हैं और ऐसे निवेश की तारीख से एक वर्ष या इससे कम समय तक किए जाने हैं, उन्हें वर्तमान निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी निवेशों को गैर–वर्तमान निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गैर–वर्तमान निवेश, ऐसे निवेशों के मूल्य में, अस्थायी के अलावा अन्य कमी के लिए लागत प्रावधान घटाते हुए किए जाते हैं। वर्तमान निवेश, व्यक्तिगत निवेश के आधार पर निर्धारित लागत और उचित मूल्य से कम पर किया जाता है। हालांकि, जहां निवेश का उचित मूल्य पता नहीं चल पाता है, वहां निवेश लागत मूल्य पर दिखाया जाता है ।

3.7 विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा लेनदेन लेनदेन की तारीख में प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा लेनदेन पर प्राप्त लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में रखा जाता है। मौद्रिक परिसंपत्तियां और मौद्रिक देनदारियां, जो विदेशी मुद्रा में निर्धारित की जाती हैं, को बैलेंस शीट की तारीख में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। परिणामी विनिमय अंतर लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया गया है।

3.8 परिसंपत्तियों का खराब होना

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आकलन करती है कि क्या किसी परिसंपत्ति (मूर्त और अमूर्त) के खराब होने का कोई संकेत है। एक परिसंपत्ति को खराब हुआ माना जाता है, जब परिसंपत्ति की वहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति के शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य अनुमानित भविष्य नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य है, जो किसी परिसंपत्ति के सतत उपयोग से और उपयोगी जीवन के अंत में इसके निपटान से उत्पन्न होने की संभावना है। लाभ और हानि के विवरण में खराब परिसंपत्ति को उस वर्ष में घटाया जाता है, जिसमें किसी परिसंपत्ति को खराब के रूप में पहचाना जाता है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है तो लेखांकन अवधियों से पहले खराबी के कारण हानि गणना को उलट दिया जाता है।

3.9 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाएं, क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति और अन्य आवधिक लाभ शामिल हैं।

क. भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए वर्ष के दौरान भुगतान/देय कंपनी के योगदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। एक ही अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित धन के लिए भुगतान किया जाता है।

ख. ग्रेच्युटी के प्रति कंपनी की देयता, अवकाश लाभ (मुआवजा अनुपस्थिति सहित), सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा और अन्य टर्मिनल लाभ वर्ष के अंत में अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा निर्धारित किया जाता है। पिछली सेवा लागत औसत अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर पहचानी जाती है, जब तक लाभ निहित न हो। लाभ और हानि के विवरण में बीमांकिकी लाभ और हानियां तुरंत पहचानी जा सकती है। कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ ग्रुप ग्रेच्युटी नकदी संचय पॉलिसी की सदस्यता ली है। बीमांकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम के इस फंड को में ग्रेच्युटी के लिए देयता का भुगतान किया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा के लिए बीमांकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार देयता का भुगतान अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित निधि में किया जाता है ।

ग. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ किसी वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में छूट रहित राशि पर एक व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

3.10 प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्ति

जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और जब दायित्व को निपटाने के लिए बाहर से संसाधनों की आवश्यकता हो, जिनके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके, तब प्रावधान किए जाते हैं। प्रावधानों के संबंध में वर्तमान मूल्य के लिए छूट नहीं होती है और इसे बैलेंस शीट की तारीख पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख पर की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व है, जो पिछली घटनाओं के कारण उत्पन्न होता है, जिसके अस्तित्व की पुष्टि कंपनी के नियंत्रण से परे एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या होने से की जाएगी या किसी वर्तमान दायित्व से जिसे स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि दायित्व का निपटान करने के लिए बाहर से संसाधनों की आवश्यकता संभावित नहीं है। आकस्मिक देयता उस स्थिति में भी उत्पन्न होती है, जहां दायित्व की पहचान नहीं की जा सकती क्योंकि इसे विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है। आकस्मिक देनदारियों का प्रकटन किया जाता है और इनकी पहचान नहीं की जाती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों की पहचान वित्तीय विवरणों में नहीं की जाती है। हालांकि, आकस्मिक परिसंपत्तियों का लगातार आकलन किया जाता है और यदि यह लगभग निश्चित है कि आर्थिक लाभों का प्रवाह उत्पन्न होगा, तो परिसंपत्ति और संबंधित आय की पहचान उस अवधि में की जाती है, जिसमें परिवर्तन होता है।

3.11 इन्वेंटरी

इन्वेंटरी का मूल्य लागत या शुद्ध प्राप्त होने योग्य मूल्य पर हैं, जो भी कम हो, की जाती है। लागत में माल को बिक्री केंद्र तक लाने के सभी शुल्क शामिल हैं।

3.12 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के संबंध में शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। डाईल्यूटिड ईपीएस की गणना संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित करने के बाद मूल ईपीएस की तरह ही की जाती है, जब तक कि इसका प्रभाव डाईल्यूटिव के विपरित न हो।

3.13 नकदी और नकदी के समकक्ष

नकदी और नकदी के समकक्ष में हाथ नकदी, बैंक में नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ बैंक के पास अन्य अल्पकालिक अत्यधिक तरल जमा शामिल हैं, जो नकदी की ज्ञात राशि के लिए आसानी से परिवर्तनीय हैं और जिसके मूल्य में परिवर्तन का बड़ा जोखिम नहीं हैं।

3.14 वर्तमान और आस्थगित कराधान

क). वर्तमान कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अवधि के लिए अनुमानित कर योग्य आय के संबंध में देय कर की राशि के रूप में किया जाता है।

ख). आस्थगित कर की पहचान समय के अंतर पर की जाती है, कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच अंतर होने के नाते जो एक अवधि में उत्पन्न होती हैं और बाद की एक या अधिक अवधि में उलटने में सक्षम होते हैं। आस्थगित कर को कर दरों और रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किए गए कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है। आस्थगित कर देनदारियों की पहचान सभी समय अंतरों के संबंध में की जाती है। अवशोषित अवमूल्यन के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों और हानि को आगे बढ़ाने के लिए तभी की जाती है, जब निश्चित रूप से आभास हो कि ऐसी परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी। अन्य समय अंतरों के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान केवल उसी सीमा तक की जाती है, जहां तक निश्चित संभावना हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई की जाती है, यदि ऐसी मदें एक ही शासी कर कानूनों द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित हो और कंपनी के पास ऐसी भरपाई करने का कानूनी अधिकार हो। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा उनके प्राप्त होने की क्षमता के संबंध में प्रत्सेक बैलेंस शीट में की जाती है।

3.15 अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के संबंध में प्रावधान

कंपनी 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया ऋणों के लिए संदिग्ध ऋण का प्रावधान करती है, यदि प्रबंधन कायह विचार हो कि वे संदिग्ध हैं। बकाया संदिग्ध ऋण, जिसके विरुद्ध शत–प्रतिशत प्रावधान किया गया है लेकिन इसकी वसूली के लिए किए गए सभी प्रयासों के बाद जो वसूली योग्य नहीं है, उसे निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

3.16 संदिग्ध अग्रिमों के संबंध में प्रावधान

कंपनी 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया अग्रिमों के लिए संदिग्ध ऋण का प्रावधान करती है, यदि प्रबंधन का यह विचार हो कि वे संदिग्ध हैं। बकाया संदिग्ध अग्रिम, जिसके विरुद्ध शत–प्रतिशत प्रावधान किया गया है लेकिन इसकी वसूली के लिए किए गए सभी प्रयासों के बाद जो वसूली योग्य नहीं है, उसे निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

3.17 देनदारियां/अग्रिम/प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है

विगत पांच वर्षो या इससे अधिक अवधि के संबंध में देनदारियां/प्राप्त अग्रिम/सामग्री, जो प्रबंधन की यह राय में अब देय, प्राप्त होने योग्य नहीं है अथवा बैलेंस शीट की तारीख को अपेक्षित नहीं है, प्रतिलेखित किया जाता है। उस तारीख के बाद उत्पन्न हो वाले दावे, यदि कोई हो, को दावे के वर्ष में प्रभारित किया जाता है ।

3.18 दावे

कंपनी के विरूद्ध दावों की गणना प्रबंधन द्वारा दावों को स्वीकार कर लिए जाने के बाद की जाती है। ग्राहकों/ठेकेदारों पर कंपनी द्वारा किए गए दावों को, उस पार्टी द्वारा स्वीकृति के आधार पर, जिस पर दावा किया गया है या प्रबंधन द्वारा निश्चित रूप से वसूली योग्य समझे समझे जाने पर मान्य किया जाएगा।

3.19 संविदाओं की परिसमापन हानि

संविदाओं का परिसमापन हर्जाना और संविदाओं पर अन्य देनदारियां, जिन पर कार्य किया जा रहा हैं और पूरा हो गया है, उनकी गणना ग्राहक द्वारा देयता की सूचना दिए जाने पर/निर्धारित किए जाने पर और प्रबंधन द्वारा स्वीकार किए जाने पर की जाती है।

3.20 अवधि से पूर्व की मदें

पूर्व के वर्षों से संबंधित आय/व्यय, जो प्रत्येक मामले में 50,000 रुपये से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष का आय/व्यय माना जाता है।

3.21 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह विवरण 'कैश फ्लो स्टेटमेंट' के संबंध में लेखांकन मानक (एएस) 3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड
सीआईएन : यू4899डीएल1981जीओआई011882
वित्तीय विवरण के अंत भाग ही लेखा हेतु टिप्पणी

टिप्पणी : 4 (राशि ₹ लाख में, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		
विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
अधिकृत पूंजी		
100/–रुपये प्रत्येक के 20,00,000 इक्विटी शेयर	2000	2000
कुल	2000	2000
पूंजी जारी सब्स्क्राइब्ड और प्रदत्त शेयर पूंजी		
100/–रुपये के 10,00,000 इक्विटी शेयर पूर्णतः चुकता प्रदत्त पूंजी में	1000	200
कुल	1000	200

शेयरों की संख्या का मिलान (पूर्ण संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
वर्ष की शुरूआत में इक्विटी शेयर	200,000	200,000
कुल : वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	800,000	-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर	1,000,000	200,000

5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारक का विवरण (पूर्ण संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
शेयर धारक का नाम	शेयर धारित %	धारित किए हुए शेयर सं.	शेयर धारित %	धारित किए हुए शेयर सं.
भारत के राष्ट्रपति	100	1,000,000	100	200,000

टिप्पणी : कंपनी की पूरी शेयर पूंजी भारत सरकार द्वारा धारित है।

पिछले 5 वर्षों के ब्यौरे (पूर्ण संख्या में)

विवरण	वर्ष /शेयरों की कुल संख्या					
	कुल	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
1. इक्विटी शेयर के रूप में आवंटित :						
क) नकद में प्राप्त किए बिना अनुबंध (धों) के लिए पूरी तरह से भुगतान किया गया।		-	-	-	-	-
ख) पूरी तरह से बोनस शेयरों के माध्यम से भुगतान किया।	800,000	800,000	-	-	-	-
2. इक्विटी शेयर वापस खरीदे	-	-	-	-	-	-
कुल	800,000	800,000	-	-	-	-

आरक्षित और अधिशेष

टिप्पणी: 5 आरक्षित और अधिशेष

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
क)	**सामान्य आरक्षित**		
	प्रारंभिक शेष	2,364.67	2,005.12
	कुल : अधिशेष से लाभ का अंतरण	300.80	359.55
	घटाएं : बोनस शेयर के निर्गम हेतु प्रयुक्त प्रारक्षित निधि	(800.00)	-
	अंतिम शेष	1,865.47	2,364.67
ख)	**अधिशेष (लाभ और हानि खाता)**		
	प्रारंभिक शेष	6,943.33	5,641.68
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,008.00	3,595.48
	घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग		
	जनरल रिजर्व में स्थानांतरण	(300.80)	(359.55)
	कर्मचारी कल्याण कोष में स्थानांतरण	(15.04)	(8.55)
	प्रदत्त अंतिम लाभांश (डीडीटी सहित)	(601.79)	(1,203.58)
	प्रदत्त अंतरिम लाभांश (डीडीटी सहित)	(723.33)	(722.15)
	अंतिम शेष	8,310.37	6,943.33
ग)	**कर्मचारी कल्याण निधि***		
	प्रारंभिक शेष	45.00	48.37
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	अधिशेष से लाभ का हस्तांतरण (लाभ और हानि खाता)	15.04	8.55
	फंड के संबंध में सावधि जमा से ब्याज आय	3.46	2.13
	घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग	(19.26)	(14.05)
	अंतिम शेष	44.24	45.00
	कुल आरक्षित और अधिशेष (1+2+3)	10,220.08	9,353.00

*कर्मचारी कल्याण निधि का आबंटन कंपनी की नीति के अनुसार 45 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के तहत कर–पश्चात निवल भाग का 0.5 प्रतिशत है।

टिप्पणी 6: अन्य दीर्घकालिक देयताएं

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
क)	**आपूर्तिकर्ताओं से ईएमडी/रिटेंशन मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट**	**107.88**	**102.85**
ख)	परियोजना के संबंध में अग्रिम	234.25	618.23
	कुल	**342.13**	**721.08**

टिप्पणी 7: दीर्घकालिक प्रावधान

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
क)	उपदान	11.58	160.65
ख)	अर्जित/बीमारी छुट्टी देयता	401.50	346.78
ग)	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना के लिए प्रावधान	212.98	188.40
	कुल	**626.06**	**695.83**

टिप्पणी 8 : व्यापार देयता राशि

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
क)	व्यापार देयताएं:		
(i)	एमएसएमई को देय	253.08	1.55
(ii)	एमएसएमई के अलावा अन्य को देय	13,773.15	11,197.63
	कुल	**14,026.23**	**11,199.18**

टिप्पणी 9 : अन्य वर्तमान देनदारियां

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
क)	परियोजना के संबंध में अग्रिम	4,409.04	2,164.81
ख)	आपूर्तिकर्ताओं से ईएमडी/रिटेंशन मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट	1,638.49	876.93
ग)	कर एवं शुल्क	188.80	224.16
घ)	अन्य देनदारियां	1,928.35	1,230.99
	कुल	**8,164.68**	**4,496.89**

टिप्पणी 10 : लघु अवधि के प्रावधान

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
क)	आयकर	850.52	1,299.22
ख)	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
	(i) अर्जित/बीमारी छुट्टी देयता	40.24	32.53
	(ii) प्रदर्शन संबंधी वेतन	289.38	213.12
	(iii) अनुग्रह राशि	52.86	37.77
	(iv) पेंशन योजना के लिए प्रावधान	58.86	373.41
	(v) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना के लिए प्रावधान	7.86	5.85
	कुल	**1,299.72**	**1,961.90**

टिप्पणी 11 : 31 मार्च, 2019 के अनुसार अचल परिसंपत्तियों की सूची

(राशि लाख ₹ में)

		सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क्र. सं.	संपत्तियों की मद	1 अप्रैल, 2018 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विचलन/ समायोजन	31 मार्च, 2019 को	1 अप्रैल, 2018 तक	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास/ परिशोधन	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
	(क) मूर्त संपत्तियां										
क)	पट्टाधारी भूमि – प्लॉट सं. 18 क, सेक्टर–16 ए, नोएडा*	212.63	-	-	212.63	52.56	2.36	-	54.92	157.71	160.07
ख)	पट्टायुक्त भूमि – प्लॉट सं. ए–22, सेक्टर 153, नोएडा**	-	3,601.75	-	3,601.75	-	16.23	-	16.23	3,585.52	-
ग)	इमारत	228.12	-	-	228.12	73.70	3.57	-	77.27	150.85	154.42
घ)	बिजली के उपकरण	201.66	6.81	4.84	203.62	119.81	12.28	3.72	128.37	75.23	81.85
ड.)	कार्यालय मशीनरी और उपकरण	72.79	14.66	0.45	86.99	57.99	5.29	0.07	63.20	23.77	14.80
च)	सामान तथा जोड़ा गया उपकरण	122.36	3.60	-	125.96	108.09	2.53	-	110.61	15.34	14.27
छ)	वाहन	8.66	-	8.66	-	8.23	-	8.23	-	-	0.43
ज)	कम्प्यूटर सिस्टम – हार्डवेयर	147.85	22.48	2.65	167.66	112.45	21.65	0.64	133.46	34.20	35.40
झ)	कम्प्यूटर सर्वर और नेटवर्क	34.65	-	-	34.65	31.45	0.62	-	32.07	2.58	3.20
ञ)	अग्निशामक	18.73	-	-	18.73	16.77	0.34	-	17.11	1.63	1.96
ट)	कालीन और पशु चिकित्सक अंधा	14.26	0.20	-	14.46	13.09	0.13	-	13.22	1.24	1.17
	कुल (क)	1,061.69	3,649.50	16.60	4,694.57	594.14	65.00	12.66	646.46	4,048.07	467.55
	(ख) अमूर्त सम्पत्तियां										
ठ)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	29.84	3.61	-	33.45	14.33	6.05	-	20.38	13.07	15.51
	कुल (ख)	29.84	3.61	-	33.45	14.33	6.05	-	20.38	13.07	15.51
	(ग) कैपिटल डब्ल्यूआईपी										
ढ)	भवन का विस्तार	2.15	-	2.15	-	-	-	-	-	-	2.15
ण)	पूर्व प्रचालनात्मक व्यय*** (टिप्पणी 26 और 27 को देखें)	-	26.51	-	26.51	-	-	-	-	26.51	-
	कुल (ग)	2.15	26.51	2.15	26.51	-	-	-	-	26.51	2.15
	(ग) विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां										
त)	ईआरपी सॉफ्टवेयर****	16.23	-	-	16.23	-	-	-	-	16.23	16.23
	कुल (घ)	16.23	-	-	16.23	-	-	-	-	16.23	16.23
	सकल कुल (क+ख+ग+घ)	**1,109.92**	**3,679.62**	**18.75**	**4,770.76**	**608.47**	**71.05**	**12.66**	**666.85**	**4,103.87**	**501.44**
	पिछले वर्ष के आंकड़े	1,080.28	41.85	12.21	1,109.92	568.78	49.26	9.77	608.47	501.44	511.49

*1.1.1995 से पट्टा विलेख की तारीख से 90 वर्षों में पट्टायुक्त भूमि समानुपातिक रूप से परिशोधित है।

** 4.11.2018 से पट्टा विलेख की तारीख से 90 वर्षों में पट्टायुक्त भूमि समानुपातिक रूप से परिशोधित है।

***कार्यशील पूंजी शीर्ष के तहत पूर्व प्रचालनात्मक व्यय ए–22, सेक्टर 153, नोएडा में निर्माण कार्य पूरा होने तक कंपनी द्वारा अधिग्रहीत पट्टायुक्त भूमि के संबंध में है।

****ईआरपी सॉफ्टवेयर हेतु विकासाधीन अमूर्त संपत्ति ''टू बी'' प्रोसेस हेतु डिजाइनिंग की लागत के संबंध में तथा सूचना प्रणाली अपेक्षाओं की पहचान करने के संबंध में है।

टिप्पणी 12 : आस्थगित कर संपत्ति (निवल)

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क)	**आस्थगित कर परिसंपत्ति :**		
i)	छुट्टी वेतन हेतु प्रावधान	128.63	131.27
ii)	संदिग्ध ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	44.22	52.56
iii)	परियोजना व्यय के लिए प्रावधान	4.91	2.83
iv)	ग्रेच्युटी का प्रावधान	139.44	223.06
v)	पीआरपी के लिए प्रावधान	84.27	73.76
vi)	अनुग्रह राशि के लिए प्रावधान	15.39	13.07
vii)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभों का प्रावधान	64.30	67.22
viii)	पेंशन योजना का प्रावधान	17.14	129.23
	उप–कुल (क)	**498.30**	**693.00**
ख)	**आस्थगित कर देयताएं:**		
i)	मूल्यह्रास	38.34	104.34
	उप–कुल (ख)	**38.34**	**104.34**
	आस्थगित कर आस्तियां (निवल) (क–ख)	**459.96**	**588.66**

टिप्पणी 13 : दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क)	**आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम**		
	अरक्षित, अशोध्य समझा गया	24.34	24.34
	घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए छूट	(24.34)	(24.34)
ख)	**पूंजी अग्रिम**		
	संदिग्ध	35.37	35.37
	घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए छूट	(35.37)	(35.37)
ग)	**सिक्योरिटी डिपॉजिट/बयाना राशि**		
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	145.84	138.36
घ)	**कंपनी के कर्मचारियों को ऋण**		
	रक्षित, शोध्य समझा गया	12.37	9.44
	प्रतिभूत, शोध्य नहीं समझा गया	1.20	-
	कुल	**159.41**	**147.80**

टिप्पणी 14 : अन्य गैर–वर्तमान आस्तियां

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क)	पूर्व–प्रदत्त व्यय (पट्टा किराया)*	912.25	-
	कुल	**912.25**	-

*यह नोएडा प्राधिकरण से लिए गए पट्टायुक्त भूमि हेतु 90 वर्षों के लिए प्रदत्त एक बारगी पट्टा किराया से संबंधित है।

टिप्पणी 15 : संपत्ति सूची

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क)	दूसरी जगह ले जाया जाता सामान	638.95	453.30
ख)	सिविल कार्य प्रगति	33.32	50.45
	कुल	**672.27**	**503.75**

टिप्पणी 16 : व्यापार प्राप्य

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क)	छह महीने से अधिक		
	i) अरक्षित शोध्य समझा गया	3,140.65	3,787.46
	ii) संदेहपूर्ण	92.16	92.16
	घटाएं : संदिग्ध ऋण के लिए छूट	(92.16)	(92.16)
ख)	अन्य		
	i) अरक्षित, शोध्य समझा गया	9,824.20	5,829.93
	कुल	**12,964.85**	**9,617.39**

टिप्पणी 17 : नकद और नकदी समतुल्य

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क)	**नकद और नकदी समतुल्य**		
i)	हस्तगत विदेशी मुद्रा*	0.90	0.03
ii)	अनुसूचित बैंकों में शेष		
	वर्तमान खाता में**	2,709.12	4,263.01
iii)	हस्तगत चेक	714.66	-
iv)	3 महीने में परिक्वता वाले सावधि जमा	-	4,200.00
	कुल (लेखा मानक 3 नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार)	**3,424.68**	**8,463.04**
ख)	**अन्य बैंक बैलेंस**		
i)	फिक्स्ड डिपॉजिट में (नि:शुल्क)	3,788.76	2,885.50
ii)	फिक्स्ड डिपॉजिट में (बैंक गारंटी के संबंध में ग्रहणाधिकार साख पत्र आदि)	339.87	57.29
iii)	फिक्स्ड डिपॉजिट में (कर्मचारी कल्याण निधि के संबंध में)	51.38	50.50
	उप–कुल	4,180.01	2,993.29
	कुल (1+2)	7,604.69	11,456.33

टिप्पणियां :–

*हस्तगत विदेशी मुद्रा में 69.1713 प्रति यूएसडी की समापन दर पर 1300 यूएसडी हैं।

**चालू खातों में अनुसूचित बैंकों में शेष जिसमें 5.09 करोड़ रुपये शामिल हैं, विभिन्न टीएसजी परियोजनाओं से संबंधित हैं, जिनका उपयोग केवल संबंधित परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

टिप्पणी 18 : लघु अवधि ऋण और अग्रिम

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क)	रक्षित, शोध्य समझा गया		
	i) कर्मचारियों को ऋण	20.30	15.80
ख)	अरक्षित, शोध्य समझा गया		
	i) स्रोत पर काटा गया कर*	1,662.58	1,534.56
	ii) जीएसटी	327.88	773.58
	iii) पूंजी अग्रिम	-	337.10
	iv) आपूर्तिकर्ता और अन्य को अग्रिम	114.35	193.86
	कुल	**2,125.11**	**2,854.90**

* इसमें वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 22.30 लाख रुपये शामिल है।

टिप्पणी 19 : अन्य वर्तमान संपत्ति

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क)	फिक्स्ड डिपॉजिट पर व्युत्पन्न ब्याज, परंतु देय नहीं	40.42	36.13
ख)	आय हुई, लेकिन देय नहीं हुई*	4,130.35	1,696.66
ग)	प्राप्य आयकर वापसी	933.17	680.62
घ)	प्रीपेड खर्चे	24.87	11.89
ड.)	कार्य प्रगति – सेवाएं	238.17	42.42
च)	वसूली दावा**	109.73	109.73
छ)	अन्य प्राप्य राशियां ***	1,199.77	380.16
	कुल	**6676.48**	**2957.61**

*प्रोद्भूत आय, परंतु देय नहीं; उस आय को दर्शाता है, जो हमारी लेखाकरण नीति के अनुसार उत्पन्न हुई है, परंतु ग्राहकों के साथ हुए करारों के अनुसार देय नहीं है।

**वसूलनीय दावा सेवा कर के लिए देय वापसी के संबंध में है, जिसके लिए विभाग ने अपने आदेश दिनांक 25.4.2019 के तहत वापसी की मंजूरी हेतु ऑर्डर किया था।

***अन्य प्राप्य राशि में 1175.15 लाख रुपये की टीएसजी परियोजनाओं के संबंध में एमएचआरडी सहित ग्राहकों द्वारा हमारे लिए स्वीकृत निधियां शामिल हैं।

टिप्पणी 20 : प्रचालन से राजस्व

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	**उत्पादों की बिक्री**		
i)	डिजिटल शिक्षा प्रणाली	12,526.90	11,667.17
ii)	शैक्षिक प्रापण	902.07	719.12
ख)	**सेवाओं की बिक्री**		
i)	ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं	12,169.83	11,046.30
ii)	तकनीकी सहायता समूह	4,759.72	4,692.52
iii)	ओवरसीज में शिक्षा सेवाएं	1,173.78	230.77
iv)	सलाहकार और कौशल तथा प्रशिक्षण सेवाएं	169.56	305.24
ग)	**शैक्षिक अवसंरचना सेवाएं**	**24.70**	**209.91**
	कुल	**31,726.56**	**28,871.03**

टिप्पणी 21 : अन्य आय

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	ब्याज आय	302.87	245.57
ख)	विनिमय भिन्नता लाभ	71.92	-
ग)	पुनरांकित प्रावधान	8.64	11.47
घ)	पुनरांकित देयताएं	-	148.30
ड.)	पुनरांकित अग्रिम	-	114.49
च)	किराए से आय	-	23.37
छ)	अन्य गैर–परिचालन आय	13.03	3.42
	कुल	**396.46**	**546.62**

टिप्पणी 22 : परियोजना व्यय

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं	7,852.46	5,756.17
ख)	तकनीकी सहायता समूह	4,217.00	4,147.62
ग)	ओवरसीज शिक्षा सेवाएं	920.97	91.68
घ)	सलाहकार और कौशल तथा प्रशिक्षण सेवाएं	39.14	131.55
ड.)	शैक्षिक अवसंरचना सेवाएं	19.70	227.69
	कुल	**13,049.27**	**10,354.71**

टिप्पणी 23 : व्यापार सामान की खरीद

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	डिजिटल शिक्षा प्रणाली	10,466.17	7,365.55
ख)	शैक्षिक खरीद	821.46	793.25
	कुल	**11,287.63**	**8,158.80**

टिप्पणी 24 : तैयार माल, कार्य प्रगति एवं व्यापार सामान की संपत्ति सूचियों में परिवर्तन

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	**आरंभिक :**		
i)	कार्य प्रगति सिविल	50.46	9.85
ii)	व्यापार में पारगमन–स्टॉक में माल	453.30	2,251.38
	उप–कुल (क)	503.76	2,261.23
ख)	**समापन**		
i)	कार्य प्रगति – सिविल	33.32	50.46
ii)	व्यापार में पारगमन – स्टॉक में माल	638.95	453.30
	उप–कुल (ख)	**672.27**	**503.76**
	कमी/(वृद्धि) (क) – (ख)	**(168.51)**	**1,757.47**

टिप्पणी 25 : कर्मचारी लाभ व्यय

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	वेतन और मजदूरी	1,735.55	1,611.24
ख)	अधिकारियों के आवास का किराया	18.34	17.79
ग)	भविष्य निधि और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा में अंशदान	137.90	122.22
घ)	कर्मचारी राज्य बीमा में अंशदान	1.19	1.49
ङ.)	उपदान	87.21	135.67
च)	समूह बीमा	2.47	1.19
छ)	चिकित्सा बीमा	9.68	9.03
ज)	उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन (पीआरपी)	113.58	166.96
झ)	अनुग्रह राशि का भुगतान	31.25	21.84
ञ)	चिकित्सा व्यय	85.48	60.09
ट)	कल्याणकारी व्यय	39.99	39.55
ठ)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभों का प्रावधान	26.43	192.26
ड)	पेंशन योजना का प्रावधान	71.16	373.41
	कुल	**2,360.23**	**2,752.74**

टिप्पणी 26 : मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	मूर्त आस्तियों का मूल्यह्रास	65.00	46.24
	घटाएं : पूर्व प्रचालनात्मक कार्यों में स्थानांतरित (टिप्पणी 11 को देखें)	(16.23)	-
ख)	अमूर्त आस्तियों का परिशोधन	6.05	3.22
	कुल	**54.82**	**49.46**

टिप्पणी 27 : अन्य व्यय

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	भर्ती व्यय	22.35	31.14
ख)	डाक, टेलीफोन और टेलेक्स	8.68	26.87
ग)	यात्रा और आवागमन	82.34	65.06
घ)	बिजली और पानी का शुल्क	50.39	39.29
ड.)	जनरेटर सेट व्यय	15.00	12.05
च)	बीमा व्यय	0.69	1.83
छ)	कार चलाना और रखरखाव	1.42	1.06
ज)	छपाई और स्टेशनरी	26.34	33.01
झ)	**मरम्मत और रखरखाव :–**		
(i)	कार्यालय के उपकरण	30.52	15.53
(ii)	परिसर	95.44	60.46
ञ)	विज्ञापन और प्रचार	13.26	9.08
ट)	कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	40.08	176.50
ठ)	लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक	4.67	5.13
ड)	बैंक शुल्क	5.95	1.54
ढ़)	सदस्यता और अंशदान	4.97	5.75
ण)	बोर्ड की बैठकों का खर्च	5.05	7.14
त)	अन्य विविध खर्च	34.52	31.25
थ)	पुस्तकें और पत्रिकाएं	1.26	1.09
द)	परामर्श शुल्क	8.46	72.79
ध)	प्रदत्त किराया*	18.60	10.13
न)	व्यवसाय को बढ़ावा देने वाले खर्च	45.32	61.27
प)	ब्याज और जुर्माना	2.51	1.46
फ)	प्रतिभूति खर्च	56.68	38.59
ब)	संगोष्ठी और प्रशिक्षण	20.02	18.51
भ)	विदेशी मुद्रा लेनदेन और अंतरण पर शुद्ध नुकसान	-	62.49
म)	छूट एवं राहत	368.00	-
	कुल	**962.52**	**789.02**

*पूर्व प्रचालनात्मक कार्यों में स्थानांरित 10.28 लाख रुपये निवल, टिप्पणी सं. 11 को देखें।

टिप्पणी 28 : पूर्व अवधि मद

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	पूर्व अवधि व्यय	138.81	7.89
ख)	घटाएं : पूर्व अवधि आय	(38.91)	(11.41)
	शुद्ध पूर्व अवधि व्यय/(आय)	**99.90**	**(3.52)**

टिप्पणी 29 : असाधारण मदें

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	अचल संपत्ति की बिक्री पर/बट्टे खाते डालने पर निवल हानि/(लाभ)	(0.72)	(1.58)
	कुल	**(0.72)**	**(1.58)**

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड

31 मार्च, 2019 को और समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय विवरण के अंग भाग लेखा की टिप्पणियां

30. कर्मचारी लाभ बाध्यता

कंपनी के कर्मचारियों के लिए लागू कर्मचारी लाभ योजनाओं के बारे में विवरण निम्नानुसार हैं :

निर्धारित लाभ योजना

क) कर्मचारी लाभ योजना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख बीमांकिक मान्यताएं इस प्रकार थीं :

विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण/बीमारी छुट्टी दायित्व		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
छूट की दर	7.80%	7.73%	7.80%	7.73%	7.80%	7.73%
भावी वेतन वृद्धि	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर	7.66%	7.73%	-	-	-	-
भविष्य के चिकित्सा प्रीमियम में वृद्धि	-	-	-	-	2.00%	2.00%

ख) कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत राशियों के घटक निम्नानुसार हैं :

राशियां (लाख ₹ में)

विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		बीमारी छुट्टी देयता	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
वर्तमान सेवा लागत	43.14	37.42	32.96	29.73	15.65	14.59
विगत सेवा लागत	-	88.33	-	-	-	-
ब्याज लागत	49.82	38.00	16.40	14.50	12.92	9.63
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित वापसी	(37.40)	(36.50)	-	-	-	-
निवल बीमांकिक हानि	31.65	17.17	35.35	60.30	5.91	15.95
लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत किया जाने वाला व्यय	87.21	144.41	84.71	104.53	34.48	40.18

ग) कर्मचारी लाभ योजना के लिए लाभ दायित्वों में घट–बढ़ की अवधि इस प्रकार है :

राशियां (लाख ₹ में)

विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		बीमारी छुट्टी देयता	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
वर्ष की शुरूआत में	644.52	506.61	212.18	193.40	167.13	128.53
अधिग्रहण समायोजन	3.74	-	2.51	-	0.47	-
वर्तमान सेवा लागत	43.14	37.42	32.97	29.73	15.65	14.59
विगत सेवा लागत	-	88.33	-	-	-	-
ब्याज लागत	49.82	38.00	16.40	14.50	12.92	9.63
बीमांकिक हानि	36.75	17.17	35.34	60.30	5.91	15.95
लाभ का भुगतान किया	(59.69)	(43.29)	(43.19)	(85.77)	(16.55)	(1.58)
अवधि के अंत में	718.28	644.52	256.21	212.17	185.53	167.13

घ) समीक्षाधीन अवधि के आरंभ से अंत तक उपदान निधि की योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार है :–

राशियां (लाख ₹ में)

विवरण	उपदान निधि	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
अवधि की शुरूआत में योजना आस्तियां	483.86	486.65
प्रारंभिक मूल्य में समायोजन	-	(1.33)
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	45.59	36.79
अंशदान	239.42	6.78
लाभ भुगतान	(59.09)	(43.29)
फंड प्रबंधन शुल्क	(3.08)	(1.73)
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	706.70	483.86

ड.) एमएचआरडी की टीएसजी परियोजनाओं के लिए आउटसोर्स/संविदात्मक कर्मचारी, जिसके लिए एडसिल ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

निर्धारित अंशदान योजना :

राशियां (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
भविष्य निधि और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा में बीमा	137.90	122.22
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अनुसार नियोक्ता का अंशदान	1.19	1.49
पेंशन योजना हेतु अंशदान	71.16	-

31. संबंधित पार्टी लेनदेन:

लेखांकन मानक–18 ''संबंधित पार्टी डिस्क्लोजर'' की आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित पार्टी के नाम हैं, जहां महत्वपूर्ण प्रभाव को नियंत्रित करने की क्षमता/योग्यता मौजूद है, साथ ही प्रबंधन द्वारा पहचाने गए अनुसार लेनदेन की कुल राशि और अवधि के अंत में उनके शेष को नीचे दिया गया है :–

संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति
दिप्तीमान दास	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
देवेन्द्र कुमार शर्मा	कंपनी सचिव

राशियां (लाख ₹ में)

विवरण	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक		कंपनी सचिव	
	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, भत्ता और पर्क्स	31.31	26.77	14.97	2.02
निर्धारित अंशदान – राष्ट्रीय पेंशन योजना एवं भविष्य निधि में अंशदान	10.21*	2.61	0.93**	-
निष्पादन से संबंधित भुगतान	4.47	-	-	-
चिकित्सा, पट्टे पर आवास, छुट्टी नकदीकरण अनुलाभ	13.60	21.01	0.12	-
कुल	**59.59**	**50.39**	**16.02**	**2.02**

** इसमें पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित राष्ट्रीय पेंशन योजना में अंशदान हेतु बकाया राशि 4.98 लाख रुपये शामिल है।*

*** इसमें पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित राष्ट्रीय पेंशन योजना में अंशदान हेतु 0.12 लाख रुपये की बकाया राशि शामिल है।*

टिप्पणी :

क) कंपनी ने वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के समय–समय पर संशोधित परिपत्र संख्या 4(12)/82–बीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 01.04.1987 के संदर्भ में आधिकारिक और निजी उपयोग के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को एक वातानुकूलित कार प्रदान की है। व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए कार के उपयोग के संबंध में 2000/–रुपये की दर से राशि वसूल की जा रही है।

ख) कंपनी ने सीएमडी को सुसज्जित पट्टा आवास प्रदान किया है। मकान किराया वसूली और सॉफ्ट फर्निशिंग रिकवरी के संबंध में 2.39 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1.85 लाख रुपये) की राशि वसूल की गई है।

ग) कंपनी ने अंतर्देशीय यात्रा के रूप में 9.47 लाख रुपये (पिछले वर्ष 6.15 लाख रुपये) और वर्ष के दौरान सीएमडी की आधिकारिक यात्रा के लिए विदेश यात्रा के रूप में 6.13 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 6.87 लाख रुपये) खर्च किया है।

32. क) विदेशी मुद्रा में आय:

राशियां (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
एफ.ओ.बी. आधार पर माल का निर्यात	3974.65	6664.08
सेवाओं का निर्यात (विदेश में शिक्षा परियोजनाएं)	53.18	7.91

ख) विदेशी मुद्रा में व्यय :

राशियां (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
सी.आई.एफ. आधार पर आयात का मूल्य (व्यापार स्टॉक)	-	42.08
यात्रा (विदेश)	1.00	33.78
विदेश में शिक्षा परियोजनाओं में व्यय	82.31	51.03
प्रदत्त किराया	7.59	1.00
कुल	**90.90**	**127.89**

33. निर्माण अनुबंधों का प्रकटीकरण (एएस–7)

राशियां (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
वर्ष के दौरान स्वीकृत अनुबंध राजस्व	48.32	209.91
वर्तमान में जारी संविदाओं हेतु		
रिपोर्टिंग तिथि तक खर्च की गई कुल राशि	631.15	614.01
रिपोर्टिंग तिथि तक स्वीकृत लाभ	63.11	37.77
रिपोर्टिंग तिथि तक प्राप्त अग्रिम राशि	960.00	930.00
संपत्ति के रूप में प्रस्तुत अनुबंध कार्य के लिए ग्राहकों से देय सकल राशि	-	-

34. कंपनी ने संपत्ति के नुकसान पर आकलन को ''परिसंपत्तियों के नुकसान'' पर लेखांकन नीति के संदर्भ में किया है। कंपनी रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों के मूल्य में हानि के लिए कोई संकेत नहीं देती है। इसलिए, वर्ष के दौरान कोई हानि नहीं पहचानी गई।

35. मॉरीशस को माल के निर्यात के संबंध में ठेकेदार अर्थात् खरीद मूल्य के साथ एक समुक्त समझौता है, जिसमें वारंटी लागत भाग भी शामिल है, जिसे द्विभाजित नहीं किया जा सकता है, जबकि वस्तुओं की बिक्री तथा वारंटी लागत के लिए ग्राहक के साथ एक अलग समझौता है और तदनुसार, वारंटी लागत से राजस्व को माल की स्थापना की तारीख से प्रोद्भूत आधार पर प्राप्त किया जाएगा।

36. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

राशियां (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण			विवरण
1	**वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने हेतु अपेक्षित सकल राशि**			**99.46**
2	**वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि :**			
		भुगतान	**भुगतान किया जाना है**	**कुल**
(i)	किसी संपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण	कुल		शून्य
(ii)	उपरोक्त (i) से भिन्न प्रयोजन पर :			
क)	स्वच्छ भारत, भारत सरकार	12.00	-	12.00
ख)	गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारत के वीर हेतु अंशदान।	23.00	-	23.00
ग)	कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, जो भारत सरकार का सीपीएसई है, के सहयोग से उपयुक्त प्रौद्योगिकी के साथ सीमान्त कॉटन किसानों को मैकनीकृत कॉटन पिकिंग हेतु – सीएसआर सहायता।	10.00	-	10.00
घ)	उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में खिलाड़ियों के लिए बागपत में ऑलम्पिक स्तर के रेस्टिलिंग मैट प्रायोजित करना।	6.80	-	6.80
ड.)	विद्यार्थियों के लिए एक टाटा मैजिक वाहन को प्रायोजित करना और महत्वाकांक्षी जिला – नामसाई, अरूणाचल प्रदेश में डी.सी. कार्यालय को मध्याहृन भोजन ले जाना।	6.00	-	6.00
च)	शिक्षा में सहायता हेतु छत्तीसगढ़ को रामगढ़ जिले में राज्य सरकार के दो बालिका विद्यार्थियों में डिजिटल पठनकक्ष/लैब की व्यवस्था देना।	-	6.07	6.07
छ)	इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार को तहत सीएससीई गवर्नेस सर्विसेज इण्डिया लिमिटेड सीएससी अकादमी के जरिए आनुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन–आरोग्य लाभार्थी योजना पंजीकरण कैम्प।	35.46	-	35.46
	कुल			**99.33**
	खर्च की जाने वाली राशि			**0.13**
3	**लेखांकरण मानक–18, – संबंधित कक्ष के अनुसार सीएसआर के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित न्यास को अंशदान**			**शून्य**

37. आकस्मिक देयता

1. पूर्व नियमित कर्मचारियों और परियोजना आधारित कर्मचारियों के संबंध में आठ मामले न्यायालय में लंबित है, जिनके संबंध में देयता की राशि अनिश्चित है।

2. कंपनी की ओर से बैंकों द्वारा जारी किए गए बैंक प्रदर्शन की गारंटी, कुल मिलाकर 2.54 करोड़ रुपये है।

3. कंपनी को कर्नाटक में ग्यारह आवासीय स्कूल परिसरों के निर्माण का कार्य दिया गया था। कार्य, ठेकेदार मैसर्स विन्यासा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया था। कंपनी ने कर्नाटक सरकार से अंतिम भुगतान की प्राप्ति में देरी के कारण ठेकेदार को देय राशि का भुगतान नहीं किया। ठेकेदार ने कंपनी के विरुद्ध विवाचन दावा दायर किया और विवाचक ने वर्ष 2008–09 के दौरान कंपनी के विरुद्ध 1.77 करोड़ रुपये राशि का अधिनिर्णय पारित किया। कंपनी ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया और इसे सिविल जज, बैंगलोर की अदालत में चुनौती दी। कंपनी ने आरए के खिलाफ निपटान के लिए 0.48 लाख रुपये का भुगतान किया है। अन्य लेनदार 0.12 लाख रुपये की राशि पहले से ही खाते की किताबों में आगे ले जा रहा है। कंपनी को अपने पक्ष में एक फैसले की उम्मीद है और इसलिए खातों की पुस्तकों में 1.17 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष : 1.17 करोड़ रुपये) की शेष राशि का प्रावधान नहीं किया गया है।

4. मैसर्स मल्टीपलजोन ने सॉफ्टवेयर की आपूर्ति के संबंध में वित्त वर्ष 2006–07 में ब्याज के साथ 13.95 लाख रुपये की वसूली के लिए निचली अदालत में दीवानी मुकदमा दायर किया था, जो सॉफ्टवेयर की देर से आपूर्ति और परिणामस्वरूप ग्राहक द्वारा गैर–स्वीकृति के कारण एडसिल इण्डिया लिमिटेड द्वारा भुगतान नहीं किया गया था। निचल अदालत द्वारा समय की पाबंदी के कारण मामले को खारिज कर दिया गया था। मैसर्स मल्टीपलजोन ने उच्च न्यायालय, दिल्ली में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की है। मैसर्स मल्टीपलजोन के दावे के अनुरूप खातों की पुस्तकों में 7.68 लाख रुपये का प्रावधान मौजूद है। शेष राशि के संबंध में लेखाबहियों में कोई प्रावधान नहीं लिया गया है जैसाकि कंपनी को अपने पक्ष में उम्मीद थी।

5. वित्तीय वर्ष 2014–15 में आईआईआईटी हैदराबाद के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड प्रदान नहीं करने पर सेवा में कमियों के निवारण के लिए एक आवेदक ने उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, लखनऊ में मुकदमा दायर किया है। जिला उपभोक्ता फोरम ने आवेदक को 0.06 लाख रुपये जमा ब्याज दिया है। कंपनी ने उसी राज्य आयोग में इस तथ्य का हवाला देते हुए अपील दायर की है कि कंपनी और आवेदक के बीच कोई उपभोक्ता–सेवा प्रदाता संबंध नहीं था। इसलिए, 0.06 लाख रुपये (पूर्ववर्ती वर्ष 0.06 लाख रुपये) की उक्त राशि के लेखाबहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

38. उपलब्ध जानकारी के आधार पर और भेजे गए लेनदार पुष्टि पत्रों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, कंपनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित 11 विक्रेताओं को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के रूप में पहचाना है।

39. लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक :

राशियां (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षा के रूप में		
– वैधानिक लेखापरीक्षा के लिए	2.75	2.75
– पूर्ववर्ती वर्ष की सांविधिक लेखापरीक्षा हेतु	-	0.50
– टैक्स लेखापरीक्षा के लिए	1.50	1.50
– व्यक्तिगत व्यय में से	0.42	0.38
कुल	**4.67**	**5.13**
सलाहकार के रूप में और किसी भी अन्य क्षमता में :		
– प्रमाणन के लिए (परियोजना व्यय में शामिल)	2.37	1.87
– प्रमाणन हेतु (अन्य)	0.36	0.33
कुल	**7.40**	**7.33**

40. लेखांकन मानक–29 के अनुसार, प्रावधानों के विवरण निम्नानुसार हैं:– (कोष्ठक में दी गई राशि पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े को दर्शाती हैं)।

राशियां (लाख ₹ में)

विवरण	उपदान	आयकर	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना	अर्जित/ बीमारी छूट्टी देयता	निष्पादन से संबंधित वेतन	अनुग्रह राशि	पेंशन का प्रावधान	संदिग्ध ऋण/ अग्रिम के लिए प्रावधान
(क) अवधि की शुरूआत में प्रावधान	644.52	1299.22	194.24	379.31	213.12	37.77	373.41	151.87
	(506.61)	(663.55)	(1.98)	(321.93)	(47.34)	(15.93)	(-)	(151.87)
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	133.45	1252.52	26.58	122.17	113.58	34.90	-	-
	(181.20)	(2259.21)	(192.26)	(68.46)	(166.96)	(21.84)	(373.41)	(-)
(ग) वर्ष के दौरान उपयोग की जाने वाली/वापसी राशि	59.68	1299.22	-	59.74	37.32	19.81	314.56	-
	(43.29)	(1623.54)	(-)	(39.84)	(1.18)	-	(-)	(-)
(घ) अवधि के अंत में प्रावधान (क)+(ख)–(ग)	718.29	1252.52	220.83	441.74	289.38	52.86	58.85	151.87
	(644.52)	(1299.22)	(194.24)	(379.31)	(213.12)	(37.77)	(373.41)	(151.87)

41. निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2018–19 के लिए लाभांश वितरण कर (95 रुपये प्रति इक्विटी शेयर) को छोड़कर 950 लाख रुपये के इक्विटी शेयरों पर लाभांश का प्रस्ताव किया है, जिसमें से 600 लाख रुपये का वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान अंतरिम लाभांश के रूप में भुगतान किया गया है, जो कंपनी की वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।

42. लेखांकन मानक (एएस)–20 ''प्रति शेयर आय'' (एएस–20) के अनुपालन में, प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए गए तत्त्व (मूल और मिश्रित) निम्नानुसार हैं :–

राशियां (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
कर के बाद लाभ, लेकिन असाधारण वस्तुओं से पहले (रुपये)	3008.00 लाख	3595.48 लाख
असाधारण सामग्री	–	–
असाधारण वस्तुओं के बाद कर के बाद लाभ (रुपये)	3008.00 लाख	3595.48 लाख
प्रति शेयर आय अर्जित करने के लिए उपयोग किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (मूल और मिश्रित) (पूर्ण संख्या में)	10,00,000	10,00,000*
प्रति शेयर आय (मूल और मिश्रित) (रुपये)	300.80	359.55
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपये)	100	100

**पूर्ववर्ती वर्ष हेतु प्रति शेयर आय का लेखाकरण मानक–20 –''प्रति शेयर आय'' के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 में बोनस शेयर जारी करने के कारण वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए प्रति शेयर आय की (मूल एवं मिश्रित) की गणना हेतु इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को समायोजित करते हुए पुनःउद्धृत किया है।*

43. सेगमेंट रिपोर्टिंग

(क) कंपनी ने एएस–17 ''सेगमेंट रिपोर्टिंग'' की आवश्यकताओं के अनुसार निम्नलिखित व्यापारिक क्षेत्रों को प्राथमिक सेगमेंट के रूप में पहचाना है।

(क) डिजिटल शिक्षा प्रणाली (डीईएस)

(ख) ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं (ओटीएएस)

(ग) तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी)

(घ) अन्य

राशियां (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
1	**राजस्व**		
	डिजिटल शिक्षा प्रणाली	12,526.90	11,667.17
	ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं	12,169.83	11,046.30
	तकनीकी सहायता समूह	4,759.72	4,692.52
	अन्य	2,270.11	1,465.03
	कुल	**31,726.56**	**28,871.03**

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
2	**व्यय**		
	डिजिटल शिक्षा प्रणाली	10,318.51	9,215.97
	ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं	7,852.46	5,756.17
	तकनीकी सहायता समूह	4,217.00	4,147.62
	अन्य	1,780.42	1,151.22
	कुल	**24,168.39**	**20,270.98**
3	**शुद्ध परिणाम**		
	डिजिटल शिक्षा प्रणाली	2,208.39	2,451.20
	ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं	4,317.37	5,290.13
	तकनीकी सहायता समूह	542.72	544.90
	अन्य	489.69	313.83
	कुल	**7,558.17**	**8,600.06**
	जोड़ें : अन्य आय	396.46	546.62
	घटाएं : अंनिर्धारित व्यय	3,576.08	3,655.24
	कर से पहले शुद्ध लाभ	**4,378.54**	**5,491.42**
	घटाएं : कर व्यय	1,370.54	1,895.94
	कर के बाद मुनाफा	**3,008.00**	**3,595.48**
4	**31 मार्च, 2019 को कुल आस्तियां**		
	डिजिटल शिक्षा प्रणाली	5,537.40	2,373.78
	ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं	5,727.62	5,750.13
	तकनीकी सहायता समूह	902.79	444.15
	अन्य	797.05	1,049.33
	कुल	22,714.04	19,010.49
	डिजिटल शिक्षा प्रणाली	**35,678.90**	**28,627.88**
5	**31 मार्च, 2019 को कुल देयताएं**		
	डिजिटल शिक्षा प्रणाली	9,582.52	4,522.47
	ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं	3,068.31	4,819.61
	तकनीकी सहायता समूह	331.16	199.76
	अन्य	1,044.24	1,657.34
	आबंटित नहीं की गई	10,432.60	7,875.70
	कुल	**24,458.83**	**19,074.88**

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के लेखा पर टिप्पणी

(ख) कंपनी ने एएस–17 ''सेगमेंट रिपोर्टिंग'' की आवश्यकताओं के अनुसार निम्नलिखित व्यापारिक क्षेत्रों को द्वितीयक खंडों के रूप में पहचाना है।

(क) मॉरीशस

(ख) अन्य

राशियां (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
1	**पहचाने गए भौगोलिक खंडों का राजस्व**		
	मॉरीशस	3,570.99	6,664.08
	अन्य	28,155.57	22,206.95
	कुल	**31,726.56**	**28,871.03**
2	**पहचान की गई भौगोलिक क्षेत्रों का व्यय**		
	मॉरीशस	2,273.94	5,296.69
	अन्य	21,894.45	14,974.29
	कुल	**24,168.39**	**20,270.98**
3	**भौगोलिक खंडों की संपत्तियों की पहचान की गई**		
	मॉरीशस	350.00	656.89
	अन्य	12,614.85	8,960.50
	कुल	**12,964.85**	**9,617.39**
4	**भौगोलिक क्षेत्रों की देनदारियों की पहचान की गई**		
	मॉरीशस	268.93	1,142.11
	अन्य	13,757.30	10,057.07
	कुल	**14,026.23**	**11,199.18**

44. पिछले वर्ष के आंकडे, जहां भी आवश्यक समझा गया चालू वर्ष के अनुरूप पुनः निर्धारित/पुनः समूहित/पुनःवर्गीकृत किए गए हैं।

समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते, **शिव एवं एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 009989एन
हस्ता./:–
मनीष गुप्ता
भागीदार
सदस्यता सं. : 095518

हस्ता/–
संदीप गोयल
सीजीएम (वित्त)

हस्ता/–
देवेन्द्र कुमार शर्मा
कंपनी सचिव

कृते एवं निदेशक–मंडल की ओर से

हस्ता/–
दिप्तीमान दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07255933

हस्ता/–
प्रशांत अग्रवाल
सरकार द्वारा नामित निदेशक
डीआईएन : 08126092

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 जुलाई, 2019

एस ए ई आई ई सी पर संगोष्ठि में एडसिल की सहभागिता।

एडसिल के सीएसआर गतिविधियाँ।

परीक्षण कमांड केन्द्र का उद्घाटन।

एडसिल में योगा दिवस मनाया गया।

एडसिल द्वारा सिविल परियोजनाएँ की गई।

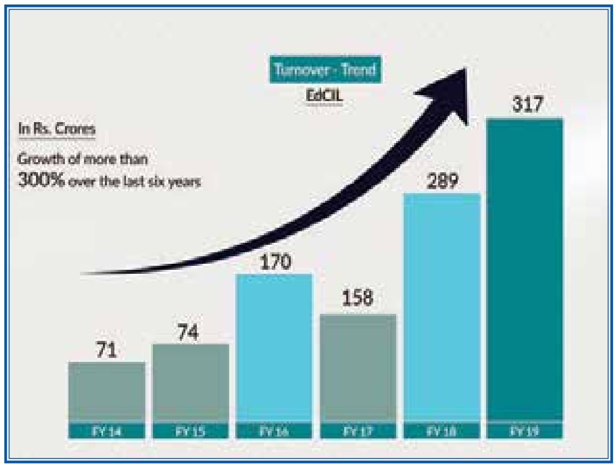
Turnover - Trend
EdCIL
In Rs. Crores
Growth of more than
300% over the last six years
71
74
170
158
289
317
FY 14
FY 15
FY 16
FY 17
FY 18
FY 19

Study In India

एडसिल के सीएसआर गतिविधियाँ।

स्वच्छ भारत में एडसिल की सहभागिता।

Education • Innovation • Transformation

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड

सीआईएन - U74899DL1981G0I011882

एडसिल हाउस, 18–ए, सेक्टर–16–ए, नोएडा–201301 (उत्तर प्रदेश)
यूआरएल: http://www.edcil.co.in ईपीएबीएक्स: 0091-120-4156001-02, 4154003, 2512004-06 फैक्स: 0091-120-2515372
ई–मेल: edcilsupport@edcil.co.in